राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] ग्यारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का इकत्तीसवां दिवस [संख्या : 20

बुधवार;

26 मार्च, 2003

राजस्थान विधान सभा की बैठक

11.00 बजे विधान सभा भवन,

जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री प्रताप सिंह।

कृषि उपज मण्डी छबड़ा (बारां) द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय

486. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कृषि उपज मण्डी छबड़ा (बारां) व इससे सम्बन्धित गौण मण्डियों में गत दो वर्षों में कितनी-कितनी आय हुई और कितना-कितना कर जमा कराया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में उक्त राशि में से किस-किस मद में किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? सूची सदन की मेज पर रखें।

कृषि विपणन मंत्री (श्री रामकिशन शर्मा) : (1) कृषि उपज मण्डी समिति छबड़ा (बारां) एवं इसके अधीन गौण मण्डियों में गत दो वर्षों में हुए आय का विवरण परिशिष्ट "क" पर है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति छबड़ा (बारां) द्वारा गत दो वर्षों में किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "क" के कालम संख्या 7 एवं 8 पर अंकित है। मदवार व्यय का विवरण परिशिष्ट "ख" पर है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सवाल अधूरा है, पूरी जानकारी इस सवाल के माध्यम से नहीं दी गयी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि 2000-2001 में कुल आय हुई 1,32,48,000 रुपये, 2001-2002 में हुई 1,35,59,000 रुपये, इस तरह कुल मिला करके 2,68,07,000 रुपये आय हुई। इसमें से मण्डी शुल्क के मार्फत 2,20,73,000 मण्डी की आय हुई। इसमें से आपने 1,63,98,000 खर्च किया गया है, बाकी राशि बची 1,04,09,000 रुपये।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

चाहता हूं कि यह जो 1,04,09,000 रुपये राशि बची है, यह छबड़ा एवं छबड़ा की गौण मण्डियों में किन–किन निर्माण कार्यों में खर्च किया जायेगा? नम्बर एक।

अध्यक्ष महोदय, जवाब दे दें या एक साथ ही पूछ लूं?

दूसरा, कुल आय 268.7 लाख हुई उसमें से 220.73 लाख मण्डी शुल्क है। बची 47,34,000 रुपये की अतिरिक्त आय, इसमें से जुर्माने से कितनी आय हुई एवं बची आय कहां–कहां से हुई? यह भी बताने का कष्ट करें।

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि हमारी इनकम परमिट देने से भी होती है, दुकान के किराये से भी होती है, किसी के ऊपर जुर्माना होता है, उससे भी होती है। इस प्रकार से कुल–मिलाकर के गत दो वर्षों की कुल आय हुई, जैसा अभी आपने बताया 268.7 लाख। गत दो वर्षों का कुल कर 220.73 लाख। गत दो वर्षों का व्यय जो हमने किया है वह 163.98 लाख। इसलिए जितनी बचत होगी उनका कार्य भी हम सड़क निर्माण में मण्डी प्रांगण के कार्य में जो मण्डी समिति सचिव द्वारा माननीय विधायक की अनुशंसा के अनुसार आता है, उसे हम पूरा करेंगे, उसमें, कार्यों में लगायेंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अभी जनवरी, दिसम्बर महीने में करीब 800 बोरी गेहूं रसद विभाग ने छबड़ा रेलवे स्टेशन पर पकड़ा था। अकाल राहत गेहूं, मण्डी की पर्चियां काट कर उसको रिलीज कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि ड्यूरेशन दिसम्बर, जनवरी और फरवरी किस–किस तारीख को कितना–कितना गेहूं मण्डी समिति छबड़ा के प्रांगण में आया? उस हिसाब से उक्त व्यापारी को यह 800 बोरी जो गेहूं वहां पकड़ गया है, उसको रिलीज किया है? नम्बर एक।

दूसरा मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस समय वहां मण्डी सैक्रेटरी मौजूद थे, अभी जो मण्डी सैक्रेटरी नहीं, उससे पहले के जो सैक्रेटरी मौजूद थे, उसने क्या कारण था कि 25 लाख रुपये छबड़ा से आठ किलोमीटर दूर कोटड़ी स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में एक ही चैक काट कर किया?

तीसरा प्रश्न मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, जिसके द्वारा मैंने कहा है कि मेरे प्रश्न का जवाब अधूरा है। कृषि उपज मण्डी में डाइरेक्टर वहां एस.डी.ओ. रह चुके हैं, इनके समय भी वहां पर काफी पेड़ लगे हुए थे, कृषि उपज मण्डी प्रांगण में पनपे और बड़े हुए पेड़ करीब 50–60 किसकी आज्ञा से काटे गये? और उनका जो आक्शन हुआ मण्डी

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

समिति के रेकार्ड में जमा हुआ कि नहीं हुआ? मण्डी की रोकड़ में जमा हुआ कि नहीं हुआ? इस बात का भी मेरा जवाब दें।

एक मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहता हूं कि मण्डी प्रांगण में कुछ एरिया में इस साल फसल बोयी गयी है, फसल वह भी मुनाफे से काश्त की गयी है, क्या मण्डी सैक्रेटरी मुनाफे से काश्त करने मण्डी प्रांगण को काश्त के लिए दे सकता था? दे सकता था तो उससे कितनी आय हुई? नहीं दे सकता था तो जो पेड़ फर्जीवाड़ा करके कटवाये हैं, उस मण्डी सैक्रेटरी के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करना चाह रहे हो? यह मेरे पाइंटेड प्रश्न हैं, मैं चाहूंगा पाइंटेड प्रश्न का जवाब ढंग से दें।

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, गेहूं की बता रहे हैं कि कहीं पर्चियों के माध्यम से, अकाल राहत की बात कही, वैसे तो अलग से प्रश्न है फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसकी पूरी जांच एक महीने में करा दूंगा। जिन्होंने पेड़ काटे हैं, अवज्ञा करी है, अनियमितता की है, उसकी भी जांच करा दूंगा और एक महीने में दोनों की जांच करके सामने ला दूंगा। जिसने भी गलत काम किया है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करूंगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ठीक है। धन्यवाद, साहब।

श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) : माननीय मंत्री महोदय का जवाब बहुत अच्छा है। सटीक जवाब दे दो आप।

श्री अध्यक्ष : जवाब क्या देने वाले हैं, यह मुझे भी बता चुके हैं। मेरे पास आ गये थे। हां। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

राज्य के शहीद सैनिकों की स्मृति हेतु जयपुर में स्थायी केन्द्र की स्थापना

487. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य के शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं व परिजनों को कोई विशेष पैकेज अथवा सहायता मुहैया करायी जाती है? यदि हां, तो क्या-क्या?

(2) क्या राज्य सरकार शहीदों की याद को चिर-स्थायी बनाने हेतु राजधानी जयपुर में कोई केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण (श्री चन्द्र शेखर) : (1) युद्ध एवं अन्य आपरेशनों में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं एवं परिजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेष पैकेज के अन्तर्गत सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। ये सुविधाएं 1.4.1999

(श्री चन्द्रशेखर)

के बाद होने वाले शहीद सैनिकों के आश्रितों को विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार दी जा रही हैं तथा 31.3.1999 से पूर्व शहीद होने वाले सैनिकों के आश्रितों के लिए सुविधाएं परिशिष्ट "ख" के अनुसार दी जा रही है।

(2) शहीदों की याद को चिर–स्थायी बनाने के उद्देश्य से जयपुर में पूर्व से ही शहीद स्मारक का निर्माण बना हुआ है। वर्तमान में और कोई प्रावधान या योजना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि 1.4.1999 के बाद से राज्य के जो शहीद हुए हैं उनको हम यह–यह सुविधाएं, जो आपने परिशिष्ट "ख" पर दी हैं, वह मुहैया करा रहे हैं। एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 1.4.1999 से पूर्व जो राज्य के लोग शहीद हुए थे उनके परिजनों को क्या–क्या सुविधाएं दी जाती हैं? कृपया आप इससे भी अवगत कराएं।

दूसरा, आपने जो शहीदों के परिवारों को सुविधाएं देने का जिक्र यहां किया है, मैं आपसे यह जानकारी चाहता हूं कि उसमें आपने यह कहा है कि जो शहीदों के आश्रित छात्र हैं–उनको हम इंजीनियरिंग, मेडिकल और दूसरे में नि:शुल्क प्रवेश दिलाते हैं, अब तक कितने छात्रों को प्रवेश दिलाया है आपने? कृपया इसकी सूचना दें।

एक आपने यह लिखा है कि जो शहीद हुए हैं राज्य के उनके नाम पर विद्यालयों का नाम रखने का प्रावधान रखा है, अब तक कुल कितने विद्यालयों का नाम शहीदों के नाम रखा है? वह भी बताएं।

तीसरा, आपने इसमें उनको बिजली के कनेक्शन प्रायोरिटी से मुहैया कराने की बात कही है, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को तो अभी तक इसमें कनेक्शन उपलब्ध करा दिये और कितने लोगों की लिस्ट अभी भी विचाराधीन है आपके पास?

मेरे सवाल का दूसरा खण्ड था कि क्या आप शहीदों की याद को चिर–स्थायी बनाने के लिए राजधानी जयपुर में कोई केन्द्र स्थापित करेंगे? आपने इसका जवाब दे दिया कि शहीद स्मारक बना दिया। शहीद स्मारक तो बना हुआ है, जो शहीदों के परिवारजन यहां अपने विभिन्न कामों से आते हैं उनको यहां रुकने में बड़ी असुविधा होती है। उनकी विधवाएं आती हैं, उनके छात्र आते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके ठहरने के लिए आप कोई शहीद विश्राम गृह या रेस्ट हाउस यहां बनाने का इरादा रखते हैं? यदि हां, तो कब तक, इस बारे में बताइए।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट ''ख'' जो दिया गया है उसमें 1.4.1999 से पहले के हुए शहीदों को हम इस तरह से दे रहे हैं। 1962 से लेकर 31.3.1996 तक की अवधि के शहीदों के परिजनों को जो जे.सी.ओ. अधिकारी रैंक के हैं उनको 2500 रुपये नकद व 25 बीघा सिंचित भूमि व अन्य रैंकों के अधिकारियों को 2000 रुपये नकद और 25 बीघा सिंचित भूमि 1.4.1996 से 31.3.1999 तक की अवधि में शहीद हुए सैनिकों को दस हजार रुपये नकद व 25 बीघा सिंचित भूमि, 1962, 1965 और 1971 के शहीदों के परिजनों के लिए प्राथमिकता के आधार पर विधिवंत कनेक्शन, प्री–कारगिल के दो आश्रितों को रोजगार देने की प्राथमिकता का प्रावधान है। 31.3.1999 से पूर्व को युद्ध विधवाओं या अविवाहित शहीदों की माता पिताओं को राजकोष से तीन सौ रुपये एवं मुख्य मंत्री सहायता कोष से 450 रुपये कुल 750 रुपये सम्मान भत्ता दिया जाता है, एक। दूसरा, आश्रित छात्रों के लिए, जो छात्र हैं उनको निःशुल्क छात्रवृत्ति दी जाती है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने छात्रवृत्ति के लिए नहीं पूछा। आपने कितनों को निःशुल्क प्रवेश दिलवाया?

श्री चन्द्रशेखर : प्रवेश का जो हिसाब है वह तो उनके कम्पीटीशन का है। हम केवल छात्रवृत्ति देते हैं या निःशुल्क शिक्षा देते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : कम्पीटीशन का? नहीं–नहीं, आपने लिखा है कि निःशुल्क प्रवेश इन–इन शिक्षा के लिए।

श्री चन्द्रशेखर : प्रवेश जो होता है उसकी निःशुल्क होता है उसको पैसा हम देते हैं, फीस हम जमा कराते हैं वह निःशुल्क होता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : ऐसे कितने लोग हैं जिनका वहां प्रवेश हुआ? जो शहीद परिवार के आश्रित लोग हैं जिनकी फीस आप जमा करवा रहे हैं। वह बताओ न आप डिटेल?

श्री चन्द्रशेखर : जो हमारे पास एजुकेशन की स्कालरशिप इस तरह की है, कारगिल में 28 को हम दे चुके हैं 67 में से, सात हमारे पैंडिंग हैं और 18 ऐसे हैं जो माइनर हैं जिनको हम नहीं दे पाये हैं क्योंकि वे माइनर हैं। वह स्कूल में नहीं गये हैं, या छात्रवृत्ति नहीं गयी है या कालेज में नहीं गया है तो हम उसको नहीं दे पा रहे हैं। तीसरा, आपने किया है विद्यालयों के नामकरण का। विद्यालय के नामकरण में जो शहीद हुए 67 कारगिल के समय उनमें से मात्र हमारे तीन चार के पैकेज रहे हैं जिनको हम नहीं दे पाये हैं और उनमें भी इस बात के लिए उनका कुछ मुद्दा उठा है। एक तो यह हुआ कि मोहन तंवर शहीद की पत्नी है और नेतरामजी हैं जो कि एक ही गांव में दुर्भाग्य से हमारे दो शहीद हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य कहो, करेक्ट करें, मंत्री महोदय।

श्री चन्द्रशेखर : हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा एक शहीद हो गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, सही बात है। सौभाग्य थोड़े ही होता है शहीद होने का, वह उसके परिवार के लिए हमारे लिए थोड़े ही है।

श्री चन्द्रशेखर : यह एक नेताराम हुआ और दूसरा ओम प्रकाश हुआ है। ओम प्रकाश की फाइल पहले चली गयी इस वजह से उनका नामकरण हो गया और दूसरे का नहीं हो पाया। प्रावधान यह है कि उस गांव में जिस गांव में शहीद हुआ है उसमें एक विद्यालय का नामकरण किया जाए और वहां एक ही विद्यालय है। दूसरा विद्यालय वहां नहीं है। इस तरह के एक दो केस और हैं जिनमें भी हम नहीं कर पाये हैं। एक गांव ऐसा है, वहां दो गांवों के बीच में एक स्कूल है। एक गांव के नाम से हमने शहीद को दे दिया दूसरे को नहीं दे पाये। ये चार प्रकरण हमारे पास हैं। इनको हम तत्परता से निपटाने की कोशिश कर रहे हैं और यह कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से समझा बुझाकर उनका नामकरण कर लिया जाए।

आपने चौथा बिजली कनेक्शन के बारे में किया है। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि वर्ष 2002 में दसवें महीने में राज्य सरकार ने फैसला किया है कि जो भी शहीद हुए हैं उनके आश्रितों के नाम अगर जमीन है, मां बाप के नाम से जमीन है या उसकी विधवा के नाम से जमीन है तो उसको हम बिजली कनेक्शन दें। चूंकि यह अभी तय किया है राज्य सरकार ने, तो उनके आप्शन आ रहे हैं और आप्शन के आधार पर हम दे रहे हैं। एक और आपने कहा है कि शहीद स्मारक के बजाय केन्द्र स्थापित किया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शहीद की विधवाओं के नाम से एक होस्टल के लिए हमने जे.डी.ए. से जमीन ली है और उसमें हम काम शुरू कर रहे हैं। शायद जल्दी उसका काम पूरा हो जाएगा और रहने के लिए व्यवस्था हो जाएगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, मैंने यह पूछा था कि आपके पास शहीद के परिजनों के लिए बिजली कनेक्शन के लिए कितने आवेदन आये हैं और उनमें से कितनों को दे दिएं और कितने आपके पास विचाराधीन हैं? मतलब आपका जवाब यह है कि आपने एक को भी बिजली कनेक्शन नहीं दिया? क्या कहना चाहते हैं? दूसरा आपने कहा कि शहीदों की विधवाओं के लिए या उनके परिजनों के लिए राजधानी जयपुर में विश्राम के लिए या जिस काम से वे आयें, वहां रहने के लिए आपने कोई जमीन ली है तो आप कृपया यह बताइये सदन को कि उनके लिए विश्राम गृह या जो कुछ भी आप बनाने जा रहे हैं, वह कब तक बना देंगे यह बताइये स्पेसिफिक।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मैंने शहीद विधवाओं के लिए होस्टल की बात कही है और होस्टल के लिए जे.डी.ए. से जमीन ले चुके हैं। हमारा काम प्रारम्भ हो रहा है और जल्दी ही वह सम्पन्न हो जाएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : कब तक हो जाएगा?

श्री चन्द्रशेखर : कब तक क्या हो जाएगा, यह तो बन रहा है और जहां तक विद्युत कनेक्शन की बात है, मेरे पास 65 व्यक्तियों के आवेदन आये हैं जिनमें से 16 बैटल केजुअल्टी के रिपोर्ट नहीं आने के कारण से उन पर कार्यवाही नहीं हुई है बाकी में हमने कार्यवाही शुरू कर दी है।

मोहम्मद माहिर आजाद : कनेक्शन कितने दिए? यह बताओ न आप।

श्री चन्द्रशेखर : 65 आये हैं, बताये न।

मोहम्मद माहिर आजाद : 65 में से दिये कितने लोगों को?

श्री चन्द्रशेखर : फैसला ही दसवें महीने में हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : दसवें महीने से तीसरा महीना खतम होने जा रहा है। पांच महीने हो गये। जो आपके पास आये हैं उनको कब तक आप कनेक्शन दे देंगे?

श्री चन्द्रशेखर : 65 में से 16 की बैटल कैजुअल्टी नहीं आयी। बाकी की हमने कार्यवाही शुरू कर दी। विदिन वन और टू मन्थ में मिल जाएंगे।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाह रहा हूं कि धौलपुर शहर में शहीदों की जमीन पर बिजली विभाग ने कब्जा कर रखा है।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आप बैठिए। जसवन्त सिंहजी, आपको बाद में। श्री लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे वीर सैनिक देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं और उनका जो पार्थिव शरीर लाया जाता है और वो जिस ताबूत में लाया जाता है, क्या यह सही है कि उस ताबूत में क्वालिटी की दृष्टि से कुछ गिरावट आयी है और राजस्थान की सरकार हमारे शहीदों को सही गुणवत्ता के ताबूत में लाया जाए, इस दिशा में सरकार ने कुछ लिखा है या कोई कार्यवाही की है? यह भी सुना है कि ताबूत की शहीद में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है तो इस बारे में कुछ सरकार ने लिखा है?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न कहां है इसमें? स्कोप में ही नहीं आ रहा है। आप सबूत कहां ले आये? यह तो भारत सरकार का मामला है।

श्री संयम लोढ़ा : मैं तो तबूत घोटाले की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जसवन्त सिंह।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि धौलपुर शहर में शहीदों के जमीन पर बिजली विभाग ने क्या लम्बे समय से कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो उस कब्जे को हटाने का विचार रखते हैं क्या? धौलपुर शहर में पुरानी मण्डी के पास शहीदों की जमीन है और उस पर बिजली विभाग ने कब्जा कर रखा है।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, वैसे इसका सवाल से कोई कनेक्शन नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : शहीदों की जमीन है, क्यों नहीं है?

श्री अध्यक्ष : बैठिए, आपने पूछ लिया प्रश्न।

श्री चन्द्रशेखर : इसमें केवल शहीद को दिये जाने वाले लाभ के बारे में ही पूछा गया था।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : शहीदों को दी गयी है। शिलालेख है वहां। वह शहीद के नाम से जमीन है।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी कोई बात है तो ये मेरे को बता देंगे, मैं उसके बाद कार्यवाही कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल पूनिया।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया जहां एक से ज्यादा शहीद हुए हैं तो एक शाला का नाम उसके नाम से नामकरण कर दिया गया। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि क्या राज्य सरकार यह विचार रखती है कि उस गांव में दूसरी संस्था हो तो, उसका दूसरे के नाम से नामकरण कर दिया जाए? यह बतायें।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि शहीद के स्कूल का नामकरण करने का प्रावधान है। उस गांव में अगर एक ही स्कूल है तो उसका हो गया। दूसरे के लिए हम इस तरह के प्रस्ताव करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी दूसरी चीज में उसका नाम आ जाए ताकि उसके नाम को चिरस्थायी किया जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि शहीदों की वीरांगनाओं और आश्रितों ने 65 ने बिजली कनेक्शन के लिए एप्लाई किया और उसके साथ सर्टिफिकेट भी लगाये और आपने एक को भी नहीं दिया। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र से श्योदानाराम जो हरिपुरा का शहीद हुआ,

(श्री अमराराम)

जिसको डेढ़ साल पहले पैट्रोल पम्प अलाट हुआ और जिसने बिजली के कनेक्शन के लिए एप्लाई किया, अजमेर विद्युत वितरण निगम ने उसकी फाइल को रिजेक्ट करके भेज दिया कि वी.आर. ज्यादा होने के कारण डेढ़ साल से लगातार कहने के बाद भी आपकी घोषणा के बाद भी वितरण निगम इसको एप्लाई नहीं कर रहा है। इसके लिए आप क्या इंतजाम कर रहे हो?

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया था, यह जो फैसला राज्य सरकार ने दसवें महीने में किया था कि हम शहीदों के आश्रितों को...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत आश्वासन देता हूं कि शहीदों के मामले में, कारगिल शहीदों के मामले में वी.आर. की जो शर्त है उसको रिलैक्स कर दी जाएगी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल से जिस शहीद को पैकेज में पैट्रोल पम्प मिला। डेढ़ साल से आज भी वह जैनरेटर से पैट्रोल पम्प चला रहा है। आपकी शहीदों के प्रति, बार–बार आप वितरण निगम को लिखने के बाद, आपके आश्वासन के बाद, एक साल से मंत्रीजी के सामने रखने के बाद आज तक उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है। कब तक मिल जाएगा, यह बताओ आप?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : डेफीनेट टाइम दो।

श्री अमराराम (धोद) : डेफीनेट, डेढ़ साल से नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती शांति पहाड़िया।

श्रीमती शांति पहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं, मेरे इलाके में भी चार शहीद हुए हैं। उनकी विधवान को कोई जमीन अलाट करेंगे या कोई ऐसा उनका खाने पीने का साधन करेंगे जिससे उनका गुजारा हो जाए? दो–तीन बच्चे छोड़कर वह एक्सपायर हुए हैं, इसका मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, हमने जो पैकेज में दिया है कि एक लाख रुपये प्लस पच्चीस बीघा जमीन, दूसरा उसी के साथ नहीं लेते हैं तो एक लाख रुपये या एक हाउसिंग बोर्ड का एम.आई.जी.एच. का एक प्लाट, यह भी नहीं लेते हैं तो पांच लाख रुपये, अगर इनका इसमें आप्शन आया है तो हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं और इनके यहां जो शहीद हुए हैं, अभी रिसेंटली हुए हैं, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। उनको मुश्किल से दो महीने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री संजीव बेनीवाल : ताबूतों का पूछा है वह तो बताओ।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : ताबूतों वाला तो बताइये, मंत्रीजी।

श्री संजीव बेनीवाल : ताबूतों का कुछ हुआ? ताबूतों की बात आयी है तो यह तो बताओ...(व्यवधान)

श्रीमती शांति पहाड़िया : क्या उनके भाईन को या किसी को नौकरी दी जाएगी...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप जो हुआ है वह तो बताओ ताबूतों के बारे में... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : भारत सरकार ने क्या किया है, कुछ आप तहकीकात तो कीजिए...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर।

श्री मोहन लाल मोदी : ताबूतों में तो दिल्ली की सरकार खा गयी पैसा सारे अखबारों में आया था (व्यवधान) रुपये खाए हैं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : +++

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मोहन लाल मोदी : पैसे ही खा जाओगे। आप तो ऐसे लोग जो +++ वह बोलने की स्थिति में नहीं हैं...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : भारत सरकार को लिखो तो सही...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : आपको बोलना नहीं चाहिए, आपको इशारा नहीं कर रहा। फिर आप क्यों बोल रहे हो? (व्यवधान) आपने कुछ गलती की है इसका मतलब...(व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : हमने तो हमेशा कुर्बानी दी है। हमारे यहां से तो हमेशा शहीद हुए हैं। आपके यहां से कितने हुए यह तो बताओ...(व्यवधान) आपके यहां से कितने हुए हैं? बस यों मूंछे तानने से काम नहीं चलता है, ज्ञानदेवजी।

श्री संयम लोढ़ा : भारत सरकार को लिखो तो सही कि सही गुणवत्ता के ताबूत भेजे जाएं।

श्री अध्यक्ष : श्री मंगलाराम गोदारा। एक ही पूछा है उन्होंने सप्लीमैंटरी।

श्री मंगलाराम गोदारा : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके द्वारा मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि मेरे डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कैप्टन चन्द्र चौधरी साल भर पहले शहीद हुआ था। उस गांव में एक ही स्कूल है। उस स्कूल का अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। इसलिए मंत्रीजी यह बताएं कि इस स्कूल का नामकरण कब तक कर दिया जाएगा?

दूसरा, मेरा सवाल है कि कैप्टन चन्द्र चौधरी के लिए स्टेडियम के लिए जमीन अलाटमेंट करने के लिए राज्य सरकार को दे रखा था, वह अभी तक अलाट नहीं

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मंगलाराम गोदारा)

हुई, वह कब तक हो जाएगी? यह आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जो शहीद हुए हैं उनके कितने परिवारों को नौकरी दी जा चुकी है? कम से कम यह बताएं कि जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों में कितने लोगों को नौकरी अभी तक दे दी है? यह बताएं।

श्री अध्यक्ष : बैठिए श्रवण कुमारजी। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री श्रवण कुमार : इसका जवाब तो दिलाओ कितने परिवारों के लोगों को नौकरी नहीं दी है, केवल कागजों में बात हुई है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे कितने परिवार हैं जिनको नौकरी आज तक नहीं दी है, केवल कागजों में बात होती है। (व्यवधान) कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शहीदों के परिवारों को आज दिन तक नौकरी नहीं दी है केवल कोस्पौडेंस किया गया है, कागजों में हुआ है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, यह तो बता दें नौकरी...

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शहीदों के परिवारों को आज तक नौकरी नहीं दी गयी।

श्री अध्यक्ष : श्रवण कुमारजी, बैठिये।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, यह तो बता दें...

श्री अध्यक्ष : अब नहीं बताया जाएगा, अमराराम जी आप बैठिए। मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन काल कर लिया है...(व्यवधान) नहीं, यह किस प्रकार की जिद है। सदन के अन्दर? आप बैठिए। छह दफे पूछ चुके हैं आप सप्लीमैंटरी। नैक्स्ट क्वेश्चन काल कर लिया है।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी व जमुवारामगढ़ के विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति

488. **श्री कन्हैया लाल (बस्सी) :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी एवं जमुवारामगढ़ के अधिकांश विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को वर्ष 2001 व 2002 की छात्रवृत्ति अब तक नहीं दी गयी है? यदि हां, तो क्यों एवं कौन-कौनसे विद्यालयों में नहीं दी गई?

(2) क्या सरकार जिन विद्यालयों में गत वर्ष एवं इस वर्ष छात्रवृत्ति नहीं दी गई उन्हें अब शीघ्र भुगतान देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण मंत्री (श्री छोगाराम बाकोलिया): (1) जी हां। विवरण

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

परिशिष्ट–अ पर संलग्न है। पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने के कारण उक्त छात्रवृत्ति राशि का भुगतान नहीं हो सका।

(2) जी हां।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

श्री कन्हैया लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि (व्यवधान) मैं पूछ रहा था क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी एवं जमुवारामगढ़ के अधिकांश विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र–छात्राओं को वर्ष 2001 व 2002 तक की छात्रवृत्ति अब तक नहीं दी गई है? माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, खण्ड–अ में आपने बताया है कि छात्रों को बजट के अभाव में छात्रवृत्ति नहीं दी गयी। माननीय मंत्रीजी बताएं कि आपके पास बजट किस किस वर्ष में नहीं था, तथा अब कब तक आपके बजट की व्यवस्था कर दी जाएगी और अनुसूचित जाति–जनजाति के छात्रों के लिए ही बजट नहीं है क्या आपके पास? मंत्रीजी, आपने जो सूची दी है उसमें माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची के अलावा क्या अन्य विद्यालय ऐसे रह गए हैं इस क्षेत्र में जिनमें छात्रवृत्ति नहीं दी गयी? क्या यह बताने का कष्ट करेंगे?

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा है बस्सी और जमुवारामगढ़ के स्कूलों के जिनकी छात्रवृत्तियां शेष रह गयी हैं उसकी लिस्ट परिशिष्ट–1 में पूरा डिटेल दे दिया कौन कौनसी स्कूल और सारी, पच्चीस जमुवारामगढ़ की, ग्यारह विद्यालय बस्सी के हैं और उनमें सभी के राशि और दूसरे सभी बता दिए गए हैं। जहां तक छात्रवृत्ति नहीं देने के कारण, बजट का प्रोवीजन नहीं होने के कारण से बजट कम अलाट हुआ गवर्नमेंट आफ इण्डिया से, जिसके कारण से छात्रवृत्ति नहीं बढ़ सकी है और उसके लिए प्रयास जारी है। कम से कम चार–पांच पत्र हमने लिख दिए जो कि दिनांक 5.10.2002 को लिखा है, 29.10.2002 को लैटर लिखा है, पत्र दिनांक 13.12.2002 को लिखा है, अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 15.1.2003 को लिखा है, पत्र दिनांक 10.2.2003 को लिखा है, पत्र दिनांक 11.3.2003 को लिखा है और पत्र दिनांक 25.3.2003 को लिखा गया है। जो गवर्नमेंट आफ राजस्थान की लायबिलिटीज हैं उत्तर मैट्रिक की उसमें गवर्नमेंट आफ इण्डिया के 669.12 लाख की जो है भरपूर्ति होनी बाकी है और शिड्यूल्ड ट्राइब की 300.57 लाख का अभी तक बजट अलाट होना बाकी है। इस कारण से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाया।

मैं माननीय सदस्यों को एश्योर करता हूं कि शीघ्र इसकी कार्यवाही करवाकर के जल्दी से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे।

श्री कन्हैया लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से मात्र यह पूछा था कि यह बजट किस किस वर्ष का बकाया है, किस वर्ष तक इसकी पूर्ति कर देंगे तथा जो आपने सूची दी है। 11 और 25 की, इसके अलावा भी सैकड़ों विद्यालय ऐसे रह गए हैं जिनमें छात्रवृत्ति नहीं मिली है?

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपके क्षेत्र में तो कोई दूसरे रहे नहीं हैं बाकी राजस्थान के रहे हैं तो वह अलग बात है। इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं है।

श्री कन्हैया लाल : मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं। मैं जमवारामगढ़ और बस्सी विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं जो रह गयी हैं उनकी, और एक नहीं, सैकड़ों विद्यालय रह गये हैं। माननीय मंत्री महोदय, आप यह अधूरा जवाब दे रहे हैं मुझे। किस-किस वर्ष से बकाया है, बताने का कष्ट करें।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दस करोड़ रुपये आपके बकाया बता रहे हैं, यह कितने विद्यालयों के बकाया है छात्रवृत्ति और कितने वर्ष से बकाया है, यह बताएं।

श्री अध्यक्ष : और उसका...(व्यवधान) बजट नहीं मिल रहा है। बराबर ही पत्र लिख रहे हैं...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पत्र तो लिख दिया। राजस्थान गवर्नमेंट का कितना शेयर उसमें है और राजस्थान गवर्नमेंट का शेयर रखा है क्या?

श्री कन्हैया लाल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि किस वर्ष से बकाया है?

श्री जीतमल खांट : बांसवाड़ा जिले में भी 2001-2002 की छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिली है...

श्री अध्यक्ष : बैठो, आने दो... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर होते तो पत्र नहीं लिखते, दिल्ली जाकर ले आते। दिल्ली जाकर उनके विभाग से सम्पर्क करते। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये आप गम्भीर नहीं हो। पत्र लिखा, पत्र लिखा...आप जाकर वहां सम्पर्क करते, पत्र ही लिखते और क्या करते...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री दिलावर, बैठो। श्री आहूजा...(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : हम तो पूरे गम्भीर है, आप गम्भीर नहीं हैं। आपको इतना सारा पूरा विवरण दिया है, गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने छात्रवृत्ति रिलीज नहीं की है, जिसकी पूरी डिटेल मैंने दे दी। 300.69 लाख नहीं मिले हैं।

श्री मदन दिलावर : लगभग दस करोड़ रुपये बकाया हैं। राजस्थान सरकार ने अपना शेयर दे दिया क्या?

श्री छोगाराम बाकोलिया : 169 और नहीं मिले, जोकि हमने संशोधित मांग की है। उन्होंने एश्योर किया है कि हम जल्दी ही इसको रिलीज कर देंगे। ज्योंही रिलीज होगी, कैश में दे देंगे।

श्री कन्हैया लाल : माननीय अध्यक्षजी, मैंने मंत्री महोदय से पूछा है कि किस वर्ष से बकाया है? क्या यह सही है कि पिछले चार वर्ष से अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति बकाया है?

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपने प्रश्न पूछा है 2001-2002 का, उसके जवाब में परिशिष्ट "अ" पर लिस्ट दे दी है कि जिसमें विधान सभा क्षेत्र बस्सी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बस्सी के पच्चीस हजार बाकी हैं। और डिटेल सुनना चाहते हो तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तूंगा में कक्षा छह से दस के लिये कोई बाकी नहीं है और कक्षा ग्यारह से बारह के लिये 44,640 की बाकी है।

श्री कन्हैया लाल : यह तो आपने सूची में दे दिया है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : हां, दे दिया है तभी तो कह रहा हूं। जो लिस्ट छपी है उसका प्रदर्शन चाहते हैं तो... (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : मैं आपसे सप्लीमेंटरी पूछ रहा हूं। क्या यह सही है कि 1999 से राशि बकाया है?

श्री छोगाराम बाकोलिया : कोई बाकी की आपने पूछा ही नहीं है और न कोई बकाया है।

श्री कन्हैया लाल : मैं मंत्री महोदय, आपसे पूछ रहा हूं कि क्या 1999 से छात्रवृत्ति बकाया है?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री छोगाराम बाकोलिया : 2001 2002 की लिस्ट मैंने आपको दे दी है, फिर भी अगर आप पूछते हो तो इस साल की बकाया में 2002-2003 में 25 स्कूल जमुवारामगढ़ के हैं...

श्री कन्हैया लाल : मेरा उत्तर नहीं आ रहा है। मैं मात्र यह पूछ रहा हूं क्या 1999 से छात्रवृत्ति बकाया चली आ रही है? (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : पूछा ही नहीं है तो क्या बताऊं...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : माननीय मंत्री महोदय, बांसवाड़ा...

श्री अध्यक्ष : आपको मैंने अनुमति नहीं दी है। श्री घासीलाल मेघवाल।

श्री जीतमल खांट : पूरे राजस्थान का मामला है।

श्री बाबूलाल नागर : यह पूरे राजस्थान लेवल का मामला है, मंत्री महोदय, इसको आप गम्भीरता से लें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। बाबूलालजी। श्री घासीलाल मेघवाल।

श्री घासीलाल मेघवाल : किसी कांस्टीट्वेंसी का नहीं, पूरे राजस्थान का मामला है। चाहे किसी भी जिले को आप ले लो, अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है, अगर एस.सी. के छात्र को मिल गयी तो ट्राइब के छात्र को नहीं मिली, जो बजट मिलना चाहिये स्कूलों में, वह पूरा बजट नहीं मिल पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि कब तक छात्रवृत्ति दिला दी जाएगी?

श्री अध्यक्ष : श्री अशोक।

श्री कन्हैया लाल : मेरा उत्तर तो दे दो।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) **:** जो छात्रवृत्तियां मान्यता प्राप्त विद्यालयों और निजी विद्यालयों को दी जाती हैं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से। आप उनको कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते हैं? छात्रवृत्ति का जो वह डिस्ट्रिब्यूशन दिखाते, वास्तव में बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, कागजों में खुर्द बुर्द करके अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति हड़प लेते हैं। ऐसी शिकायत मेरे सवाईमाधोपुर जिले में दर्ज हुई है और क्या आप यह... (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : मेरा उत्तर दिलाओ। मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाओ।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये।

श्री अशोक बैरवा : माननीय सदस्य, मेरा बहुत अहम् सवाल है। समाज कल्याण विभाग जिन विद्यालयों को छात्रवृत्ति देता है, निजी विद्यालयों को, वहां अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों की छात्रवृत्ति कागजों में तो दिखा दी जाती है परन्तु उनको मिलती नहीं है वास्तव में। ऐसी शिकायत सवाई माधोपुर में दर्ज हुई है। क्या ऐसे मामलों में आप कार्यवाही करके ऐसे विद्यालयों को पाबन्द करेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न बस्सी, जमुवारामगढ़ के सम्बन्ध में है। आप बैठिये।

श्री जीतमल खांट : बांसवाड़ा जिले में भी दो साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। छात्रों के सामने बहुत बड़ा संकट है...

श्री अध्यक्ष : अप्रासंगिक, इर्रेलेवेंट है। बैठिये खांट, साहब।

श्री जीतमल खांट : अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों के लिये बजट नहीं है क्या? सम्पूर्ण जनजाति छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष : कन्हैया लालजी, बैठिये आप...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जनजाति छात्रों के लिये बजट नहीं है क्या? दो-दो साल बीत गये, अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को आज दिन तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : अभी थोड़ी देर पूर्व श्री जसवन्त सिंह गुर्जर ने अभिव्यक्ति इस सदन में कही थी, इसको मैं विलोपित करता हूं। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री किरोड़ी लाल।

आमेर (जयपुर) में विदेशी नागरिक द्वारा गठित ट्रस्ट की जांच

489. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोई विदेशी व्यक्ति बीजा पर रहते हुए राजस्थान में ट्रस्ट गठित कर सकता है? यदि नहीं, तो गठन के नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इग्लैण्ड निवासी डा. रश्मि डिकिन्सन व उसके पति जसर्टन डिकिन्सन द्वारा आमेर ट्रस्ट का गठन किया गया है? यदि हां, तो ट्रस्ट के बाइलाज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 27.11.2002 को प्रतिनिधि मण्डल द्वारा मुख्य मंत्री को ज्ञापन देकर उक्त ट्रस्ट की शिकायत की गयी? यदि हां, तो उक्त ट्रस्ट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, देवस्थान (डा. जितेन्द्र सिंह) : (1) किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा बीजा पर रहते हुए राजस्थान राज्य में धार्मिक एवं पुण्यार्थ प्रयोजन के लिये ट्रस्ट गठित करने अथवा नहीं करने के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 व इण्डियन ट्रस्ट एक्ट में स्पष्ट मनाही नहीं है। सम्बन्धित प्रावधान परिशिष्ट-1 पर है।

(2) इंग्लैण्ड निवासी डा. रश्मि डिकिन्सन द्वारा इस विभाग में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत आमेर ट्रस्ट का पंजीयन नहीं कराया और न ही आमेर ट्रस्ट नाम से किसी ट्रस्ट का पंजीयन हुआ है। अतः चाहे गये बाई-लाज भी विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(3) जी हां। प्रकरण जांच हेतु नगरीय आवासन विभाग को प्रेषित किया हुआ है।

(प्रावधान के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न दो के जवाब में बताया कि आमेर ट्रस्ट नाम से कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, कल यह मामला सदन में आया था और सरकार कह रही थी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है और इसको जमीन अलाट की गयी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा क्या यह सही है कि सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 1906, के द्वारा उप

(डा. किरोड़ी लाल)

शासन सचिव यू.डी.एच., जयपुर को भी पत्र लिखकर यह सूचना दी थी कि आमेर ट्रस्ट राजस्थान प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत पंजीकृत प्रन्यास नहीं है, जिसे विधिक मान्यता प्राप्त नहीं है, उसके बाद भी इसे लैंड अलाट कर दी गयी?

क्या यह सही है कि विधि विभाग की अधिसूचना 28 जुलाई, 2002 के अनुसार कोई विदेशी नागरिक राज्य में अचल सम्पत्ति नहीं खरीद सकते? यदि हां, तो आमेर ट्रस्ट की संस्था को किस हैसियत से सरकार ने जमीन अलाट की?

क्या यह सही है कि रश्मि डिकिन्सन का मूल ट्रस्ट ज्योति चेरीटेबल ट्रस्ट नम्बर 1084574 लंदन में संचालित है, जिसके धन से आमेर ट्रस्ट के द्वारा संदिग्ध गतिविधियां चलायी जा रही हैं?

क्या यह सही है कि रश्मि डिकिन्सन को लंदन की नागरिकता प्राप्त है जो भारत सरकार एवं आर.बी.आई. के निर्देशों के अनुसार एन.आर.आई. नहीं हो सकती। रश्मि डिकिन्सन एवं उसके पति बीजा में जिस उद्देश्य से आए थे उससे भिन्न उद्देश्य से यहां पर कार्य कर रहे हैं जो फारेनर्स एक्ट का उल्लंघन है? क्या राज्य सरकार फारेनर्स एक्ट में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इरादा रखती है?

मंत्री महोदय, 27.11.2002 को माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस सम्बन्ध में ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन पर सरकार कोई कार्यवाही करने की मंशा रखती है?

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य किरोड़ी लालजी ने पूछा है आमेर ट्रस्ट के सम्बन्ध में कि यह रजिस्टर्ड है अथवा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय ट्रस्ट एक्ट की धारा 7 में स्पष्ट प्रावधान है कि हरेक व्यक्ति ट्रस्ट का गठन कर सकता है। जहां तक सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर के सन्दर्भ में माननीय सदस्य का यह कहना है कि कोई विदेशी ट्रस्ट का सदस्य नहीं हो सकता है। मैं इस बिन्दु का विधि विभाग से परीक्षण कराकर समुचित निर्देश जारी करूंगा।

मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि सहायक आयुक्त, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास एक्ट 57 के सन्दर्भ में यह लिखा और यह धारा उन्हीं ट्रस्टों पर लागू होती है जो विशेष रूप से सरकार द्वारा गजट में नोटिफाइड हैं। और यह ट्रस्ट चूंकि नोटिफाइड नहीं है, अतः इसके ऊपर यह इम्प्लीमेंट नहीं होता है।

नम्बर दो, वित्त विभाग की अधिसूचना 28.7.2000 को जारी हुई थी, जिसमें फोरेन नेशनलिटी को प्रोपर्टी परचेजिंग के अधिकार नहीं थे जबकि इसमें डिकिन्सन, को नहीं बल्कि उनके फादर-इन-ला हैं मिस्टर बैजनाथ सिंह, उनको 2.5.2001 को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन अलाट की गयी है तो नेचुरली वह करीब

(डा. जितेन्द्र सिंह)

एक वर्ष बाद जमीन अलाट की गयी। उसके ऊपर फाइनेंस डिपार्टमेंट का यह राइडर लागू नहीं होता है।

नम्बर तीन, रश्मि डिकिन्सन की नेशनलिटी के बारे में पूछा है और आपने कहा है कि उनका इंग्लैण्ड के अन्दर अपना ट्रस्ट है और वहां से उनकी मनी आती है। यह रश्मि डिकिन्सन की नेशनलिटी क्या है और इसका ब्रिटेन में अपना ट्रस्ट है यह सब्जेक्ट गवर्नमेंट आफ इण्डिया का है और यह गवर्नमेंट आफ इण्डिया से आप अगर इसके बारे में पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा। यही अर्ज करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया कि आमेर ट्रस्ट नाम का कोई ट्रस्ट वहां है ही नहीं, तो फिर क्या कारण है आपके इसी ट्रस्ट के नाम जे.डी.ए. के उपायुक्त जोन-2 ने दिनांक 21.10.2002 को जो आबंटन पत्र जारी किया है उसमें लिखा है अध्यक्ष, आमेर ट्रस्ट, पर्वत सूर्य का बाग, वन तालाब, जयपुर। आपने 25 परसेंट रिजर्व प्राइस पर जो जमीन अलाट की वह इसलिए कि यह ट्रस्ट सार्वजनिक कामों में जनता के सहयोग के लिए संलग्न है। अगर यह ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं था, क्या दूसरे किसी व्यक्ति को जो जमीन मांगे उसको आप 25 प्रतिशत रिजर्व प्राइस पर जमीन अलाट कर सकते हैं?

नम्बर दो, पहली बार जो आपने डिमाण्ड नोटिस जारी किया वह 50 लाख रुपये का था। फिर क्या कारण है कि आपने मात्र साढ़े 12 लाख रुपये लेकर के वह बेशकीमती जमीन, जिसकी कीमत कम से कम 3 करोड़ है, साढ़े 12 लाख में आपने, जिसको कि आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट नहीं है, तो फिर आपने उसको जमीन आबंटित कैसे कर दी?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपका क्या हुआ?

डा. किरोड़ी लाल : यह क्या है... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : जवाब नहीं दे सकते हैं? यह क्या मामला है, यह क्या बात है...(व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह : मैं बोल देता हूं, मैं कह देता हूं...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यह तो कटघरे में खड़े हैं। मुख्य मंत्री भी खड़े हो सकते हैं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सारी गड़बड़ की है...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मुख्य मंत्रीजी खड़े हो सकते हैं। सारा हंगामा इन्होंने किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी खड़े हो सकते हैं, समझ में आता है। यह क्या तरीका है, दो करोड़ की जमीन साढ़े बारह लाख में दे दी।

डा. किरोड़ी लाल : चोर की दाढ़ी में तिनका...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : डा. साहब भले आदमी हैं, फंसा दिया क्या डाक्टर साहब को...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह तो आरोपी हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह : गवर्नमेंट आफ इण्डिया का यह रहा...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) **:** आप आरोप लगा रहे थे। आप एक-एक करके जवाब सुनिये...(व्यवधान) एक-एक करके जवाब सुनना है आपको...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : इनको इससे क्या तकलीफ है...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह कल आरोप लगा रहे थे, एक-एक आरोप का जवाब सुनना माननीय मंत्रीजी का।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है, यह हैं कौन...(व्यवधान) यह शरीफ मंत्री हैं, घोटाले तो आपके टाइम में हुए हैं, क्या सुनें आपसे...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप सुनें...(व्यवधान) जवाब सुनें...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, घोटाला किया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जवाब सुनें, अब जवाब सुनें...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री खुद जवाब दे रहे हैं...(व्यवधान) प्रश्नकाल के अन्दर दूसरा आदमी इंटरवीन कर रहा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप क्या देंगे...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रश्नकाल के अन्दर दूसरा मंत्री आकर के खड़ा हो जाये। जब देवस्थान मंत्री खड़े हों, या तो मुख्य मंत्री खुद खड़े हो करके जवाब दें...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : यदि मंत्री के पास जानकारी है। आप मंत्री थे...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : इन्होंने तो घोटाला किया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रश्नकाल के अन्दर यह कैसे दे सकते हैं...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय की परमिशन से यह इंटरवीन कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह हैं कौन बीच में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कल पर्ची के मार्फत डा. किरोड़ी लाल इस पर आधा घंटा बोले थे, मैं सुन रहा था और आज प्रश्न आ गया है इसलिए जे.डी.ए. के जो पहले मिनिस्टर रहे हुए हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जे.डी.ए. के वर्तमान मिनिस्टर हैं न...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये, अध्यक्ष महोदय को सुनें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्योंकि इनका सम्बन्ध उससे है, इसलिए मैं श्री धारीवाल को बोलने की इजाजत देता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : घोटाला इनके ही टाइम में हुआ है।

डा. चन्द्रभान : आप जवाब सुन लीजिये।

श्री मोहन लाल मोदी : इनके घोटाले भी बता देना धारीवालजी।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इनसे जवाब दिलवायें। आप जवाब दिलायेंगे तो इनको इस घोटाले की पूरी बात हमारी भी सुननी पड़ेगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप सुनिये। अब आप सुनें पहले...(व्यवधान) आप पहले सुनें, मैं बता देता हूं। आप पहले सुना दो मैं बैठ जाता हूं।

डा. किरोड़ी लाल : पूरी बात हमारी भी सुननी पड़ेगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पहले आप सुन लें, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : क्या सुनेंगे। सारी जमीनों को बेच खायी। सारे राजस्थान की जमीनों को बेच खायी।

श्री संजीव कुमार : आप बैठ जायें... (व्यवधान) यह अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बोल रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, कल 12.40 पर पर्ची के द्वारा बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह इससे सम्बन्धित जवाब है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो किस पर्ची से सम्बन्धित है? **किस प्रश्न से** सम्बन्धित है? उसी प्रश्न से **सम्बन्धित** है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह प्रश्न का जवाब है? आपको डिबेट के लिये अलाउ नहीं किया है...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यह क्या है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसी प्रश्न का जवाब है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह डिबेट हो रही है कि प्रश्न का जवाब है...(व्यवधान) आपने प्रश्न का जवाब देने के लिए अलाउ किया है...(व्यवधान)

श्री सोहन नायक : मंत्रिमण्डल की कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी है, मंत्रिमण्डल के सदस्यों की रेस्पोंसिबिलिटी है और आपको सुनना पड़ेगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह क्या जवाब है...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जब उन्होंने यह कहा कि नगरीय विकास विभाग के मंत्री का सीधा हाथ है, मैं चार्ज लगाना चाहता हूं कि सरकार ने इसमें घोटाला किया है, गबन किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपके ऊपर कोई नहीं हो सकता है। हमें आपके प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। आपने जवाब देने के लिए कहा है, इन्होंने डिबेट चालू कर दी है। यह प्रश्न का जवाब थोड़े ही है...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : क्या है, आरोप लगाया है इसलिए कहा है, आरोप लगाया है कि नहीं लगाया है, वह जवाब दे रहे हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : डिबेट चालू हो गयी यहां तो...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह नयी परम्परा हो रही है।

श्री मोहन लाल मोदी : अब आप सुनने की तो हिम्मत रखिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह नयी परम्परा डाल रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसी बात का जवाब है। मेरे जवाब में टोटल रेलेवेंसी है, उस प्रश्न से मैं बिलकुल बाहर नहीं जाऊंगा। आप बेफिक्र रहें मैं इसके बिलकुल बाहर नहीं जाऊंगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : प्रश्न का जवाब दें...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एक नयी परम्परा डाल रहे हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दो मिनट में अभी चला जायेगा क्वेश्चन आवर तो, 12 बजे खतम हो जायेगा। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप आरोप लगा दें और सुनना भी नहीं चाहते। आप मन में आये जो आरोप लगा दें और सुनना भी नहीं चाहे किसी को।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब आप क्यों खड़े हुए। यह प्रश्नकाल है, आप उस प्रश्न का जवाब दें।

श्री मदन दिलावर : सारे राजस्थान को खा गये...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न का जवाब दें पहले, यह प्रश्नकाल है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये माननीय सदस्य, धर्मपाल चौधरी। श्री मदन दिलावर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब दें।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की परम्परा नहीं डाले कि पर्ची के माध्यम से मामला उठाया है। कल क्या हो गया था इनको...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिना अनुमति के खड़े हो रहे हैं, अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय ने अवसर दिया है, इनको बोलने दीजिये, सुनने की हिम्मत रखिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री मोहन लाल मोदी : XXX

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय मंत्री महोदय को जो प्रश्न खड़ा हुआ उनके उत्तर देने के लिए अलाउ किया है, इनका वक्तव्य इसी प्रश्न से ही सम्बन्धित होना चाहिए। पहले कल कोई बात हुई है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : The Cabinet is jointly responsible to this House.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसी से सम्बन्धित है।

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह प्रश्नकाल है। प्रश्न से सम्बन्धित यदि आवश्यकता है तो उसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसी प्रश्न से सम्बन्धित है।

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, 20.9.1993 को यह आमेर ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री सोहन नायक : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जवाब सुनने से डरते क्यों हो?

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : डरते क्यों हो जवाब सुनने से?

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

डा. चन्द्रभान : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरे पीछे से आरोप लगा दिया...(व्यवधान) हिम्मत हो तो सामने लगाकर देखो।

(अध्यक्षपीठ द्वारा श्री शांतिकुमार धारीवाल, पर्यटन मंत्री, के अतिरिक्त अंकित न करने के आदेश)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : (व्यवधान) आरोप लगाया है तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखो। +++

श्री संजीव कुमार (भादरा) : XXX

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर) : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री बाबूलाल नागर : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : घबराते क्यों हो? आपकी पोल खुल गई है। आपके समय में घोटाले हुए हैं। आप सुनो इसे।

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : XXX

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : XXX

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना): XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। इनको छोड़कर अंकित न हो। अंकित न हो।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर नारेबाजी)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके शासन के अन्दर ये घोटाले हुए हैं।

श्रीमती बीना काक (वन मंत्री) : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, 30.11.1998 को यह ट्रस्ट रजिस्टर हुआ और 1.9.2000 को श्री डिकिंसन ने इस ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 1.9.2000 को इसके ट्रस्टी रश्मि के फादर और रश्मि के हज्बैंड बनाए गए और 30.10.2000 को रश्मि इसकी आनरेरी निर्देशिका नियुक्त की गई। इसके बाद इनको आबंटित...(व्यवधान) रजिस्टर हुआ है। यह जमीनं पथरीली है और अविकसित है, कृषि योग्य नहीं है। सामाजिक कार्यों के लिए इन ट्रस्टीज को आरक्षित दरों पर...(व्यवधान) कम में करके इसको देना स्वीकार किया है। इसमें यह शर्त भी लगाई है कि आरक्षित भूमि के मूल्य की 25 प्रतिशत राशि खर्च करेंगे। ट्रस्ट को भूमि आबंटन ट्रस्ट के कार्यों को देखकर और ट्रस्टियों के (व्यवधान) यह सब कुछ तय किया गया। जे.डी.ए. भूमि आबंटन के सम्बन्ध में जनरल कण्डीशन लगाया करती है। राजस्थान सरकार ने उससे अधिक भूमि आबंटन की बाबत इसमें और शर्तें लगाई। यह शिकायत आई कि आसपास के लोगों ने (व्यवधान) उसकी जांच करवाई गई। यह शिकायत झूठी पाई गई। मैं यह पूछना चाहता हूं, भाजपा के माननीय सदस्यों से कि नियमों के विपरीत राज्य सरकार द्वारा कौनसा काम किया गया? अनुसूचित जनजाति के हैं...(व्यवधान) मंत्री पर चार्ज लगाने की जरूरत है? अध्यक्ष महोदय, ये +++ और यह उद्योग मंत्री चन्द्रभानजी ने यह कहा है इस बीच में (व्यवधान) मैं भी आपसे दरख्वास्त करता हूं (व्यवधान) अधिकारियों से मिले हुए और (व्यवधान) दूध का दूध और पानी का पानी हो। (व्यवधान)

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. सी. पी. जोशी (नीति निर्धारण मंत्री) : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आधा घण्टे की चर्चा करवा लो। मेरे पास किरोड़ी लाल मीणा के कागजात भी हैं, मैं चाहता हूं, उनको भी दिखाऊ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्न का समाप्त (व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जेलों की व्यवस्था में सुधार हेतु उपाय

779. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या जेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में जेलर, सहायक जेलर, उप जेलर, अधीक्षक, उप अधीक्षक के पद स्वीकृत होने के बावजूद लम्बे समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो क्यों? रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पद रिक्त रहने के कारण जेलों की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है? क्या कमजोर सुरक्षा व्यवस्था के कारण विभिन्न जेलों से कैदी भाग निकले हैं? यदि हां, तो वर्ष 1999 से 2002 तक कितने कैदी भागे? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राज्य की जेलों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने में नाकाम विभागाध्यक्षों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर इन्हें वर्तमान पदों से हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के कारण पदोन्नति पर प्रतिबन्ध व राजस्थान जेल अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 में विस्तृत संशोधनों का विचाराधीन होना रहा है। रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) पूर्ण रूप से सही नहीं है, दिनांक 1.1.1999 से 20.2.2003 तक राज्य की कारागृहों से 45 बंदी फरार हुए हैं। तथा इसके अतिरिक्त जेल अभिरक्षा से अन्य स्थानों से 8 बंदी फरार हुए हैं। फरार बंदियों की सूची परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) फरारी की घटनाओं के सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही की जाती है। फरारी के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार दण्डित किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

आदिवासी खातेदारों की भूमि पर गैर आदिवासी खातेदार

780. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ की तहसील छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, अरनोद, प्रतापगढ़, धरियावद, सलूम्बर, सराड़ा, खैरवाड़ा, झाडोल, कोटड़ा, गोगून्दा तथा गिर्वा के कितने आदिवासी खातेदारों की खाते की भूमि पर गैर आदिवासियों ने कब्जा कर रखा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त तहसीलों में निवास करने वाले जनजाति वर्ग की खाते की भूमि गैर आदिवासियों के कब्जे, रहन बेनामी हस्तान्तरण का कोई सर्वे करवाया गया है? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी प्रतापगढ़ एवं अरनोद में से केवल छोटी सादड़ी में 2 आदिवासी खातेदार की खाते की जमीन पर गैर आदिवासियों ने कब्जा कर रखा है। सूची संलग्न है। शेष तहसील जिला बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर से सम्बन्धित नहीं है।

(2) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

जिला जैसलमेर में भूमिहीन काश्तकारों को भू-आबंटन

781. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा मरुस्थलीय जिलों में कृषि भूमि नियमन तथा भूमिहीन काश्तकारों को भूमि आबंटन की स्वीकृति दी गई है?

(2) जिला जैसलमेर में कितने काश्तकारों को कितनी भूमि नियमन की गई है?

(3) क्या यह सही है कि काश्त योग्य बारानी भूमि आबंटन हेतु सर्वे कर के सम्भागीय आयुक्त को आबंटन की स्वीकृति के अधिकार दिये हैं?

(4) उक्त जिले में कितनी भूमि आबंटन हेतु घोषित की गई है? तहसील वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त जिले में कृषि भूमि बारानी के आबंटन का विचार रखती है? यदि हां, तो प्रक्रिया कब प्रारम्भ की जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जिला जैसलमेर में 363 काश्तकारों को 2399.11 एकड़ भूमि नियमन की गई है।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी हां। काश्त योग्य बारानी भूमि आबंटन हेतु सर्वे उपरान्त सम्भागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी को अनुमोदन के अधिकार है।

(4) जिले में अभी तक आबंटन योग्य भूमि घोषित नहीं की गई है।

(5) जिले में आबंटन योग्य भूमि का अनुमोदन सम्भागीय आयुक्त महोदय के अधीनस्थ गठित समिति द्वारा होने पर आबंटन कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम तलवाड़-बिन्दुपुरा (अलवर) में अवैध अतिक्रमण

782. श्री अरुण सिंह (डीग) एवं **श्री उदय सिंह राठौड़** (बनीपार्क): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार बहरोड, जिला अलवर द्वारा कुछ समय पूर्व ग्राम तलवाड़ (मोहम्मदपुर) तहसील बहरोड में ग्राम तलवाड़-बिन्दुपुरा व मन्दिर श्री ठाकुरजी के मध्य स्थित जोहड़ व बंजर भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों गांवों व मन्दिर के बीच स्थित बंजड़/जोहड/सवाई चक भूमि पर प्रभावशाली व्यक्तियों के कुछ अतिक्रमण छोड़ दिये गये और उन्हें नहीं हटाया गया? यदि हां, तो क्यों? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बकाया अतिक्रमण कब तक हटा दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है जो अतिक्रमण गै.मु. जोहड़ पर था, उस समस्त अतिक्रमण को हटवा दिया गया है। केवल मात्र एक पानी की खेल, जो सार्वजनिक उपयोग (पशुओं को पानी पीने) में आ रही है, जो नहीं हटाया गया है। किसी व्यक्ति विशेष का अतिक्रमण नहीं छोड़ा गया है। अन्य सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण तलवाड़ के ख.नं. 1630/1993, 1740 एवं सरविंदपुरा के खसरा नम्बर 907, मोमनपुर के खसरा नम्बर 1877, 725 पर काश्त की हुई है। सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण बाबत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही जैरकार है।

(3) उक्त अन्य सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण बाबत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही जैरकार है।

ग्राम हुलमाना खुर्द (अलवर) में नियम विरुद्ध भू-आबंटन

783. श्री अरुण सिंह (डीग) एवं **श्री उदय सिंह राठौड़** (बनीपार्क): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अरुण सिंह)

(1) क्या यह सही है कि तहसील मुण्डावर, जिला अलवर के ग्राम हुलमाना खुर्द में खसरा नम्बर 194 व 197 रकबा 25 बीघा, राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक 499/डीएस/एसएस एण्ड ए/66 दिनांक 21 मई, 1966 के द्वारा आबंटित की गई थी? यदि हां, तो क्यों? उक्त पत्र व आबंटन हेतु जिला कलक्टर अलवर व सरकार को मिले प्रार्थियों के पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रार्थना पत्र देने वाले दुर्घटना में मृतक सैनिक गनर बुधराम नं. 1174034 के चारों भाई नाबालिग भी नहीं थे व वारिस भी नहीं थे तथा नियमों में दुर्घटनाग्रस्त को तथा मृतक के उत्तराधिकारी नहीं होने पर अन्य को आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है? यदि हां, तो नियम विरुद्ध कार्यवाही के लिए कौन जिम्मेदार है?

(3) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर ने तथा उप सचिव राजस्व ने अपने पत्र दिनांक 29.3.1966 द्वारा नियम विरुद्ध आबंटन नहीं करने के निर्देश दिये थे? यदि हां, तो उक्त आबंटन किस आधार पर किये गये? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि आबंटन के समय उक्त भूमि के एक हिस्से में नया गांव (हुलमाना खुर्द) की लगभग आधी आबादी बसी हुई थी फिर भी उस आबादी वाले हिस्से का भी आबंटन कर देने पर हल्का पटवारियों द्वारा खसरा गिरदावरी में लगातार कृषि जिन्स दिखाने से अब वहां उक्त प्रभावशाली आबंटियों की 35 वर्ष पश्चात् आबंटन से पूर्व से बसे हुए ग्रामवासियों से ग्राम में आये दिन झगड़ हो रहे हैं? ग्राम हुलमाना खुर्द के उक्त खसरों में बसे आबादी क्षेत्र का ब्लूप्रिंट सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त अवैध एवं गांव के आबादी क्षेत्र में किये गये आबंटन व गलत खसरा गिरदावरियों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार तहसील मुण्डावर जिला अलवर के ग्राम हुलमाना खुर्द के खसरा नम्बर साबिक 197 रकबा 23 बीघा 02 बिस्वा भूमि का दिनांक 27.4.1966 को आबंटन सलाहकार समिति द्वारा बुधराम सैनिक मृतक पाक आक्रमण को कलक्टर से स्वीकृति प्राप्त होने की शर्त पर पाया गया है। खसरा नम्बर 194 रकबा 8 बीघा स्कूल प्राइमरी के नाम आबंटन होना पाया गया है। दिनांक 27.4.1966 को आबंटन में भूमि आबंटन मिल्ट्री पर्सन्स को किया जाना अंकित है। प्रश्न के बिन्दु संख्या 1 में उल्लिखित

(राजस्व मंत्री)

सन्दर्भ के आधार पर पत्रावली तलाश की जा रही है। पत्रावली के अभाव में वांछित पत्रों की प्रतियां दिया जाना सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं। नियमों में मृतक सैनिकों के वारिसान को भू-आबंटन का प्रावधान है। 1966 में प्रचलित नियमों के अन्तर्गत इस आबंटन की जांच हेतु जिला कलक्टर को निर्देशित किया जा चुका है।

(3) बिन्दु संख्या 1 के अनुसार सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध होने पर ही अलाटमेंट की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

(4) हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 197 के हाल खसरा नम्बर 281 रकबा 8 बीघा भूमि पर आबंटन से पूर्व आबादी बसी होना तथा खसरा गिरदावरी संवत् 2022 लगायत 2025 में उक्त रकबे को पड़त एवं काश्त होना अंकित है।

स्थिति विरोधाभास होने के कारण जिला कलक्टर को जांच के निर्देश दिये गये है। सम्बन्धित खसरा नम्बर 281 व 282 की नक्शाट्रेस प्रति संलग्न है।

(5) बिन्दु संख्या 4 में निर्देशित जांच के परिणाम प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(नक्शे की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला नागौर के मन्दिरों की सेवा पूजा हेतु सहायता में वृद्धि

784. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा मन्दिरों की सेवा पूजा के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है? यदि हां, तो जिला नागौर के किस-किस मन्दिर को कितनी-कितनी सहायता राशि प्रत्येक माह या प्रत्येक वर्ष दी जा रही है? नाम पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा जहां भी मन्दिरों को सेवा-पूजा के लिये जो सहायता दी जा रही है व ना काफी है? क्या सरकार उक्त राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। देवस्थान विभाग (राज्य सरकार) द्वारा मन्दिरों को सेवा पूजा-धूप, दीप, नैवेद्य हेतु आर्थिक सहायता का भुगतान किया जाता है। नागौर जिले के जिन-जिन मन्दिरों/संस्थानों की सहायता राशि का भुगतान किया जाता है, उसका विवरण परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा जो मन्दिरों/संस्थानों को सहायता राशि दी जा रही उसमें वृद्धि वर्ष 1996-97 में ही की गई थी। दिनांक 5.3.2003 को वित्त मंत्री

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

द्वारा प्रस्तुत बजट में इस राशि में एक करोड़ रुपये की वृद्धि प्रस्तावित कर दी गई है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

तहसील आसींद (भीलवाड़ा) में कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पद

785. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

तहसील क्षेत्र आसींद (भीलवाड़ा) में कृषि पर्यवेक्षकों के कितने पद कहां-कहां पर रिक्त हैं और अब उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

तहसील क्षेत्र आसींद (भीलवाड़ा) में कृषि पर्यवेक्षकों के कुल 2 पद मुख्यालय बदनौर एवं दौलतगढ़ रिक्त हैं। वर्तमान में नवीन नियुक्तियों पर राज्य सरकार का प्रतिबन्ध है।

ग्राम खोनागोरियन (जयपुर) के प्राचीन स्मारकों पर अतिक्रमण

786. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में ऐसे कौन-कौन से किले, गढ़ एवं पुरातत्व स्मारक हैं जहां आम जनता ने अतिक्रमण कर इनका स्वरूप-संरक्षण कायम रखने में बाधा डाली है?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम खोनागोरियान जिला जयपुर की पहाड़ियों में राजा-महाराजाओं के महल, बावड़ियां, छतरियां बनी हुई थी? क्या उक्त पर लोगों ने कब्जा कर लिया है? क्या सरकार इन्हें मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विभाग में उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों के अन्तर्गत किले, गढ़ एवं पुरातत्व स्मारक जहां आम जनता ने अतिक्रमण कर इनका स्वरूप संरक्षण कायम रखने में बाधा डाली है, उनकी सूची संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित नहीं हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

ज्योतिष यंत्रालय जयपुर में स्थानान्तरित कर्मियों की पुनः उसी स्थान पर नियुक्ति

787. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ज्योतिष यंत्रालय जयपुर में प्रवेश, कैमरा व वीडियो कैमरा के टिकटों से आय होती है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों की आय के आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(2) क्या यह भी सही है कि गत वर्षों की आय की तुलना में इस वर्ष के 7 माह तक की आय तुलनात्मक रूप से अधिक रही है, क्योंकि इस अवधि में गत 10–15 वर्षों से एक जुट के रूप में काम कर रहे कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्यत्र किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त जुट के कर्मचारियों को ज्योतिष यंत्रालय में वापस स्थानानतरित किया गया? क्या सरकार राजकीय राजस्व में छीजत करने वाले कर्मचारियों को इस प्रकार अवैध प्रोत्साहन नहीं दे रही है?

उत्तर

(1) जी हां। ज्योतिष यंत्रालय, जयपुर में प्रवेश, कैमरा व वीडियो कैमरा के टिकटों से आय होती है। गत पांच वर्षों की आय के आकड़े निम्नप्रकार है:-

क्र. सं.	वर्ष	प्रवेश, कैमरा व वीडियो कैमरा
1.	1997–98	36,93,045/-
2.	1998–99	40,39,478/-
3.	1999–00	41,76,628/-
4.	2000–01	43,66,932/-
5.	2001–02	51,89,426/-

(2) जी नहीं। दिनांक 11 सितम्बर, 2001 को अमेरिका में हुये पेंटागन हादसे तथा बाद में भारत–पाक सीमा पर तनाव के कारण पर्यटकों की संख्या में अचानक कमी हुई। इस कारण पर्यटन उद्योग पर पड़े प्रभाव से वर्ष 2002 में 2001 की तुलना में आय का प्रतिशत कम रहा।

राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति के अनुरूप गत 10–15 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्य करने वाले कर्मचारियों में से ज्योतिष यंत्रालय के तीन कर्मचारियों का जयपुर के ही अन्य स्मारकों/संग्रहालय में दिनांक 01.06.2002 को स्थानान्तरण किया गया था, किन्तु प्रशासनिक कारणों से उन तीनों कर्मचारियों को पुनः ज्योतिष यंत्रालय, जयपुर में दिनांक 24.1.2003 से वापस स्थानान्तरित कर दिया गया।

तहसील आसींद (भीलवाड़ा) के पाटन बांध के रख-रखाव पर व्यय

788. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

गत पांच वर्षों में तहसील क्षेत्र आसींद (भीलवाड़ा) के पाटन बांध के रख–रखाव तथा नहरों पर किस–किस कार्य के लिए कितनी–कितनी राशि कब–कब खर्च की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गत पांच वर्षों में तहसील क्षेत्र आसींद (भीलवाड़ा) के पाटन बांध एवं नहरों के रख–रखाव पर 3.63 लाख रुपये की राशि अकाल राहत के अन्तर्गत व्यय की गई। इस राशि से किये गये कार्यों एवं व्यय का विवरण प्रपत्र-"अ" पर संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

सवाईमाधोपुर में चम्बल के पानी से प्रस्तावित सिंचाई परियोजना

789. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर में चम्बल के पानी को लिफ्ट कर सिंचाई हेतु इन्दिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कितनी लागत की तथा उससे किस–किस तहसील के कौन–कौन गांव की कितनी-कितनी भूमि सिंचित हो सकेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रारम्भिक प्रारूप में लिफ्ट की ऊंचाई 135 फीट थी जबकि अब उसे घटाकर 90 फीट किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। चम्बल नदी का पानी इन्दिरा लिफ्ट परियोजना द्वारा सिंचाई हेतु प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में परियोजना की लागत लगभग 400 करोड़ रुपये होगी। इस परियोजना से सिंचित होने वाली भूमि का तहसील एवं ग्रामवार विवरण प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रारम्भिक प्रोजक्ट रिपोर्ट में इन्दिरा लिफ्ट परियोजना में लिफ्ट 90 मीटर थी। अब पुनः तैयार की जा रही प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी लिफ्ट पूर्ववत 90 मीटर ही रखी गई है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जालीया बांध (अजमेर) पर व्यय राशि

790. श्री कय्यूम खान (मसूदा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1999 से जनवरी, 2003 तक विधान सभा क्षेत्र मसूदा में सिंचाई के कितने कार्य हुये और उक्त पर कितनी राशि व्यय हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जालीया बांध में और कोई नया कार्य स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1999 से जनवरी, 2003 तक विधान सभा क्षेत्र मसूदा में सिंचाई विधान सभा क्षेत्र सिंचाई मद में कोई कार्य नहीं करवाया गया है।

(2) जी नहीं।

शासन सचिवालय, जयपुर में नियम विरुद्ध पदस्थापित अभियन्ताओं का स्थानान्तरण

791. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) शासन सचिवालय जयपुर में कनिष्ठ/सहायक अभियंता अथवा अन्य तकनीकी स्तर के इंजीनियर्स के कितने कर्मी कब से पदस्थापित हैं तथा इनसे क्या कार्य लिया जा रहा है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त में से कई सरप्लस इंजीनियर भी हैं जिन्हें यदि अन्य फील्ड स्तर पर लगाया जाय तो अधिक उपयोग हो सकता है? क्या सरकार इन्हें आवश्यकतानुसार फील्ड स्तर पर लगाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग सचिवालय में कुल 4 तकनीकी कर्मचारी/अधिकारी पदस्थापित हैं। पदस्थापन अवधि निम्नानुसार है :-

1. अधीक्षण अभियंता	1	वर्ष 1966
2. अधिशाषी अभियंता	1	वर्ष 1999
3. सहायक अभियंता	1	वर्ष 1996
4. कनिष्ठ अभियंता	1	वर्ष 1966

उक्त पद सचिवालय संवर्ग में स्वीकृत हैं तथा ये अधिकारी/कर्मचारी अन्तराज्यीय मामलों एवं तकनीकी प्रकरणों में उच्चाधिकारियों को सलाह देने का कार्य करते हैं।

(2) जी नहीं।

जिला बांसवाड़ा के एनिकटों के निर्माण हेतु गैर सरकारी संस्थाओं को स्वीकृति

792. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बांसवाड़ा में विभिन्न मदों में गैर सरकारी संस्था को कितने एनिकटों के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एनिकटों के निर्माण से पूर्व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा नोडल अधिकारी से पूर्व में किस-किस एनिकट की स्वीकृति ली गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा निर्मित एनिकटों का भौतिक सत्यापन एवं किये गये व्यय की जांच किस अधिकारी द्वारा की जाती है?

(4) क्या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्मित एनिकटों का निर्माण सिंचाई विभाग एवं पंचायत राज संस्था नहीं कर सकती है?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में गैर सरकारी संस्थाओं को 54 एनिकटों के निर्माण की स्वीकृति आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा जन जाति क्षेत्रीय विकास मद में जारी की गई है जिसका विवरण प्रपत्र-''अ'' पर संलग्न है।

(2) सिंचाई विभाग से कोई स्वीकृति नहीं ली गई है।

(3) समय-समय पर परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाड़ा एवं उनके अधिनस्थ कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं के द्वारा इन संस्थाओं द्वारा निर्मित एनिकटों का भौतिक सत्यापन एवं किये गये व्यय की जांच की जाती है।

(4) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

पंचायत समिति बस्सी व चाकसू (जयपुर) में बेसहारा व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

793. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गरीब, बेसहारा, विधवा, परित्यक्ता, विकलांगों को एक मुश्त/मासिक आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान हैं? यदि हां, तो कितनी राशि किस आधार पर?

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू के कौन-कौन से आवेदकों ने उक्त प्रकार की सहायता के लिए आवेदन किया? उक्त में से किस-किस को कितनी-कितनी सहायता देना जारी है और किस-किस को नहीं दी गई है?

(3) क्या उक्त आर्थिक सहायता से अब तक वंचित लोगों को सरकार शीघ्र सहायता जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग द्वारा गरीब, बेसहारा, विधवा, विकलांगों को प्रदान की जा रही एक मुश्त/मासिक आर्थिक सहायता का आधार, पात्रता एवं प्रदान की जाने वाली राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में उक्त योजना में सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों, उन्हें दी गई सहायता व अभी तक सहायता न दिये जाने के कारणों का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1.	वृद्धावस्था/विधवा/ विकलांग पेंशन	परिशिष्ट "ब"
2.	विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान	परिशिष्ट "स"
3.	संयुक्त सहायता अनुदान	परिशिष्ट "द"
4.	विकलांगों के विवाह पर अनुदान	परिशिष्ट "द"
5.	कोढ़ पीड़ित माता-पिता के बच्चों को छात्रवृत्ति	परिशिष्ट "द"
6.	विकलांग छात्रवृत्ति	परिशिष्ट "य"

(3) राज्य सरकार नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्ति को सहायता से वंचित नहीं रखेगी।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान अनुसूचित जाति/ जनजाति विकास सहकारी वित्त निगम के अन्तर्गत राज्य गारंटी

794. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति विकास सहकारी वित्त निगम एन.एस.एफ.डी.सी. योजनाओं के अन्तर्गत कितना राज्य गारंटी दी है? उक्त योजना के लिए कितने लक्ष्य रखे गये और उक्त में से कितने लक्ष्य प्राप्त किये गये?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनाओं के अन्तर्गत जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं? यदि हां, तो जिलेवार लक्ष्य की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या एक बार जिलेवार लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात् बार-बार लक्ष्य बदल दिये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि बार-बार जीप/टैक्सियों के लक्ष्यों को ही बदला जाता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड को एन.एस.एफ.डी.सी. योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार ने रुपये 12.00 करोड़ की राज्य गारंटी दी है। वर्ष 2002-2003 के लिये उक्त योजना में विभिन्न परियोजनाओं के 180 लक्ष्य रखे गये तथा लघु ऋण योजनान्तर्गत रुपये 50.00 लाख का लक्ष्य रखा गया जिसके विरुद्ध जिलों से फरवरी, 2003 तक जिला स्तरीय संवीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित क्रमशः 141 चयनित नाम एवं लघु ऋण योजनान्तर्गत राशि रुपये 5.10 लाख के लक्ष्य प्राप्त किये गये।

(2) जी हां। वर्ष 2002-03 में एन.एस.एफ.डी.सी. अन्तर्गत जिलेवार आबंटित लक्ष्यों के पत्र की प्रति परिशिष्ट 1 से 4 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। किसी जिले को आबंटित लक्ष्यों को उनके द्वारा समर्पण कर देने की स्थिति में अन्य जिलों द्वारा मांग करने पर प्राप्त समर्पित लक्ष्यों में से आवश्यकतानुसार उनको लक्ष्यों का आबंटन कर दिया जाता है।

(4) जी नहीं। उपरोक्तानुसार किसी जिले को आबंटित लक्ष्यों को उनके द्वारा समर्पण कर देने की स्थिति में अन्य जिलों द्वारा मांग करने पर प्राप्त समर्पित सभी प्रकार के लक्ष्यों को आवश्यकतानुसार आबंटित किया जाता है।

(पत्र की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

795. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा): क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

(1) राज्य में जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी एवं समकक्ष के कितने पद रिक्त हैं?

(2) रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है?

(3) क्या उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य में जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी के एवं समकक्ष के 10 पद रिक्त है।

(2) रिक्त पदों को नियमानुसार भरने की योजना है।

(3) सीधी भर्ती के पद राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार भरे जायेंगें।

विधान सभा क्षेत्र सिरोही में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों पर सूचना पट्टिका

796. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत दिसम्बर, 1998 से जनवरी 2003 तक क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये हैं? स्थान व तिथिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किन-किन कार्यों पर यह सूचना अंकित की गई है कि उक्त कार्यों का सृजन विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत किया गया है?

(3) उक्त कार्यों पर सूचना पट्ट नहीं लगाने के क्या कारण हैं तथा इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत दिसम्बर, 1998 से जनवरी 2003 तक स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत सृजित होने सम्बन्धित सूचना जिन पूर्ण हो चुके कार्यों पर अंकित की गई है, उसकी सूची संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध हैं।

(3) सृजित परिसम्पत्तियों पर सूचना पट्ट लगाने का प्रावधान हैं अतः पूर्ण हुए कार्यों पर सूचना पट्ट लगा दिये गये है। प्रगतिरत कार्य जैसे ही पूर्ण हो जायेगें तदोपरान्त इन पर सूचना पट्ट लगा दिये जायेंगे।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत ओलादर पंचायत समिति कुम्भलगढ़ को विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि

797. श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति कुम्भलगढ़ को विभिन्न विकास योजनाओं हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार से अलग-अलग कुल कितनी राशि दी गई है?

(2) क्या उक्त पंचायत समिति के प्रधान द्वारा उक्त आबंटित राशि को सभी पंचायतों में पंचायतों के विकास हेतु संतुलित रूप से वितरित की गई है? यदि हां, तो ग्राम पंचायत ओलादर को कितनी राशि दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति-कुम्भलगढ़ को वित्तीय वर्ष 2002-2003 में विभिन्न विकास योजनाओं हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राजसमंद द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (प्रथम धारा) के अन्तर्गत रुपये 16.99 लाख केन्द्रीय अंश तथा रुपये 5.67 लाख राज्यांश, 11वें वित्त आयोग के तहत केन्द्र से रुपये 65.61 लाख तथा राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत राज्य से रुपये 55.66 लाख जारी किये हैं। पंचायत समिति-कुम्भलगढ़ को केन्द्र सरकार द्वारा कुल राशि रुपये 82.60 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा कुल राशि रुपये 61.33 लाख दी गई है। विवरण परिशिष्ट-'अ' पर है।

इसके अतिरिक्त जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के अन्तर्गत पंचायत समिति कुम्भलगढ़ को राशि रुपये 63.913 लाख रुपये जारी की गई है।

(2) पंचायत समिति के प्रधान को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार राशि आबंटित करने का अधिकार नहीं है। अपितु पंचायत समिति द्वारा वार्षिक कार्य योजना तैयार किये जाने का प्रावधान है, जिसमें कार्यों का चयन करते समय पिछड़े/आपदा प्रभावित/श्रमिक पलायन वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है। 11वें वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायत को जनसंख्या के अनुपात में राशि का वितरण पंचायत समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत ओलादर को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (द्वितीय धारा) के तहत रुपये 0.55 लाख केन्द्रीय अंश से तथा रुपये 0.18 राज्यांश से, 11वें वित्त आयोग के तहत रुपये 1.22 लाख केन्द्र से तथा राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत रुपये 0.90 लाख जारी किये हैं। ग्राम पंचायत ओलादर को कुल राशि रुपये 1.77 लाख रुपये केन्द्र सरकार एवं रुपये 1.08 लाख राज्य सरकार द्वारा दी गई है। विवरण परिशिष्ट-'ब' पर है।

इसके अतिरिक्त जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत

(ग्रामीण विकास मंत्री)

ओलादर को राशि रुपये 8.743 लाख जारी की गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

पंचायत समिति किशनगंज (बारां) के गांवों में जलग्रहण क्षेत्रों के विकास हेतु स्वीकृत कार्यों का निरीक्षण

798. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आई.डब्ल्यू.डी.पी. योजनान्तर्गत वर्ष 2000-01 या 2001-02 में पंचायत समिति किशनगंज (बारां) के गांवों में जलग्रहण क्षेत्रों के विकास हेतु स्थानीय ग्रामवासियों के सहयोग से जलग्रहण संस्था एवं समिति गठित कर कार्य शुरू किये गये हैं? यदि हां, तो ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) परियोजना में सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा उक्त राशि में से अब तक कितने कार्य कराये गये हैं? उक्त राशि किस-किस मद में कब-कब व्यय की गई है? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि परियोजनान्तर्गत करवाये गये उक्त कार्यों का निरीक्षण भारत/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों/प्रदत्त शक्तियों अनुसार जिला कलक्टर, परियोजना निदेशक, अधिशासी अधिकारी या प्रभारी अधिकारी डी.आर.डी.ए. द्वारा किया गया है? यदि हां, तो कब-कब? क्या निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता/कमियां पाई गई? यदि हां, तो क्या-क्या?

उत्तर

(1) बारां जिले की पंचायत समिति किशनगंज के गांवों में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अन्तर्गत वर्ष 2000-01 या 2001-2002 में समिति का गठन किया जाकर कार्य आरम्भ नहीं करवाये गये।

(2) भारत सरकार द्वारा किशनगंज पंचायत समिति के लिए एकीकृत बजंर भूमि विकास कार्यक्रम के तहत दिनांक 15.02.2002 को 383.04 लाख रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई। स्वीकृत जलग्रहण परियोजना के अन्तर्गत अब तक कराये गये तथा व्यय का मदवार/ग्रामवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर है।

(3) जी हां। स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत अब तक करवाये गये कार्यों के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर है। निरीक्षण के दौरान कार्यों के बारे में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

जाहिरा बडीला (सवाईमाधोपुर) नहर निर्माण कार्य में विलम्ब

799. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधायक कोटे से बामनवास विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत कार्य जाहिरा नहर से बडीला तक नहर निर्माण हेतु दिनांक 19.6.2001 को वित्तीय स्वीकृति जारी की थी? यदि हां, तो स्वीकृति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं करवाये जाने के क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन दोषी है?

(3) क्या यह सही है कि सिंचाई के स्थानीय अधिकारियों को तहसीलदार बामनवास द्वारा निर्मित किए जाने वाली नहर हेतु भूमि अलाइनमेंट के अनुसार नाप कर दे दी और वहां किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है?

(4) अब सरकार उक्त नहर का कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

स्वीकृति पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट-'1' पर उपलब्ध है।

(2) अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामवासियों के विरोध के कारण उक्त कार्य प्रारम्भ नहीं करवाया जा सका।

(3) तहसीलदार बामनवास द्वारा निर्मित की जाने वाली नहर हेतु भूमि की पैमाइश एलाइंमेंट के अनुसार कर दी गयी परन्तु ग्रामवासियों द्वारा उक्त कार्य का विरोध करने से विवाद बना हुआ है।

(4) ग्रामवासियों का विरोध समाप्त होने पर नहर का निर्माण प्रारम्भ करवाया जा सकेगा।

(पत्र की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

कोटा खुला विश्वविद्यालय में शिक्षकों को अनियमित कार्यभार

800. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा खुला विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को कितने-कितने समय से किस-किस उत्तरदायित्व का कार्यभार दिया हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस प्रकार एक-एक व्यक्ति को तीन-तीन अतिरिक्त भार अनिश्चित समय के लिये देना अनियमितता नहीं है? यदि हां, तो उक्त प्रकार की अनियमितता के लिये कौन दोषी है? क्या सरकार उक्त

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से प्राप्त सूचनानुसार विश्वविद्यालय को शिक्षकों को दिये गये अतिरिक्त कार्यभार का विवरण परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। विश्वविद्यालय में निदेशक के पांच पद एवं कई अन्य महत्वपूर्ण पद लम्बे समय से रिक्त हैं। अत: आन्तरिक व्यवस्था के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु इन पदों का अतिरिक्त कार्यभार शिक्षकों को अस्थायी रूप से दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

पोकरण नगर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

801. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने प्रत्येक राजस्व उप खण्ड पर एक महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला जैसलमेर के पोकरण उप खण्ड की जनसंख्या दो लाख से अधिक है तथा इन्दिरा गांधी नहर के कारण उपनिवेशन क्षेत्र विकसित हो रहा है?

(3) क्या सरकार पोकरण नगर में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। विभाग की इस वर्ष की वार्षिक योजना में राजकीय क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं है।

ग्राम बरसणी (भीलवाड़ा) के औषधालय में रिक्त पद

802. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला भीलवाड़ा के आयुर्वेदिक औषधालय "ए" श्रेणी बरसणी में वैद्य व उप वैद्यों के कितने पद हैं और उक्त में कितने रिक्त हैं तथा रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

राजकीय आयुर्वेद औषधालय बरसणी जिला-भीलवाड़ा में आयुर्वेद चिकित्सक का एक पद तथा नर्स/कम्पाउण्डर के दो पद स्वीकृत है। वर्तमान में चिकित्सक का पद भरा जा चुका है एवं नर्स/कम्पाउण्डर

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

के दो पद रिक्त है जिनमें से एक पर आयुर्वेद औषधालय, पाटन में पदस्थापित कम्पाउण्डर को व्यवस्था की दृष्टि से लगाया हुआ है।

विभाग में चिकित्सकों व कम्पाउण्डरों के कार्यरत पद रिक्त है, अतः सभी जगह समस्त पद भरे नहीं जा सकते।

उप खण्ड प्रतापगढ़ के औषधालयों में रिक्त पद

803. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उप खण्ड प्रतापगढ़ के औषधालयों में कितने पद रिक्त हैं?

(2) उप खण्ड प्रतापगढ़ के औषधालयों को वर्ष 1998-99 से 2002-03 में कितनी राशि की औषधियां उपलब्ध करवाई गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उप खण्ड प्रतापगढ़ में संचालित औषधालयों में चिकित्सकों के 8 पद, नर्स/कम्पाउण्डर के 2 पद तथा परिचारक के 2 पद रिक्त हैं।

(2) प्रतापगढ़ उप खण्ड में संचालित विभागीय औषधालयों को वर्ष 1998-99 से 2002-03 में उपलब्ध कराई गई औषधियों की राशि का विवरण निम्नप्रकार है:-

वर्ष	राशि औषध सप्लाई (रुपयों में)
1998-99	2,04,309-98
1999-2000	1,16,762-32
2000-2001	2,88,453-92
2001-2002	3,80,676-58
2002-2003 (फरवरी, 2003 तक)	2,96,979-81
योग	12,87,182-61

औषधालयवार सूची परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

बेगूं में स्वीकृत यूनानी चिकित्सालय का संचालन

804. श्री घनश्याम जैन (बेगूं): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बेगूं में यूनानी चिकित्सालय की स्वीकृति कब हुई?

(2) क्या उक्त स्वीकृत यूनानी चिकित्सालय प्रारम्भ हो गया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(3) अब उक्त चिकित्सालय को कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) चित्तौडगढ़ जिले के बेगूं कस्बे में दिनांक 6.12.1999 को यूनानी औषधालय

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।

(2) जी नहीं। वित्तीय स्वीकृति के अभाव में नवीन स्वीकृत औषधालय अभी प्रारम्भ नहीं हो सका है।

(3) वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् औषधालय प्रारम्भ किया जाना सम्भव हो सकेगा।

लालकोठी सब्जी मण्डी में किसानों हेतु आरक्षित स्थान पर अतिक्रमण

805. श्री अशोक तंवर (फागी): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि लालकोठी, जयपुर स्थित प्रशासक मण्डी समिति द्वारा माशाखोरों को वहां पर बैठा रखा है? क्या उक्त स्थान किसानों के लिये आरक्षित था? यदि हां, तो किसानों को उक्त स्थान कब तक दिलवा दिया जावेगा?

(2) क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में किसानों के लिये और कोई जगह आरक्षित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां और कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। किसानों के लिए हड़पसर पद्धति पर उनकी उपज बिना बिचौलियों के सीधे क्रेता को विक्रय करने हेतु 5 प्लेटफार्म प्रायोगिक तौर पर निश्चित किये गये थे। किसानों द्वारा लगभग 15–20 दिन तक अपनी उपज निर्धारित स्थल पर विक्रय भी की गई। तत्पश्चात् किसानों द्वारा उक्त निर्धारित स्थल पर अपनी उपज क्रेता को विक्रय किया जाना बन्द कर दिया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा आपरेशन पिंक के दौरान माशाखोर/फुटकर व्यवसाइयों को यहां बैठा दिया गया। वर्तमान में फल सब्जी विक्रेता संघ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 337/02 दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है, जिसमें आगामी सुनवाई दिनांक 27.3.2003 निश्चित है। चूंकि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अत: इसके लिए समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां। जयपुर के उप नगरों यथा विद्याधर नगर/मुरलीपुरा एवं मानसरोवर में काश्तकार मण्डी हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण एवं आवासन मण्डल से भूमि प्राप्ति हेतु प्रयास किये जा रहे है। भूमि प्राप्त हो जाने पर इन स्थानों पर काश्तकार मण्डियों को प्रारम्भ करवाये जाने की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, आधा घंटे की चर्चा इस पर करवा लीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

डा. चन्द्रभान : XXX

(12.00 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनने का मौका तो दो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय सदस्य।

डा. चन्द्रभान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी, एक मिनट, बिराजिए आप। आप पहले बिराजें एक मिनट। आप बिराजिए। क्वेश्चन आवर समाप्त हो गया, वह सारा बिजनेस अब तो समाप्त हो गया। अब उससे आपको क्या लेना-देना? आगे चलो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

श्रीमती बीना काक : XXX

डा. चन्द्रभान : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

श्री उपाध्यक्ष : इसमें क्या है। बिराजो, बिराजो आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे स्पीकर साहब बुलाकर गये हैं। आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। यह क्या तरीका है?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं बोलूंगा।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : स्पीकर साहब ने माननीय मंत्रीजी को बोलने का मौका दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये बोलना शुरू हुए और इन्होंने हल्ला शुरू कर दिया। इनको अपना एक्सप्लेनेशन देने का मौका देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : हां, दिया ना।

श्रीमती बीना काक : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, बिराजिए।

डा. चन्द्रभान : XXX

श्रीमती बीना काक : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। बिराजिए आप।

श्रीमती बीना काक : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बिराजिए प्लीज। आर्डर प्लीज। आप बैठिए आप। आप बैठिए, नीचे बैठिए। माननीय मंत्रीजी, माननीय अध्यक्ष महोदय ने इनको बोलने का मौका दिया क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन आवर समाप्त हो गया, अब बिजनस क्या है?

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने इनको आरोप लगाने का मौका क्यों दिया? सुनना पड़ेगा।

डा. चन्द्रभान : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने इनको क्यों नहीं रोका? आज जवाब मैं दूंगा।

श्रीमती बीना काक : XXX

डा. चन्द्रभान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह नहीं है। आप बैठिए। आप बिराजिए।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्रीमती बीना काक : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए एक मिनट।

डा. चन्द्रभान : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

डा. सी. पी. जोशी : XXX

डा. चन्द्रभान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए माननीय सदस्य। बहुत स्पष्ट है। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी। आपका यह कहना है कि मंत्री महोदय पर कोई आरोप लगा। उसका स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। यही बात है ना? बिराजिए। क्वेश्चन आवर समाप्त हो गया। आपको कोई स्पष्टीकरण देना है आप लिखकर दीजिए, उस पर आपको समय देंगे, उस पर स्पष्टीकरण दे देना।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

डा. चन्द्रभान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। माननीय मंत्रीजी, बिराजें आप।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्रीमती बीना काक : XXX

श्री मोहन लाल मोदी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

डा. चन्द्रभान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, आप बिराजो। बहुत स्पष्ट है। माननीय मंत्रीजी महोदय ने यह दिया है, रूल 276 में पर्सनल एक्सप्लेनेशन का प्रावधान है। जीरो आवर खतम हो गया, अब ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो मैं इजाजत दे रहा हूं ना। जल्दी क्या है? वाई आर यू...(व्यवधान) हुआ क्या है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

श्रीमती बीना काक : XXX

डा. चन्द्रभान : XXX

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। आदेश मंगा दूंगा, आप चिन्ता मत करो। आप बिराजो।

डा. चन्द्रभान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये एक मिनट।

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको बोलने की इजाजत नहीं है। आप बिराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। एक मिनट, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, वह एक्सप्लेनेशन दे दें तब तक आप शांति रखिये। उसके बाद आप कोई पूछना चाहें तो I will allow you. उससे पहले नहीं बोलेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

श्रीमती बीना काक : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट आप बिराजिये।

ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं उसका भी मेरे पास जवाब है। आप पहले उनका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। उसके बाद आप जो कह रहे हैं, उसका भी मैं जवाब दे दूंगा।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

स्पष्टीकरण

श्री शांतिकुमार धारीवाल का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, कल बामनवास से आने वाले माननीय किरोड़ी लालजी मीणा ने करीब आधे घंटे तक पर्ची के माध्यम से एक मामला उठाया और उसमें मुझ पर भी आरोप लगाये। 12.40 पर उन्होंने यह कहा कि वह एन.आर.आई. नहीं थी, विदेश में रहती थी, यहां पर आ गई, मंत्रीजी को प्रभावित किया, जे.डी.ए. सेक्रेटरी को प्रभावित किया, जमीन अलाट कराकर ले गई, साढ़े 37 लाख का चूना सरकार को लगा दिया। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, दुर्भाग्य मेरा यह था कि मैं कल यहां नहीं था। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आखिर आप, विदेशी महिला जो एक आई, इसकी आज संदिग्ध गतिविधियां हैं, इसकी इन गतिविधियों की जांच किये बिना यह जमीन अलाट कर दी, इसमें नगरीय विकास मंत्री का सीधा हाथ है और मैं चार्ज लगाता हूं कि सरकार ने इसमें घोटाला किया है और गबन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार तो मैं निवेदन कर दूं कि 9 जनवरी से लेकर 11 जनवरी, 2003 तक दिल्ली में एन.आर.आई. का सम्मेलन भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी सदारत में ये सारे कार्यक्रम चले। यह रश्मि डिकिन्सन भारत सरकार के निमंत्रण पर एन.आर.आई. के सम्मेलन में शामिल हुई। (व्यवधान) ठहरो, ठहरो आप मेरा पहले जवाब सुन लो, क्या हो गया जो तो अन्त में पता लगेगा आपको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवालजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या हो गया जो तो आपने कहा है न कि एन.आर.आई. नहीं थी।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय किरोड़ी लालजी, प्लीज।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आमेर ट्रस्ट है, यह 20.11.1998 को इण्डियन ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर हुआ, बी.जे.पी. के राज में जिसकी यह भी ट्रस्टी थी, इसका विदेशी हसबैंड जो था वह भी इसका ट्रस्टी था। (व्यवधान) बिलकुल बन सकता था। इण्डियन ट्रस्टी एक्ट की फोटो कापी आपको पहुंचा दी है, आप पढ़ लो, किसी भी विधि विशेषज्ञ को दिखा लेना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवाल साहब, आप तो इधर बोलो।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रश्मि डिकिन्सन ने इस ट्रस्ट से 11.9.2000 को इस्तीफा दे दिया क्योंकि यह लखनऊ की रहने वाली थी, लखनऊ में जन्मी, लखनऊ में पढ़ी, एम.बी.बी.एस. वहीं से किया और विदेश में जाकर, एक विदेशी से शादी कर ली। इसने इस्तीफा दे दिया और अपने पिता को, इसके पिता का नाम...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : XXX

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस ट्रस्ट के डा. बैजनाथ सिंह जो रश्मि डिकिन्सन के फादर थे उनको 1.9.2000 को आमेर ट्रस्ट का ट्रस्टी घोषित किया गया और यही अध्यक्ष हो गये। इनकी वाइफ जो रश्मि डिकिन्शन की माता थी, राजेश्वरी देवी, वह भी इसकी ट्रस्टी हो गई। इसी के साथ साथ 31.10.2000 को बैजनाथ सिंह ने अपनी पुत्री रश्मि डिकिन्सन को आनरेरी मैंनेजिंग डाइरेक्शन इस ट्रस्ट का घोषित किया। तत्पश्चात् यह सब कुछ कार्यवाहियां हो चुकी थी, ट्रस्टी बदल गये, अध्यक्ष बदल गये, मैंनेजिंग डाइरेक्टर नियुक्त हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद 2.5.2001 को जे.डी.ए. द्वारा इसका अलाटमेंट किया गया भूमि का...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 2.5.2001 को...(व्यवधान) जैसा मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि यह भारत में जन्मी, विदेशी से शादी जरूर की और इण्डियन ट्रस्ट एक्ट के तहत इस एक्ट का रजिस्ट्रेशन मेरे द्वारा देखा गया। मैंने एक्जामिन किया कि इसका रजिस्ट्रेशन क्या है। जब यह अलाटमेंट के लिए पहली बार यह ट्रस्ट सामने आया तो मैंने फैक्चुअल रिपोर्ट मंगाई, फैक्चुअल रिपोर्ट में यह आया कि यह जमीन पथरीली है, काश्त के काबिल नहीं है और अविकसित है तथा आसपास एक जाति विशेष के लोगों ने इस पर कब्जा कर रखा है। वह जाति कौन सी थी किरोड़ी लालजी मीणा की...

डा. किरोड़ी लाल : XXX

(आसन द्वारा संकेत से अंकित नहीं करने का निर्देश)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सुनो, अब आरोप सुनो आप। आपने लगा दिया, मेरा भी सुनो।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा जवाब देने के बाद में आप फिर बोल लीजिए।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय किरोड़ी लालजी, आप बिराजिये।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप बाद में बोल लेना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय किरोड़ी लालजी, बिराजें आप। Let him finish. आप उनको समाप्त करने दो, बिराजिये। आप उनको समाप्त कर लेने दीजिए, आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। मैं यह कह रहा हूं आप बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अधिकारियों की यह राय बनी।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्यों नहीं कहूंगा। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इन्होंने करवा रखा है।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्यों नहीं कहूंगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो-बिराजो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बिराजिये। बिराजिये बिराजिये। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : XXX

श्री नन्दलाल मीणा : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल :...मेरी पूरी बात सुनो, मेरी पूरी बात सुन लो फिर आप कुछ भी बोलो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसको सुनना। (व्यवधान) मेरी एब्सेंस में आरोप लगा लिया, अगर मैं होता तो आप पर...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

डा. महेश जोशी : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

डा. चन्द्रभान : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह भाषा है इनकी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। माननीय सदस्य, एक मिनट आप बिराजो न। आप बिराजिये आप बैठिये। माननीय किरोड़ी लालजी, यह कोई तरीका नहीं कि आप किसी को चोर कह दो और किसी को कुछ कह दो...

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान) आप एक मिनट बिराजो। आप बिराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आपने कल इन पर जो कुछ आरोप लगाया, अब उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं, आपको तो छूट है आरोप लगाने की और उनको स्पष्टीकरण देने की छूट भी नहीं है?

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : किसने कहा है?

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री नन्दलाल मीणा : XXX

डा. महेश जोशी : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट बिराजो। बिराजिये।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। आप बिराजिये। आप बैठो न। आप बैठिये प्लीज। माननीय राठौड़ साहब, बिराजें।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

डा. चन्द्रभान : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

डा. महेश जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आहूजाजी, माननीय ज्ञानदेवजी। माननीय सदस्य, यदि उन्होंने चोर शब्द का उपयोग किया है तो उसको एक्सपंज कर दें। हो गया न।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आप उनको बोलने दीजिये। मैं अलाउ करूंगा न। (व्यवधान) आप बोल लेना।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। आप उनको बोलने दीजिये न।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री हरिसिंह (महुआ) : XXX

डा. महेश जोशी : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, कल 12 बजकर 30 मिनट पर बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : क्या व्यवस्था है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : कहां सुनना चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

डा. महेश जोशी : XXX

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल :...यह क्या गलत कहा है। (व्यवधान) जाति विशेष का कहा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्रीमती बीना काक : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज कर दिया न। आप क्या चाहते हो?

डा. किरोड़ी लाल : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : उनको रोको न।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री नन्दलाल मीणा : XXX

(श्री कन्हैया लाल, माननीय सदस्य द्वारा सदन के वेल में धरना)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

डा. महेश जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज कर दिया न।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

डा. चन्द्रभान : XXX

श्री नन्दलाल मीणा : XXX

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, एक मिनट बिराजिये। बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

डा. महेश जोशी : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये बिराजिये। बिराजिये, मैं तो पास कराता हूं, बिराजिये।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : न तो ये सुनना चाहते हैं, न ये सुनना चाहते हैं।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

डा. चन्द्रभान : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने जो कहा है, वह मैं पढ़ देता हूं।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने जो कहा था, वही पढ़ देता हूं।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, कल 12.30 बजे...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, कल 12.30 बजे बामनवास से आने वाले माननीय किरोड़ी लालजी ने यहां पर यह कहा कि इस महिला ने वहां जमीन पर कब्जा कर रखा है जिसकी किस्म सिवाय चक है। इस जमीन पर पिछले 30 वर्ष से...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवाल साहब, एक मिनट।

श्री शांतिकुमार धारीवाल :...श्योकरण, गोविन्द सहाय, रामनारायण, रामचन्द्र आदि...(व्यवधान) अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। ये खुद कह रहे हैं कि इनका कब्जा था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

डा. महेश जोशी : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, बिराजिये। आप बिराजिये। (व्यवधान) माननीय धारीवालजी। माननीय धारीवाल साहब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय किरोड़ी लालजी ने कल अपने खुद के भाषण में माना है, श्योकरण, गोविन्द सहाय, रामनारायण, रामचन्द्र इत्यादि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं,... (व्यवधान) इन लोगों का कब्जा है। उन्होंने स्वयं ने माना है, मैंने नहीं कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। आप बिराजिये प्लीज।

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, किसने कहा है। यह रेकार्ड पर ही नहीं है। आप बिराजिये, वह रेकार्ड पर ही नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : जब आप सब बोल रहे हैं, इतने जने बोल रहे हैं तो ये क्या अंकित कर सकते हैं? किसी का अंकित नहीं कर रहे हैं ये। आप बिराजिये प्लीज।

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : डाक्टर बैजनाथ सिंह...जो इसके अध्यक्ष थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवाल साहब, माननीय धारीवाल साहब, एक मिनट। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, न तो कोई माननीय सदस्य इधर से बोले,

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

न कोई माननीय सदस्य उधर से बोले, आप कृपा करके उनका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिये।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ना।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी।

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

डा. चन्द्रभान : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्रीमती बीना काक : XXX

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कटारिया साहब, यह किरोड़ी लालजी का भाषण है, इसमें इन्होंने कहा है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों का कब्जा है, यह उनका भाषण है, उनके भाषण को पढ़िये। आपको कुछ मालूम तो है नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप भी बोलना सीखिये ना। आप अपने आपको...

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कुछ जानकारी तो है नहीं, जानकारी तो कुछ है नहीं...(व्यवधान) यह तड़ी और को देना।

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इनके द्वारा कहा गया है, वह भाषण पढ़िये, पढ़िये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको मालूम तो है नहीं।

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

डा. महेश जोशी : XXX

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री अशोक तंवर : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

डा. महेश जोशी : XXX

श्री रोहिताश्व कुमार : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री सोहन नायक : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह रश्मि डिकिन्सन, इसके पिता डाक्टर बैजनाथ सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट माननीय मंत्रीजी।

आप बिराजिये, आप बिराजिये। मैं जब अलाउ करूंगा कि हाउस आर्डर में आये वरना मैं कभी अलाउ नहीं करूंगा। आप चाहे कितना भी बोलो, आप भी बोलो, आप भी बोलो, मर्जी आये जितना बोलो, मुझे कोई एतराज नहीं है। इससे कोई हाउस, इस तरह कोई हाउस नहीं चलता है। आप बिराजिये। आप क्यों बोल रहे हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो फिर ये तो हल्ला करते रहेंगे, मैं मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाउगा, इसका अर्थ यह हुआ, फिर क्या अर्थ हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये एक मिनट। आपकी ही बात कह रहा हूं। आप बिराजिये। मैं यह फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप मंत्री महोदय को एक्सप्लेनेशन देने दीजिये। उसमें, आप, मेहरबानी करके न तो इधर से और न इधर से, कोई टोकिये मत, उसके बाद कोई इश्यू आयेगा, आपको बोलने का मैं मौका दूंगा। इनको आप इजाजत तो दो पहले बोलने की, उनका एक्सप्लेनेशन तो सुनो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अब एक मिनट क्या? अब क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, वह बात खतम हो गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सोहन नायक : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात आप बार बार कह रहे हैं।

श्री सोहन नायक : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बार बार एक बात को दस दफे कहकर करना क्या चाहते हैं आप, (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने किसी जाति विशेष के खिलाफ कोई अपमानजनक शब्द काम में नहीं लिया, इनकी जाति के कई लोग मेरे अंतरंग मित्र हैं और मेरे सपोर्टर भी हैं।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय किरोड़ी लालजी, प्लीज।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह रश्मि डिकिन्सन के पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और शिवमूर्ति सिंह जो इनके नाना थे वह भी स्वतंत्रता सेनानी थे। यह अलग बात है कि आप लोगों को स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे और स्वतंत्रता सेनानी के किये हुए कार्यों को पसंद नहीं करते आप। जब यह मसला हमारे सामने आया कि यह आमेर ट्रस्ट एक सामाजिक कार्यों के लिए तथा आमेर के डवलपमेंट के लिए जमीन चाहता है, तो हमने यह मालूम करा है कि जमीन कैसी है, जमीन की क्या किस्म है, जमीन अविकसित थी, उस पर अतिक्रमण था, जमीन पथरीली थी और काबिल काश्त नहीं थी।

श्री नन्दलाल मीणा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : क्या बात है। आप बिराजिए प्लीज।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हमने यह भी मालूम किया...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना नहीं चाहते। वह बोल रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जांच बताऊं आपको, सुन नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कटारिया साहब, आप सुनना, इनको बोलने देना चाहते हो या नहीं बोलने देना चाहते हो।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : तो आप हाउस को आर्डर, क्या बात है यह, बार बार उठते हो, ऐसे थोड़े ही चलेगा कोई।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ट्रस्ट की तरफ से एक दरखास्त पेश हुई कि जे.डी.ए. के द्वारा जो कीमत मांगी जा रही है वह जरूरत से ज्यादा है। हमने वहां की मालूम करी तो हमें पता लगा कि इसी जमीन के पास में राजस्थान सरकार में कार्यरत एक सीनियर आई.ए.एस. आफिसर की भी जमीन एक साल पहले बिकी है, वह सिर्फ चालीस हजार रुपये में बिकी है। जे.डी.ए. के द्वारा इस जमीन की कीमत पांच लाख रुपये बीघा मांगी गई, बिकी चालीस हजार रुपये में एक साल पहले।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : किरोड़ी लालजी से पूछ लेना आप। किरोड़ी लालजी से पूछ लेना, भाई साहब।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं वह भी बता दूंगा आखिरी में। हमने इनसे बातचीत करी, बातचीत करके कहा कि भाई पच्चीस परसेंट तो दाम, आपको पांच लाख रुपये के पच्चीस परसेंट रकम जमा करानी पड़ेगी और बाकी पच्चीस प्रतिशत विकास के कार्यों के लिए खर्च करना पड़ेगा। यह तय हुआ। तय होने के बाद में इनको लैण्ड अलाटमेंट किया गया। लैण्ड अलाटमेंट में जो जे.डी.ए की जनरल कंडीशंस होती है अलाटमेंट के टाइम पर, उनके अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा कई शर्तें भी जोड़ी गई। उन शर्तों को, लम्बी चौड़ी शर्तें हैं, मैं आपको पढ़ दूं कि यह-यह काम करोगे, अगर यह काम नहीं करोगे तो यह निरस्त हो जायेगा, यह हो जायेगा, वह हो जायेगा, दुनिया भर की चीजें हैं, वह मेरा खयाल है आपके पास कापी होगी लेकिन आप बोलोगे नहीं उसको।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात। माननीय किरोड़ी लालजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बाद में आप पूछ लेना, मैं बाद में जवाब दे दूंगा, इतने उतावले क्यों हो रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : आप जल्दी में क्यों हो। What is the hurry? आप बिराजिए।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, क्या बात है यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या बात है, जल्दी में क्यों हो आप? What is the hurry?

श्री शांति कुमार धारीवाल : शिकायत यह हुई। यह शिकायत आई कि आमेर ट्रस्ट ने अलाटेड लैण्ड के अलावा भी

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

दूसरी लैण्ड पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। इस पर कलक्टर को इंक्वायरी दी गई और कलक्टर की रिपोर्ट आई कि एक इंच जमीन पर आमेर ट्रस्ट ने जो कि इनको अलाटेड है, उसके अलावा किसी जमीन पर उसका कब्जा नहीं है। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से कि लैण्ड अलाटमेंट, लैण्ड डिस्पोजल रूल 1974 के कौन से रूल की अवहेलना की गई राज्य सरकार के द्वारा? उन्होंने यह कभी नहीं बताया अपने भाषण में। तीस मिनट का जो उनका भाषण मैंने पढ़ा, उन्होंने कहीं पर भी यह नहीं कहा। विदेशी का तो सवाल ही नहीं होता, वह तो देश में पैदा हुई, देश में पढ़ी और देश में ही आज रह रही है, उसके माता-पिता वगैरह-वगैरह सब कुछ है...

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप बिराजो। आप बिराजो। आपसे बाद में बात कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको बोलने दूंगा न। आप बिराजो न, तसल्ली से सुनो तो सही उनको।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा जयपुर को हेरिटेज सिटी घोषित करवाने के प्रयत्न किये जा रहे थे उस वक्त और जो कोई ऐसे लोग जो कि हेरिटेज सिटी के प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, यहां के रेस्टोरेशन के लिए जो भी मदद करने आता था हमारी तरफ से एनकरेजमेंट मिलता था, प्रोत्साहन मिलता था।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : क्या बात है, यह क्या है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह इनके द्वारा जो उद्देश्य बताये गये वह ठीक उसी प्रकार के थे जिससे कि हेरिटेज सिटी को डवलप करने में...(व्यवधान) हेरिटेज सिटी के कंजर्वेशन के लिए उसमें उसके द्वारा मदद मिलती थी।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि इसी भूमि के बराबर में ए.सी.डी. ने एक सी.टी.ओ. के यहां पर छापा मारा, उनका नाम है बनवारी लाल कासठ। इसी जमीन के बराबर में एक सीनियर आई.ए.एस. आफिसर, उनकी भी जमीन है। विवाद इस बात का है वहां पर तीन सौ-चार सौ वर्ष पुरानी...

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक सार्वजनिक बावड़ी बनी हुई है उस बावड़ी पर आमेर ट्रस्ट का कब्जा रहता है इन दोनों अफसरों का कब्जा रहता है। विवाद सारा इस बात का बना। आमेर ट्रस्ट ने कहा कि हमारा इस बावड़ी से कोई लेना-देना नहीं लेकिन तुम्हें हम कब्जा नहीं करने देंगे। यह चाहते थे दोनों के दोनों कि वहां पर कब्जा कर लेंगे। (व्यवधान) दोनों अफसर, सी.टी.ओ. साहब और आई.ए.एस. आफिसर साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्रीमती सुमित्रा सिंह : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री शांति कुमार धारीवाल : बता दूंगा आखिरी में बैठते-बैठते।

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरा दुर्भाग्य है कि कल मैं यहां पर मौजूद नहीं था और उस मौके का फायदा उठा करके माननीय किरोड़ी लालजी ने इस पर्ची के माध्यम से इस विवाद को उठाया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि किरोड़ी लालजी को और कन्हैया लालजी को तीस चालीस लोगों के साथ रश्मि डिकन्सन के घर पर जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। वहां पर इस तड़ी देने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि तुझे ठीक कर देंगे, तेरे स्टाफ को यहां से भगा देंगे, हमने जो इश्यू उठाया है, यह मेरे पास लेडी का पत्र है...

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह लेडी का पत्र है, उसको भी पढ़कर सुनाऊंगा। इसको पढ़कर सुनाऊंगा। यह जो लिखा है...

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : विधायक किरोड़ी लाल व कन्हैया लाल ने मीणा जाति के करीब तीस लोगों के साथ मुझे घर पर आकर मेरे स्टाफ को डराने का प्रयास किया...

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उस वक्त किरोड़ी लालजी के साथ आई.ए.एस. अफसर के समधी व बीड़ पापड़, विद्याधर नगर, जयपुर में जिनकी करीब डेढ़ सौ बीघा जमीन के पार्टनर रामनारायण मीणा व उनके कुछ रिश्तेदार भी थे, यह लोग ट्रस्ट की जमीन में मीणा जाति के रियासकालीन देवरे बताने लगे। मैंने उनको समझाया कि यहां नहीं है तो उन्होंने ऊंट

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

पटांग बोल करके मुझमें अबे-तबे बोली और चारों तरफ से डराने की कोशिश की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तुम्हारे और तुम्हारे स्टाफ की भलाई इसी में है कि नौकरी छोड़ दो, यहां से भाग जाओ, मैंने जो कुछ आज तक मुद्दे पकड़े हैं उसे पूरा करके ही दम लिया है इसलिये मेरा पलड़ा कितना भारी है यह तुझे मालूम होना चाहिए, वगैरह-वगैरह।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रेलेवेंस क्यों नहीं है, यह जुड़े हुए हैं उनसे, पक्के जुड़े हुए हैं इसलिए यह मुद्दा उठाया है।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। इनको समाप्त करने दीजिये। आपको बोलने दूंगा ना।

श्री मदन दिलावर : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप बाद में पूछ लेना, मुझे कम्पलीट, मैं दो मिनट में कम्पलीट कर रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, बिराजिए।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह लैटर है उसका।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : की है उसने। वो मुझे पता नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कई एफ.आई.आर. पहले दर्ज हो गयी लेकिन इसकी हुई कि नहीं हुई यह मुझे जानकारी नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री कन्हैया लाल : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : हां, करायेंगे। टेबल करायेंगे।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री कन्हैया लाल : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

(अनेक प्रतिपक्षी माननीय सदस्य सदन कूप में आकर जोर-जोर से बोलने लगे)

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : टेबल किसको कराऊं? उनको समाप्त करने दो करा दूंगा ना उनका भाषण समाप्त होने दो करा दूंगा।

श्री कन्हैया लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप उनका समाप्त होने दो पूरा भाषण ही टेबल करा दूंगा न। आपको क्या तकलीफ है उनका समाप्त तो होने दो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

श्री उपाध्यक्ष : करायेंगे टेबल करायेंगे न। काहे को ताव खा रहे हैं वो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सच बहुत कड़वा होता है।

डा. चन्द्रभान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : किसको कराऊं टेबल? आप बैठेंगे तो कराऊंगा न टेबल।

श्री कन्हैया लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : साहब, लेकिन वो बैठें न।

श्री मोहन लाल मोदी : XXX

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

डा. महेश जोशी : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

डा. चन्द्रभान : XXX

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

डा. महेश जोशी : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

डा. महेश जोशी : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट बिराजिये।

डा. चन्द्रभान : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कल मेरे पर आरोप लगे हैं अखबारों में छपा है शाम वालों में। शाम के अखबारों में छपा है, मेरे खिलाफ जो आरोप लगे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवालजी, एक मिनट बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री कन्हैया लाल : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

डा. महेश जोशी : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

डा. महेश जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : चाहते क्या हो आप?

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इन्होंने ही किया है, मेरे खिलाफ कल अखबारों में खबर आयी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। एक मिनट बिराजिये। आप बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये न। आप और क्या कर रहे हैं।

श्री घनश्याम जैन : XXX

श्री उपाध्यक्ष : घनश्यामजी, प्लीज मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आप इस पत्र को टेबल कराना चाहते हैं उस पर इतना हल्ला करने की क्या जरूरत पड़ गयी? काहे को ताव खा रहे हैं ये ये सादा ऐसे ही बात कह देते कि इसको टेबल कराएं। आप वेल में आ रहे हो, कुश्ती कर रहे हो, मेरे पर बाहें चढ़ा रहे हो यह कौन सा तरीका हुआ? क्या प्रोब्लम है इसमें?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं टेबल कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सीधी सी बात है आप एक मिनट में कह सकते थे कि इसको टेबल कराओ। इसमें इतना ताव खाने की कहां जरूरत पड़ गयी? Why do you want to misbehave in the House? क्या इसमें बात है। छोटी सी बात है. Let him finish. टेबल करा दूंगा में। आप कहें तो पूरे भाषण को टेबल करा दूंगा उसमें क्या है? It is on record.

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। वो अलग बात है। वो बात बाद की बात है।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं टेबल कर दूंगा इसको आप चिन्ता मत करो। इसमें और भी कई चीजें लिखी हुई हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। जांच तो मैं नहीं कराता हूं। बिराजिये।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अभी पता लग जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवालजी।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय किरोड़ी लालजी।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

डा. महेश जोशी : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

डा. महेश जोशी : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

डा. महेश जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : इतना ताव क्यों खा रहे हैं ये? मैं आपकी बात कह रहा हूं तो ही ताव खा रहे हैं।

डा. महेश जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप कह रहे हैं टेबल कराओ, मैं टेबल करा रहा हूं। आप कह रहे हैं जो कर रहे हैं फिर भी आप आ रहे हो वेल में यों ही ताव खा रहे हो। गर्मी क्यों खा रहे हो।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : कोई सुनते हो क्या मेरी बात।

डा. महेश जोशी : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

डा. महेश जोशी : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

डा. चन्द्रभान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.59 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(14.00 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : नरेन्द्र मोदी ने हरेन पण्ड्या को मरवा दिया, बड़ी दुःखद घटना है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज, बिराजिए।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरेन पण्ड्या को मरवा दिया।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, माननीय बिराजिए, श्री धारीवाल साहब।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए मन में बड़ा कष्ट हो रहा है लेकिन बार बार इस हाउस में इस तरह का जो वातावरण पैदा किया जाता है, बांहें चढ़ाई जाती हैं, कभी मंत्रियों को बिना नोटिस के चोर कहा जाता है। आखिर इस विधान सभा का क्या माहौल हो रहा है। इस तरह की स्थितियां पैदा करके, मैं विपक्ष के नेता महोदय से कहना चाहता हूं कि आप हाउस को चलाना चाहते हैं, हम भी हाउस चलाना चाहते हैं। नियम बने हैं, सदन नियम से चलता है, आप नियम की बहुत दुहाई देते हैं। जो उठे वह मंत्री चोर, वह मंत्री चोर और नहीं तो बांहें चढ़ा लीं, पहले भी बांहें चढ़ा लीं, आज भी बांहें चढ़ा लीं। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के वातावरण में कैसे हाउस चल सकता है। मैं चाहता हूं कि सदन के नेता इस तरह के कथन जो उनके सदस्यों ने किये हैं उसकी क्षमा मांगें, हाउस के सामने खेद प्रकट करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, बिराजो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से सदन में जिस प्रकार का माहौल बन रहा है वह वास्तव में दुःखद है। लेकिन इसके लिये किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार बनाना कहां तक उचित है यह निर्णय आपको अपने लेवल पर करना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य को देते समय कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिये जिनसे क्रोध होना स्वाभाविक है क्योंकि सारी जाति को कहीं लपेटना, कब्जा हो सकता है, किसी बनिये का कब्जा हो सकता है इसके कारण से पूरी बनिया जाति ने कब्जा कर लिया...

श्री शांतिकुमार धारीवाल (पर्यटन मंत्री) : मैंने किसी जाति को नहीं लपेटा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी आप बिराजो, माननीय धारीवाल साहब, प्लीज शांति रखिए। आप बिराजो, भंवरलालजी, बिराजो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय गुलाब सिंहजी साहब सामने आ गया ना कारण। यह बात चल रही है बीच में फिर यह...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उसके कारण स्वाभाविक एक इरीटेशन होता है। मैं सोचता हूं कि सारा जो कुछ भी कारण बन रहा है वह शब्दों के प्रयोग को लेकर बन रहा है। विषय को आप अच्छी तरह से कहें किसी को कोई एतराज हो ही नहीं सकता। अगर कहीं कोई कभी खामी है आप उसको रखिए लेकिन उसको रखते समय जिस प्रकार आप चुभन डालते हो, जिस प्रकार उसको चुभाने की कोशिश करते हो उससे निश्चित रूप से दूसरों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

को अपमान महसूस होता है वह इरीटेट होता है और जब एक बार इधर से इरीटेट होता है तो दूसरा जवाब देता है, तीसरा फिर कुछ भैरोंसिंहजी को भी साथ में लपेटता है, चौथा कुछ करता है। तो स्वाभाविक है उसको कंट्रोल करना सम्भव नहीं होता। मैं सोचता हूं कि जिन लोगों के पास जिम्मेदारी का पद है उनको ज्यादा संजीदगी से काम करना चाहिये। और अगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें तो निश्चित रूप से अपन इस सदन को बहुत अच्छे ढंग से चला सकते हैं। लेकिन कभी कभी जिम्मेदार व्यक्ति ही जब इस प्रकार की बात कह जाये तो मैं सोचता हूं यह वातावरण ठीक करना बहुत कठिन हो जाता है। निश्चित रूप से यह जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ या जो भी हमने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जिस ढंग से भी लगा दिये वह कभी भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाने वाले नहीं हैं। निश्चित रूप से उसको घटाने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे और पूरे सदन के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करता हूं कि विशेष कर जिनको बड़ा लम्बा अनुभव है वह कम से कम अपने शब्दों का चयन ठीक करें तो निश्चित रूप से दूसरों के उत्तेजित होने की स्थिति पैदा नहीं होगी। इस बात पर मैं सोचता हूं कि हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। मेरी भी है, मेरे सदस्यों की भी है, आपकी तरफ से भी है, आपके सदस्यों की भी है। हम सब चाहते हैं कि हाउस ठीक प्रकार से चले इसमें हमारे कहीं दो मत नहीं है। बात रखने के लिये भी किसी को कोई एतराज नहीं है कि आप उसकी क्या बात रखना चाहे, न रखे लेकिन क्या है कि बात को शुरू करते ही जिस बात का विरोध हो गया और उसके कारण से बात चली। एक मंत्री ने जवाब दिया कि यह ट्रस्ट हमारे रजिस्ट्रेशन में नहीं है।

आज सवेरे के ही क्वेश्चन के जवाब में था कि देवस्थान में इस नाम का कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं हुआ और आपने शुरू करते ही बात को, उसका बिना कोई बैक ग्राउण्ड बनाये कि कोई बात हुई, क्या हुई आपने सीधा कहा कि नहीं, यह रजिस्ट्रेशन है। तो आगे सुनने की स्थिति ही नहीं बनी। आगे सुनने की स्थिति बनती पहले आप उसका रजिस्ट्रेशन कहां हुआ इसका रेफरेंस देते हुए अपने उस लैटर को पढ़ते जहां रजिस्ट्रेशन हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ तो मैं सोचता हूं, बात का कोई विशेष सवाल खड़ा नहीं होता। लेकिन एक मंत्री ने सवेरे जवाब दिया कि ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं हुआ और बिना रजिस्ट्रेशन के किसी संस्था को किसी भी प्रकार का आबंटन नहीं हो सकता। यहां आकर के बात उलझी और उसके कारण से जो शब्दों का प्रयोग किया वह एक जाति विशेष को कब्जों को लेकर। कब्जे होंगे, उसमें

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी किसी कब्जे करने वाली कोई जाति निश्चित रही होगी। लेकिन। उसके कारण से कब्जा करने वालों का नाम लेकर उनकी जाति पढ़ देते वहां तक तो किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन इंडिकेट करके, "तुम्हारी जाति ने", "तुम्हारी जाति ने" जब हाथ का इशारा करके यह कहा "तुम्हारी जाति ने", तब स्वाभाविक है कि माननीय सदस्य को भी आक्रोश आ गया। फिर उन्होंने भी अपनी बात उसी आक्रोश में कही। मैं सोचता हूं यह दोनों का आदान प्रदान है, अगर हम भी इसको ठीक करना चाहते हैं तो दोनों का आदान प्रदान अगर ठीक करे, निश्चित रूप से यह सदन ठीक प्रकार से चल सकता है। और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि सदन गरिमा के अनुसार जो अब तक इसकी गरिमा बनी है उसी के अनुसार चले। लेकिन उसके लिये जिम्मेदारी जिम्मेदार लोगों की ज्यादा है। सामान्य सदस्य कोई गलती कर जाये वह फिर भी क्षम्य है लेकिन जिम्मेदार लोग अगर इस प्रकार की गलती करें, वातावरण को गंदा करने की कोशिश करें उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप मानते हैं कि हाउस का माहौल ठीक नहीं है। इस सदाशयता के लिये तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं लेकिन आवेश में आकर किसी मंत्री को चोर चोर कहते रहो आप और मारने के लिये बांहें चढ़ाकर आगे चलो यह तो परम्पराओं के खिलाफ है कि नहीं है। हमारे मंत्रीजी ने आवेश में कह दिया किसी मीणा जाति के आदमी पर लगा दिया कि वहां मीणों का कब्जा है कि नहीं, इसमें क्या गलत बात कह दी। अगर मीणों का कब्जा है तो मीणों का कब्जा है, गुर्जरों का कब्जा है तो गुर्जरों का कब्जा है और किसी का कब्जा है तो और का कब्जा है। उन्होंने तथ्यों को तहां तोड़ मरोड़ कर रखा और उन्होंने ही कहा था कि कब्जा है। बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि कब्जा है। जहां तक सवाल है रजिस्ट्रेशन का, मैं माननीय भंवरलालजी आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आप हमारे गुरु हो पर एक मिनट मेरी बात सुन लें पहले, एक मिनट सुन लें पहले।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं भी आपकी इज्जत कम नहीं करता हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं भी करता हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ठीक बात है आज के प्रश्न के जवाब में हमारे मंत्रीजी ने कहा कि इसके तहत रजिस्ट्रेशन नहीं है। माननीय धारीवालजी ने कहा कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत है, देवस्थान

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

में नहीं है, इस बात को हम कहां मना कर रहे हैं कि देवस्थान में नहीं है लेकिन इण्डियन ट्रस्ट के तहत जब रजिस्ट्रेशन है, पूरे हिन्दुस्तान में इण्डियन ट्रस्ट एक्ट लागू है, सुनिए आप मेरी बात को, आखिर हम इस बात के लिये यहां नहीं बैठे हैं कि चोर चोर कहलवाते रहे बिना किसी सबूत के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी चार्जेज के। इस तरह का वातावरण बना कर आखिर हमसे उम्मीद क्या करना चाहते हैं आप।

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : खेद तो प्रकट करना चाहिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : इस सदन को महान परम्पराओं को जिस तरह से लांछित किया है उसके लिये क्षमायाचना कीजिए आप।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आप सुनिए, आप सुन तो लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि :-

''क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहात्मति बिभ्रम,
स्मृति भंशा बुद्धिनाशो प्रण्यश्यति॥''

यह जो कुछ हुआ...

श्री भंवरलाल बलाई : यह गीता से नहीं समझेंगे, गीता के प्रवचनों से समझने वाले नहीं है। (व्यवधान) चोर शब्द कहा उसकी क्षमायाचना करें।

श्री श्रवण कुमार : कटारियाजी, आपकी फौज का कोई कमांडर नहीं है। चाहे जो खड़ा हो जाता है। चाहे जो बोल जाता है। इस तरह से थोड़े ही होता है कोई। यह सही बात नहीं है। कमांडर तो होता है।

एक माननीय सदस्य : दो शब्द के लिए यह क्षमा याचना करें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैं आपको यह समझाने की चेष्टा कर रहा हूं नशंयति...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सब बोल लीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : या तो आपके पास कोई लीडर नहीं है या आप सारे के सारे लीडर हो रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं...(व्यवधान) यह कहा गया, इस तरह की घटिया...(व्यवधान) यह नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं ने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, आप बिराजिए ना। माननीय सदस्य, आप कितने जने बोलना चाहते हो, माननीय वरिष्ठ मंत्रीजी ने...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें पीड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : पीड़ा सबको है, आप

(श्री उपाध्यक्ष)

बिराजिए। माननीय गृह मंत्रीजी ने एक बात कही है उसका समाधान होने दीजिए। बीच-बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको बोलने की क्या जरूरत पड़ रही है जब इन्होंने एक बार...(व्यवधान) प्लीज बिराजिए। जब इन्होंने एक बात उठा दी, उस बात का समाधान नहीं हो जब तक, आप बोलें और आप बोलें क्या मतलब रहता है? Why are you unnecessarily speaking? बोलें, कटारिया साहब, बोलें।

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : प्रतिपक्ष के नेता महोदय खेद तो प्रकट करें।

श्री उपाध्यक्ष : और क्या कह रहा हूं, सबको बोलने की क्या जरूरत पड़ रही है मेरे समझ में नहीं आ रहा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : किस बात का खेद प्रकट करें?

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, झुकेगा वही जिसमें जान है और अकड़ मुर्दे की खास पहचान है।

श्री उपाध्यक्ष : पारीक साहब, बैठिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हम तो अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करना चाहते। इस तरह के शब्द का प्रयोग किया तो अपनी पार्टी की मर्यादा के अनुसार किया क्या? आप उसके लिए भी खेद प्रकट नहीं कर रहे और कहते हो कि आप गलत कर रहे हो। हम गलत कर रहे हैं। बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने कल पर्ची के माध्यम से सारी बात उठाई, हमने फिर भी उसको ध्यानापूर्वक सुना और जो भी चार्जेज लगाए उनको सहन करते रहे। आज माननीय मंत्रीजी उसका जवाब देने वाले थे तो आप सुनना नहीं चाहते और मारने पीटने पर उतारू हो जाएं। चोर चोर के सिवाए कुछ नहीं कहें। इस तरह की परम्परा तो हाउस में कभी नहीं रही और आगे भी नहीं रहने देना चाहते। इस तरह की परम्परा को गलत परम्परा मानकर खेद प्रकट करिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आगे चलिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आगे चलाइये, हो गया।

डा. चन्द्रभान : प्रतिपक्ष के नेता महोदय को खेद प्रकट करना है, आपको थोड़े ही करना है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पहले जिन्होंने बात शुरू की और सारी जाति को हाथ का इशारा करके इंगित किया, पहले वह खड़े होकर खेद प्रकट करें कि उनको किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए उसके बाद...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि आपने अपने कल के स्टैटमेंट में यह कहा कि रामनारायण, रामचन्द्र यह सब अनुसूचित जनजाति के लोग थे जिनका 30 वर्षों से सिवाय चक जमीन पर कब्जा था। मैंने कहा यह आप ही की जाति के ...(व्यवधान) मैंने इतना सा कहा। मैंने यह नहीं कहा...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जाति का कहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह चाहे किसी भी जाति के हों लेकिन इनकी जाति में मेरा भी असर कम नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : वरिष्ठ सदस्य गुलाब सिंह शक्तावत साहब ने बात कही है रेसपोंड तो उनको करना है। नहीं रेसपोंड करना है तो यह हाउस जैसा शक्तावत साहब ने कहा है, उसी आधार पर हाउस चलेगा। और जब तक यह खेद व्यक्ति नहीं किया जाएगा तब तक हाउस नहीं चलेगा।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय महसूस करते हैं कि गलती हुई है।

डा. सी. पी. जोशी : लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हम इसलिए आए हैं कि यहां पर अच्छी तरह से वाद विवाद चले। बांहें चढ़ाकर कुश्ती लड़ने का मैदान नहीं है यह। यह हाउस विचारों के आदान प्रदान का हाउस है। हाउस की मर्यादा नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हाउस में माननीय पूर्व मुख्य मंत्री और ~~+++~~ यह ठीक था क्या?

एक माननीय सदस्य : किसने कहा?

डा. चन्द्रभान : किसी ने नहीं कहा। किसी ने भी नहीं कहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उच्च शिक्षा मंत्री शैलेन्द्र जोशी...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अगर ऐसा कुछ है तो कार्यवाही से निकाल दीजिए, (व्यवधान) किसी ने कुछ नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मान लीजिए यह बात है, इस बात के आधार पर माननीय सदस्य का तथ्य जस्टिफाई नहीं होता। इश्यू यह है कि बामनवास से आने वाले...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या चाहते हैं जरा पूछ लीजिए।

डा. सी. पी. जोशी : काम किया उसको कंडेम करना है। (व्यवधान) उसके लिए भैरोंसिंहजी का कहा, यह दोनों में

~~+++~~ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. सी. पी. जोशी)

कोई रिलेवेंट है। (व्यवधान) आप दो चीजों को अलग-अलग करके बात करें, दोनों ही चीजें गलत हैं। माननीय सदस्य हाउस के अन्दर आकर किसी को फिजिकल थ्रेट दें यह तो डिजायरेबल नहीं है। विपक्ष के नेता महोदय कंडेम नहीं करना चाहे और यह कहे कि मंत्री ने यह कहा है, वह अलग इश्यू है। लेकिन क्या आप इसको, हाउस में आकर माननीय सदस्य जिस तरह का आचरण करें, मंत्री को थ्रेट दे, कांस्टीट्यूशन में भी फ्रीडम आफ स्पीच है। उपाध्यक्ष महोदय, फ्रीडम आफ स्पीच को हम हाउस में नहीं होने देवें तो कोई माननीय सदस्य बोलना ही नहीं चाहेगा। यह जो कृत्य हुआ है उस कृत्य को कंडेम करने के लिए कह रहे हैं।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने न तो बटन खोले (व्यवधान) बांहें चढ़ भी सकती हैं। इन्होंने केवल यह कहा मंत्रीजी उस पत्र को टेबल कर दें। इसके अलावा कोई असंसदीय बात नहीं कही है। इन्होंने क्या बात कही है?

डा. सी. पी. जोशी : धमकी दे रहे हो क्या?

श्री सांवर लाल : आप कैसे बात कर रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी : इस बात की धमकी दे रहे हैं क्या?

श्री सांवर लाल : इनके बटन लगे हुए हैं इन्होंने बांहें कहां से चढ़ा लीं? इन्होंने बांहें कहां से चढ़ा लीं...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप मांग करें आपको अधिकार है...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप सदन का माहौल खराब करने के लिए लगे हुए हो, आपकी मर्जी सदन की कार्यवाही चलाने की नहीं है, मत चलाइये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कार्यवाही चलाना चाहते हैं मर्यादा के अनुसार... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : हमें कोई तकलीफ नहीं है।

श्री सांवर लाल : इन्होंने केवल यह कहा कि मंत्रीजी पढ़ रहे हैं उसको टेबल कर दिया जाए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप लोग सदन से भागना चाहते हैं।

श्री सांवर लाल : गृह मंत्रीजी के जो मंत्रीजी ने पत्र पढ़े उसको टेबल कर दिया जाए, उसकी जांच करवाई जाए... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : धमकी नहीं सुन सकते।

श्री सांवर लाल : इसके अलावा इन्होंने कोई बात नहीं कही।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री सांवर लाल : आप कहते हैं मंत्रीजी को धमकी दी...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : मांग करने का अधिकार है लेकिन धमकी दे यह... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या फरमा रहे हैं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह बहाना करके सदन से भागना चाहते हैं। अब सुनिए, हमसे भी सुनिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अब तक तो भागे नहीं और न ही भागेंगे लेकिन मर्यादा विहीन हाउस नहीं चलेगा यह कहना चाहता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं साक्षी हैं जिस प्रकार का व्यवहार प्रतिपक्ष का पूरे सत्र के दौरान रहा। अपनी बात कह देना और दूसरों का जब अवसर आये तो शोर शराबा करना, यह आम बात हो गई है। आज मैं बड़ा निवेदन करना चाहूंगा, आज बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य का जो व्यवहार था, पता नहीं उनको क्या हो गया, इतने आवेश में आ गए इस प्रकार कि अगर उनके कुछ माननीय सदस्य उनको नहीं रोकते तो पता नहीं आज सदन में क्या स्थिति पैदा हो जाती। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सदन की कार्यवाही अगर चलानी है तो मर्यादा के अन्दर चलेगी, नियमों के तहत चलेगी, अगर यह चलाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं हमारा जो बिजनस है, वह बिजनस चले, इनके विचार आएं और हम उस पर जवाब दें लेकिन बांहें चढ़ाना, शोर मचाना और दूसरों की बात नहीं सुनना यह एक आम बात हो गई है। आप क्वेश्चन आवर में देख लीजिए, अपनी बात कह दी, जब सरकार का उत्तर आए शोर मचाना। एक संग 6-6 आदमी खड़े हो जाएं, बिना नोटिस दिए अनर्गल आरोप लगाना इस सदन के अन्दर प्रतिपक्ष की एक आदत-सी बन गई है। मैं किन्हीं माननीय सदस्यों का नाम नहीं लेना चाहता, आपकी जानकारी में है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने माध्यम से उनको कहें, उनको निर्देशित करें कि आज के व्यवहार के लिए वह क्षमा याचना मांगे, तब सदन की कार्यवाही भली प्रकार चल सकेगी। आपसे निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग भी चाहते हैं कि सदन चले। सदन के अन्दर उत्तेजना के क्षण कई बार आए हैं परन्तु उत्तेजना फैलने का कारण क्या है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर एक जाति विशेष को अपने उत्तर में इंगित कर दें, जाति विशेष के लिए कह दें चोर है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : संवैधानिक पद पर, उच्च पद पर बैठे हुए जो इस सदन में प्रतिपक्ष के नेता रह जाए उनके बहाने से कह दें चोर है, मैं समझता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सत्ता पक्ष यह तय करके आया है कि सदन नहीं चलने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह किसी ने नहीं कहा। यह राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस प्रकार की मनगढ़न्त बातें कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस जाति ने राजस्थान निर्माण के अन्दर बहुत बड़ा योगदान दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आजादी के अन्दर मीणा जाति का योगदान रहा।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, किसी को धमकी मिलती है तो उसकी चिट्ठी गृह मंत्रीजी को लिखी जाती है उसकी जगह मंत्रालय हट गया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सांवर लालजी, बिराजिए।

श्री सांवर लाल : उसके बाद भी संस्था की अध्यक्ष है वह इनको चिट्ठी लिख रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री सांवर लाल : यह क्या मामला है, यह बताइये हमको। क्या प्रोसीजर है, क्या सम्बन्ध है इनका?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम यह सारे कागजात लेकर आए हैं जिनसे यह सिद्ध होगा कि इसके अन्दर दो करोड़ का घोटाला है।

डा. सी. पी. जोशी : काहे का आरोप है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : असत्य आरोप है।

डा. सी. पी. जोशी : आप खुद की कांच में शक्ल देखें। दो करोड़ का, तीन करोड़ का...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

डा. सी. पी. जोशी : देखे हैं 2 करोड़, 3 करोड़, आरोप लगा रहे हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तरीका है?

डा. सी. पी. जोशी : यह आपका तरीका है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आप कह रहे हैं, यह कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम नहीं सुनेंगे इस बात को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या तरीका है, ये क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह रहा हूं, आप बिराजिये।

डा. चन्द्रभान : आप 273 में नोटिस देते माननीय सदस्य और बाद में आप आरोप लगाते।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, आप बिराजिये, प्लीज।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जमीन की कुल कीमत जे.डी.ए. के द्वारा 50 लाख रुपये मांगी गयी थी और घपला 2 करोड़ का बता रहे हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, धारीवाल साहब, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहस करिये ना इस पर...(व्यवधान) बहस करो ना इस पर...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 50 लाख की कुल कीमत है और घपला 2 करोड़ का...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बहस करो ना फिर। आप उस मुद्दे पर बहस करेंगे ना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, एक मिनट, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजाखेड़ा, धौलपुर और बाडी के डकैतों के...(व्यवधान) यह क्या गलत बात है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये ना, आप बिराजिये।(व्यवधान) आप बिराजो, एक मिनट, आप बिराजिये, माननीय सदस्य, अब आप जितना ही बोलो, इश्यू एक है, सत्तापक्ष यह कह रहा है यदि आप खेद प्रकट करें तो हाउस चलेगा। Why are you unnecessarily...बात सीधी सी है, यदि आप खेद प्रकट करते हैं तो करिये, नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, वह गवर्नमेंट करेगी। क्या प्राब्लम है, सीधी सी बात है।

डा. महेश जोशी : बिना खेद के नहीं होगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष :... want to speak. यह क्या बात है?

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, निवेदन एक ही है अब तो, बिराजिये प्लीज। अब तो निवेदन एक ही है। (व्यवधान) आप बिराजिये।

श्री संयम लोढ़ा : इनकी कोई सुनता तो है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री हीरालाल विश्नोई : अब प्रतिपक्ष के नेता बोले, ये अलग अलग यौद्धा खड़े होकर कोई भी भाषण दे देते हैं, यह नहीं चलेगा। (व्यवधान) खाली प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपको निवेदन करने का अधिकार है। (व्यवधान) मुझे आपसे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : हम खेद प्रकट नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow you. ये नेता प्रतिपक्ष बोल सकते हैं। I will not allow you.

श्री मानिक चन्द सुराना : नेता प्रतिपक्ष भी खेद प्रकट नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं, ये बोलेंगे। मैं अलाउ ही नहीं करूंगा, आप बिराजिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : उनके 6 मंत्री खड़े होकर बोल सकते हैं तो क्या प्रतिपक्ष के नेता अकेले बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, बिराजिये, आप बिराजिये। I will not allow you. ये बोलेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं आपको स्थिति अर्ज तो कर ही सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नेता, प्रतिपक्ष बोलेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : नेता, प्रतिपक्ष बोलना चाहे तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं, अंकित नहीं होगा, आप बिराजिये, प्लीज।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे। कोई इश्यू नहीं है अभी हाउस के सामने। (व्यवधान) आप बैठिये। (व्यवधान) बोलने देंगे, बोलने देंगे, आप बैठिये पहले।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री हीरालाल विश्नोई : XXX

श्री उपाध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, और कोई नहीं बोलेगा, आप बिराजिये। बिराजिये, प्लीज। आप बिराजिये। आपको बोलने दूंगा ना, मना कर रहा हूं क्या।

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको बोलने दूंगा ना, मैंने इनको काल अपोन किया है। (व्यवधान) मैंने मना थोड़े किया है, मैं कह रहा हूं, मैं बोलने दूंगा। मैं मना कर रहा हूं क्या, आप बिराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, मैं आपको बोलने दूंगा, मना कहां कर रहा हूं। (व्यवधान) आप बैठिये ना। माननीय सुराना साहब, आप बिराजिये, नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। बोलिये ना, बोले तो बोले, नहीं बोले तो मत बोलें।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : कभी का निकाल दिया। माननीय सदस्य, प्लीज।

डा. सी. पी. जोशी : उस पर चर्चा नहीं, यह व्यवहार पर चर्चा है। यह उस पर नहीं, व्यवहार पर चर्चा है। जिस तरह का हाउस में व्यवहार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। मैंने निकाल दिया है उस शब्द को। It is not the issue now. फिर आप क्या कह रहे हो, आपको पता ही नहीं है, आप बोले जा रहे हैं। (व्यवधान) फिर वही बात है।

डा. सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आप आधा घंटा हाउस को एडजर्न कर लें। एक बार उधर से फिर बात कर लें। फिर आप हाउस चलाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अगर यह जिसके कारण से महौल बिगड़ा, दोनों अगर दोषी नहीं हैं...और दोनों अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे तो हम किसी भी हालत पर इस गलती को स्वीकार करने के लिये और इसके लिये खेद प्रकट करने के लिये कतई तैयार नहीं हैं। चाहे आप चलाओ, चाहे मत चलाओ।

श्री उपाध्यक्ष : अब बोलो, अब बोलो आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस तरह से तो देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर आज के दिन आपने आसन ने इस मामले के अन्दर कोई ढिलाई बरती...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पर तड़ी क्यों लगा रहे हैं आप?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन को प्रभावित कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं माफी चाहता हूं, मैंने कोई शब्द कहा हो तो मैं उसको विदड्रा करता हूं, माफी चाहता हूं। (व्यवधान) आप तो मिली हुई हैं, उनसे, आप तो रोज मिली होती हैं उनसे...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह कौनसा तरीका है, यह क्या बात हुई? यह कौनसा तरीका है आपका? (व्यवधान) मिली हुई, नहीं मिली...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह इस सदन की परम्परा, इसको रोकना पड़ेगा। अभी बात करते-करते चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने 2 करोड़ का आरोप लगा दिया। यह आम बात हो गयी है। यह आम बात हो गयी इस सदन के अन्दर। (व्यवधान) आप बात करते

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

करते जिससे कोई अपनी बात नहीं कह पाये, उसके ऊपर आरोप जड़ दीजिए। अनर्गल लगाना, असत्य आरोप लगाना, इस प्रवृत्ति को आपको रोकना पड़ेगा। और यह आज का व्यवहार है उसके लिये अगर आज ये खेद प्रकट नहीं करेंगे तो मेरी समझ के अन्दर यह अच्छी परम्परा इस सदन के लिये भविष्य के लिये कायम नहीं होगी। निर्णय आपको करना है।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या फरमा रहे हैं? आर्डर, आर्डर, इनकी भी सुनो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग इस समय प्रतिपक्ष में हैं। लेकिन इस डिबेट में हम कहीं शामिल नहीं हैं। मैं व्यक्तिशः यह चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह डिबेट थोड़ी हो रही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, यह जो चर्चा चल रही है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिशः यह चाहता हूं कि सदन के समक्ष तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट हो। तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट हो नहीं सकी। आप सदन की कार्यवाही चलाएं।

श्री उपाध्यक्ष : कैसे चलाएं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : जनता के खातिर और हमारे खातिर मैं माफी चाहता हूं, कम से कम आप तथ्य तो आने दो। अगर आप इनकी माफी के लिये बात कर रहे हैं, यह बाद में हो जाएगी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं हो सकता है। (व्यवधान) नहीं, यह क्वेश्चन नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल नहीं है। तथ्यात्मक स्थिति राजस्थान की जनता को जानने का अधिकार है कि वास्तव में तथ्य क्या है। यह गौण हो गयी बात। यहां आवेश में कहा गया। महामहिम उप राष्ट्रपति महोदय के लिये भी कहा गया। जाति समाज के लिये भी कहा गया। बामनवास वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ किया, अशोभनीय है। मैं भी उसको कोई अप्रूव नहीं करता। कोई भी समझदार अप्रूव नहीं कर सकता। लेकिन इन सब बातों के पीछे जो मूल मुद्दा है कि गोया वह अलाटमेंट जो विवेकाधिकार इस्तेमाल किया गया, वह ज्युडिशियसली या आर्बिटिरिली किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, यह कोई मुद्दा ही नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : नहीं, नहीं, मुद्दा यह नहीं है। हमारा इश्यू ही सिम्पल है।

श्रीमती बीना काक : इश्यू ही दूसरा है। यह तो व्यवहार की बात है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सही नहीं है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई मुद्दा ही नहीं है। माननीय सदस्य...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : व्यास साहब, सिम्पल इश्यू है कि जो व्यवहार किया उन्होंने उस व्यवहार...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी तो मुद्दा ही नहीं है यह...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : इन दोनों को क्लब मत करिये आप। यह इश्यू अलग है, यह व्यवहार की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस मुद्दे के फेर में मत बोलो। यह तो कोई मुद्दा ही नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं चार्ज लगाता हूं, दोनों तरफ से तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट नहीं होने देना चाहते हैं। दोनों तरफ से ही मैं, यह चार्ज लगाता हूं।

श्रीमती बीना काक : तथ्यात्मक स्थिति मंत्रीजी ने पूरी स्पष्ट कर दी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सत्ता पक्ष के, कांग्रेस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग तथ्यात्मक स्थिति राजस्थान की जनता के सामने नहीं आने देना चाहते हैं। क्या राजस्थान की जनता को यह अधिकार नहीं है इस बात का?

श्रीमती बीना काक : पूर्व मंत्री, यू.डी.एच. ने सारी तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके कहने से नहीं कर दी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हम यह चाहते हैं कि अलाटमेंट का...(व्यवधान) You are holding the entire House to ransom.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : व्यासजी, आपके इस चार्ज को...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप संरक्षक हैं। आप पहले कृपा करके, मैं यह समझता हूं कि अब भी शांति से आप इस झगड़े को बाद में निपटाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : करवाइये, कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने दीजिए और उसके बाद जो यह क्लेरीफिकेशन है वह तरीके से, संजीदगी से क्लेरीफिकेशन कीजिए। उसके बाद आप अपना झगड़ा निपटाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आप समझ नहीं रहे हो बात को।

डा. सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, इश्यू यह नहीं है। यह जो डिबेट है, वह बाद का इश्यू है। पहला इश्यू सिम्पल है कि बामनवास के माननीय सदस्य ने जो व्यवहार किया है उस पर हम खेद प्रकट नहीं कर रहे हैं। बाकी डिबेट पर चर्चा आप कर लें। डिबेट में डिलीट करना है क्या करना है, करिये। पर जिस तरह का व्यवहार यहां पर किया है उस व्यवहार के बारे में भी आप खेद प्रकट नहीं करें,

(डा. सी. पी. जोशी)

यह क्या तरीका हुआ सदन को चलाने का...(व्यवधान) कोई चीज हो नहीं सकती है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह आपत्तिजनक है, जोशीज़ी।

डा. सी. पी. जोशी : आप, डिबेट की बात है उसको, प्रोसीडिंग्स को चैक करवा लीजिए, डिलीट करवा दीजिए। पर जो व्यवहार इन्होंने हाउस में किया उसके सम्बन्ध में भी आप खेद प्रकट नहीं कर रहे हैं, इस तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता को दोनों चीजों को लिंक नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में इस बात को अप–होल्ड करना जरूरी है कि जो माननीय सदस्य जीतकर आये हैं, वह डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात को कहे। डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात नहीं करें सदन में, जिस तरह से व्यवहार करें उसको भी कंडेम नहीं करें। उसको उसके साथ लिंक नहीं करें, यह डिजायरेबल नहीं है। आप प्रोसिडिंग देख लें। मान लीजिए। उन्होंने कहा, वह कंडेम करवाइये, यह अलग इश्यू है। लेकिन मोटा इश्यू यह है कि माननीय सदस्य ने जिस तरह से सदन के वेल में व्यवहार किया है जिस तरह से उन्होंने डिक्टेट करने की कोशिश की है उसको हम कंडेम करने की बात कर रहे हैं। इस पर हम कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बाकी आप कुछ भी करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मोटा इश्यू यह भी है, मोटा इश्यू यह भी है कि एक जाति विशेष को गाली दो, सदन के माध्यम से जाति विशेष को गाली दें...(व्यवधान) मंत्री गाली दें, प्रश्न यह भी है...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : किसने गाली दी, किसन गाली दी। जबरदस्ती डाल रहे हैं मुंह में। रेकार्ड के अन्दर लिखा हुआ है।

एक माननीय सदस्य : आप डेमोक्रेटिक तरीके से राज करने देते हो क्या?

श्री अरुण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, किसी जाति विशेष को गाली निकालना, यह असंदीय है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक साढ़े तीन बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.20 बजे से 15.30 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(15.30 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं...

श्री उपाध्यक्ष : कौन? कौन बोल रहा है? कौन?

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

माननीय सदस्य, मुझे आप सबसे निवेदन करना है कि इस हाउस की गरिमा रखना बहुत आवश्यक है। आप जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं वहां की जनता आपसे अपेक्षा रखती है कि उनकी यहां पर पैरोकारी होगी। उनके विकास की बात होगी। उनके दु:ख दर्द की बात का कोई समाधान होगा लेकिन जिस तरह से यह हाउस चल रहा है उससे ऐसा लगता है कि हम उनके प्रति सीरियस नहीं हैं। मेरा आपसे बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन है कि हाउस को आर्डर में चलने दीजिए और आसन की बिना अनुमति कोई भी माननीय सदस्य खड़ा होकर नहीं बोले तो यह हाउस आर्डर में चल सकेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस हाउस को आर्डर में चलने के लिए आसन का सहयोग कीजिए। माननीय कटारियाजी।

श्री मोहन लाल मोदी : यह क्या हुआ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे क्या होगा?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : कोई नया इश्यू हुआ है क्या यह?

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो गया आपको? आपको क्या जरूरत पड़ गई बोलने की? बिराजो न आप। वे क्या बोल रहे हैं, यह सुनो न आप। जल्दी क्या पड़ रही है?

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : शैलेन्द्रजी बोल गये कि एस.सी., एस.टी. वाले चोर तो फिर शैलेन्द्रजी ने कैसे कह दिया कि एस.टी. वाले चोर होते हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बंशीवालजी, बिराजिये आप।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : फिर क्या, एस.सी., एस.टी. की जमीनों पर यह कब्जा किया, डाक्टर साहब उस मामले को इधर हाउस में रख रहे थे। क्या एस.सी., एस.टी. के प्रति यह सरकार वाले गम्भीर नहीं है? ऐसे क्या यह...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनको कोई ज्ञान नहीं हैं, बिराजिये-बिराजिये। आर्डर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन से जो आपने मंतव्य व्यक्त किया हम उससे पूर्णत: सहमत हैं। मैं और मेरे दल के सभी माननीय सदस्यों की भी इसमें पूर्ण समहित है कि जनता की उन सारी तकलीफों को इस सदन के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाये और सरकार उसके ऊपर कार्यवाही करके उन लोगों को राहत पहुंचाने का काम करे। यह बात भी सच है कि इस सत्र में हमेशा कुछ न कुछ शब्दों का चयन ठीक नहीं होने के कारण अनायास ही एक दूसरे पर कुछ आक्रोश आता है और उसके कारण से इस सदन की परम्पराएं और जो मान्यताएं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हैं वे वास्तव में आहत हो रही हैं। आज जो कुछ भी हुआ मैं सोचता हूं कि कोई भी जिसको इस लोकतंत्रीय व्यवस्था में विश्वास है, वह इसको कभी भी अच्छा नहीं कह सकता। और मैंने पहले भी कहा कि विषय की शुरूआत कहां से होती है, वह छोटे-छोटे शब्दों के चयन में कहीं न कहीं कमी रह जाने के कारण से या ठीक चयन नहीं होने के कारण से एक दूसरे को लांछित करने के लिए जब शब्दों का प्रयोग हो जाता है तो स्वाभाविक मन की, आक्रोश के कारण से व्यक्ति अपने आपको सम्भाल नहीं पाता है। मैं सोचता हूं कि जो कुछ भी हुआ, उसको न मैं अच्छा कह सकता हूं, न आप अच्छा कह सकते हो, न राजस्थान की जनता इसको अच्छा कह सकती है। पर इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है। किसी एक व्यक्ति और किसी एक पार्टी की नहीं है। हम सब जनता के प्रतिनिधि हैं और इस जनता के प्रतिनिधि के नाते हम सब लोगों को अपने-अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। और शब्दों का चयन, विषय का चयन कितना भी कठोर क्यों नहीं हो, तथ्यों के साथ आप उसको नियम के तहत जिसको जो कुछ भी कहना हो, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। लेकिन विषय के साथ जिस प्रकार के शब्दों का चयन करके हम एक दूसरे को इंगित करके कुछ कहना चाहते हैं उससे निश्चित रूप से भावनाओं को ठेस लगती है और अशांति या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है।

मैं एक बार फिर पूर्णतः आपकी भावनाओं से सहमत हूं और मैं चाहता हूं कि सदन चले। जो बिजनस हमारा बाकी है, उसको हम सब ठीक ढंग से, उस पर चर्चा करके, जनता के लिए हम उपयोगी कानून का रूप देकर उसको बना सकें, उसमें मेरे और मेरे दल की भावना आपके साथ है। लेकिन जो कुछ हुआ वह अच्छा नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा और मैं अब भी यह उम्मीद करता हूं कि यह जिम्मेदारी हमारी सबकी सामूहिक है। जहां हमारी जिम्मेदारी है, वहां सत्तापक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वह इसको ठीक प्रकार से निभाने का प्रयास करे। मैं तो यही कह सकता हूं बाकी तो फिर जैसी इच्छा हो।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खेद व्यक्त करते यह।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो न, आप काहे को दुःख पा रहे हो?

श्री मोहन लाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम यह सहन नहीं करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये न।

श्री मोहन लाल मोदी : जब तक यह

(श्री मोहन लाल मोदी)

खेद व्यक्त नहीं करेंगे तब तक हम सहन नहीं करेंगे। यहां पर पिटने के लिए थोड़े ही आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री मोहन लाल मोदी : हाउस में ही हमको यह ऐसे करेंगे तो कैसे पार पड़ेगी?

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : खेद व्यक्त कराओ।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : खेद व्यक्त करेंगे साहब, शैलेन्द्रजी जोशी, खेद व्यक्त करें। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) : मैंने न कुछ कहा और आप जैसे लोगों के अनर्गल और झूठे आरोप लगाने से कोई सेहत पर फर्क पड़ने वाला नहीं है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपने चोर बोला है। आप खेद व्यक्त करिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैंने नहीं बोला है। रिपोर्टिंग में है। और यह कहकर बी.जे.पी. के यह लोग बदनाम करना चाहते हैं और उनके बदनाम करने के तौर-तरीकों से मैं बदनाम होने वाला जीव नहीं, समझ गये?

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने माननीय भैरोंसिंहजी का नाम लिया है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपने कहा है। आपने नहीं कहा यह?

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप जो मिथ्या आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मिथ्या आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के मिथ्या आरोप से मैं आरोपित होने वाला नहीं हूं।

श्री जीतमल खांट : आपने भैरोंसिंहजी शेखावत साहब के लिए कहा है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपने मीणों को चोर बोला है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह रिपोर्टिंग बताएगी कि आपका कहना कितना सार्थक रखता है। आप तो हाउस में थे ही नहीं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैंने देखी है इसके अन्दर रिकार्डिंग को। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : देखी है रेकार्ड, आपको मिल क्या गया? कम से कम आप एक जिम्मेदार विधान सभा के सदस्य हैं, आपको तो यह देखना चाहिए कि...

डा. सी. पी. जोशी : रिपोर्टिंग बताएगी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप तो थे ही नहीं और ऐसा फिर क्यों कहते हो?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिये। एस.सी., एस.टी. के मामले में आप जो मर्जी आये बोल दो तो...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : एस.सी., एस.टी. के वोट आपको इस तरीके से नहीं मिलेंगे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : एस.सी., एस.टी. के लोगों को (व्यवधान) कम से कम आप तो हमारे यह...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमको सातों जातियों के वोट मिलते हैं और मिलते रहेंगे क्योंकि हमारी जो कांग्रेस की नीति है, सब जातियों को, मीणा जाति के लोगों को भी, माननीय अशोक गहलोतजी के मंत्रिमण्डल में तीन माननीय मंत्री मीणा जाति के हैं। इसलिए हम सभी जाति के लोगों की इज्जत करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो नहीं मिलेंगे। आपको नहीं मिलेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपको अब नहीं मिलेंगे। बांदीकुई के अन्दर एस.सी. के वोट नहीं मिलेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, माननीय पार्लियामैंटरी मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि एवं न्याय मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस वक्त हाउस में नहीं था। मुझे यह बताया गया कि हाउस एडजोर्न हुआ, उससे पहले कुछ ऐसी बातें हुई थीं या यह बात चली थी कि जो कुछ हुआ वह अच्छा नहीं हुआ और उसके बारे में माननीय विपक्ष के नेता महोदय कम से कम खेद तो प्रगट करेंगे। वह बात तो कुछ ऐसी कही है लेकिन अगर यह फरमा देते तो हाउस शांति से चलने में ज्यादा आराम रहता... (व्यवधान) ज्यादा आपकी पार्टी की तरफ से ही लांछन लगे हैं। हम यह नहीं कहते कि हमारी यहां पार्टी के अन्दर भी बहुत जबरदस्त डिसिप्लिन है और सभी जो पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर कहे, वही चलता हो, ऐसी बात नहीं है, मैं मानता हूं लेकिन फिर भी मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप एक शब्द फरमा दें तो फिर हाउस अच्छा चलेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नो।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं निवेदन कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो आप सब बोलो।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैं...

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, बोलो–बोलो आप।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भावनाएं आपने रखीं, यह बात तो सही है। लेकिन जहां तक हमारे संसदीय मंत्री महोदय ने कहा है कि केवल प्रतिपक्ष इसके लिये खेद व्यक्त करे, मैं यह नहीं मानता हूं कि जहां सत्ता

(श्री अमराराम)

पक्ष की तरफ से, चाहे वह सीकर से आने वाले माननीय सदस्य हों, चाहे मंत्री हों, पहले इन्होंने जिस तरह से शब्दों का चयन करके जिस तरह की बातें कहीं हैं वह उसी तरह की हैं जिस तरह से बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने की। कुछ 19-20 हो सकती हैं, लेकिन दोनों तरफ से पहले शुरूआत सत्ता पक्ष की ओर से हुई है। और उसके बाद जिस तरह से बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवहार किया है, दोनों ही अशोभनीय है और दोनों को ही इस बात के लिये खेद व्यक्त करना चाहिये। और राजस्थान की जनता की भावनाओं को जिस प्रकार से आपने अभिव्यक्त किया है, निश्चित रूप से पूरे राजस्थान की जनता दोनों के ही व्यवहार को अशोभनीय मानती है और जनता के जो मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होकर सदन को चलाया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : और कोई। हां-हां छूट है, बोलो। बोलो न आप, कौन रोक रहा है आपको, बोलो।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्षजी, यह डेडलोक बना और एक बिन्दु पर ज्यादा गम्भीर रूप इसने ले लिया। मेरा आपसे निवेदन यह है, मैं अनधिकार चेष्टा कर रहा हूं, लेकिन फिर भी हमारे दल के सम्माननीय नेता हैं, जब हमारे खेतसिंहजी साहब ने यह कह दिया कि इधर से हुआ, उधर से हुआ। दोनों तरफ से ही यह बात अच्छी नहीं हुई, खेद के बराबर हो गया। जब कटारिया साहब ने यह कह दिया कि शोभनीय नहीं था तो यह भी कोई शब्द हो कि मैं खेद प्रकट करता हूं, भावना इन्होंने प्रकट कर दी कि हमको भी खेद है। इस स्थिति में मैं हमारे माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इन्होंने यह रखा था कि जब तक खेद प्रकट नहीं होगा तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलनी चाहिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं हम सत्ता पक्ष में हैं और सत्ता पक्ष में होकर हमको बड़े भाई के रूप में काम करना चाहिये और...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बड़ी अजीब बात कर रहे हो आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी, इनको बोलने दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पुरानी आदत है न।

श्री शिवनाथ सिंह : मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए उपाध्यक्षजी, दोनों तरफ से खेद हो गया इस तरह से। अब मैं निवेदन करूंगा गृह मंत्री महोदय से, कि इसको ज्यादा तूल नहीं देकर और अब सदन की कार्यवाही आगे चले।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : हम भी गालियां देंगे ऐसे ही तब खेद प्रकट नहीं

(श्री यशवन्त सिंह)

करके हम भी, "हो गया"। कल से गाली हम भी देंगे, आप ध्यान कर लेना। आप इनकी बड़ी कर रहे हो...(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : बैठो भाई।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : कल से गालियां ऐसे ही हम भी देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाओ न। समझते ही नहीं हो।

श्री शिवनाथ सिंह : इस बात को ज्यादा तूल नहीं देकर यदि समझदार हो, समझदार के लिये उपाध्यक्षजी, काफी हो गया कि दोनों तरफ से ही खेद व्यक्त कर दिया गया है। इस स्थिति में यदि माननीय गृह मंत्रीजी, इजाजत दें तो यह सदन चले। इसी में हमारा सबका बड़प्पन है और हम तो बड़े दल के हैं। हमारा दिल बड़ा होना चाहिये। यही मेरा निवेदन है कि अनाधिकार मेरी चेष्टा है यह, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा लेकिन हमारे दल के माननीय नेताओं से कि हमें इस बात को सोचकर सदन की कार्यवाही आगे चले, इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब सिंहजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ कहा, केवल सदन की मर्यादा के सम्बन्ध में कहा था और सदन अगर मर्यादा से हटकर कोई काम करता है तो मैंने उसको अच्छा नहीं माना। जब से यह सदन प्रारम्भ हुआ है, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को दोष नहीं देना चाहता हूं। विपक्ष के माननीय सदस्य अपनी बात कहते हैं और सत्ता पक्ष का जब आदमी खड़ा होता है तो उसको बोलने नहीं देते हैं। यह तो कोई प्रजातांत्रिक तरीका नहीं होता है। इसे आप प्रजातांत्रिक तरीका मानते हैं क्या? प्रजातंत्र में उनका अधिकार है, वह कहे। हमारी कमियों को उजागर करें, हमारी बुराइयों को उजागर करें। हमने कोई गड़बड़ की तो उसको उजागर करें। हम उसको मानने के लिये तैयार हैं, लेकिन इनमें इतनी क्षमता तो होनी चाहिये कि वह हमारी बात तो सुनें। मैं तो उससे हताश नहीं हुआ हूं और न होऊंगा। जब दो दिन की डिमाण्ड थी फैमिन रिलीफ पर, तब आपने कहा हम नहीं सुनेंगे, नहीं आप तो गाली दे जाओ और मंत्री कुछ कहे तो कहे कि नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे और आप वेल में आकर नारे लागते रहो सब लोग-"चोर हो, चोर हो, चोर हो" कोई अच्छी परम्परा कायम कर रहे हैं आप? अगर आप यह कहते हो कि यह बहुत अच्छी परम्परा है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन कुछ परम्पराओं का निर्वहन कीजिये। इस हाउस की मर्यादा को कायम रखिये। इस हाउस ने कई नई परम्पराएं कायम की हैं। हम बिहार की

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

तरह से हाउस नहीं चलाते हैं। हमारी आपस में अंडरस्टेंडिंग है। हम मर्यादित हाउस को चलाना चाहते हैं। आपकी बात को ध्यान से सुने तो हमारी बात को भी आप ध्यान से सुनिये। आपने बात कह दी और बस हो-हल्ला करके कितने मिनट तक नारे लगाते रहे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस हाउस में नारे लगाते रहे, कितने मिनट तक लगाते रहे? अगर यह आप अच्छी परम्परा मानते हैं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। हम विपक्ष में बैठे थे। हम लोग बाहर बैठकर आपको हाउस चलाने की इजाजत दी थी। हम शोरगुल न करके बीस दिन तक बाहर बैठे रहे। सड़क पर बाहर बैठे रहे। आपको निर्भयपूर्वक हाउस चलाने का हमने कोई...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सुरक्षाकर्मी की पैंट फाड़ने का काम आपने किया। (व्यवधान) सुरक्षाकर्मी की पैंट फाड़ने का काम भी आपने ही किया था।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपने वह काम किया जो मानव दीवार करके बजट पास किया, वह धंधा हमने नहीं किया। मानव दीवार बनाकर जो काम किया...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने हमला किया था...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मानव दीवार बना करके जो काम किया आपने, वह देखा है मैंने। जो मानव दीवार बनाकर बजट पास किया था, जो परम्परा आपने डाली, वह हमने नहीं की है। मेहरबानी करके इस सदन की मर्यादा को ध्यान रखिये और कटारियाजी, अगर आपके सदस्य व्यवहार ठीक नहीं करते तो आपको खेद प्रकट करना चाहिये। चाहे किन्हीं शब्दों में करो और शिवनाथ सिंहजी अगर सन्तुष्ट हैं कि आपने खेद प्रकट कर दिया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : रेसीप्रोकेट तो विपक्ष के नेता को ही करना पड़ेगा। इश्यू तो बिलकुल सिम्पल है, हमने उस व्यवहार को कंडेम किया है। हम आज भी इस बात में स्टेंड करते हैं कि आप डिबेट में जो हैं, उसको डिलीट करिये, सजा दीजिये, लेकिन जो व्यवहार है, वह व्यवहार का इश्यू तो प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपको यह कहना पड़ेगा कि व्यवहार कंडेमेबल है। वह उन्होंने जो वर्ड यूज किया है, वह अलग इश्यु है, लेकिन जिस तरह से वैल में आकर माननीय सदस्य किसी पर अग्रेसिव होकर काम करें, यह तो प्रतिपक्ष के नेता, आपको कंडेम करना ही पड़ेगा और यदि आप यह कंडेम नहीं करते हैं तो न तो आप लोकतंत्र को मजबूत करते, न प्रतिपक्ष की भूमिका को

(डा. सी. पी. जोशी)

ठीक ढंग से निभाते हैं। इसलिए कम से कम जैसा शिवनाथ सिंहजी ने कहा आप कम से कम इस बात पर जरूर अपनी अभिव्यक्ति करें। मैं खेद वर्ड यूज नहीं करना चाहत हूं, लेकिन आपको इस एक्शन के सम्बन्ध में तो कहना चाहिये कि मेरी पार्टी के विधायक ने जिस तरह से वेल में आकर किया है, यह डिजायरेबल नहीं है। यह भी शब्द नहीं कहना चाहे हम, तब तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में हमसे आशा करें, यह सम्भव नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जाति को इंगित करके गाली दो।

डा. सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, हम भी लोकतंत्र में जिम्मेदारी के साथ हैं, आप आरोप लगाकर चले जाए, सुने भी नहीं और आरोप के सम्बन्ध में हम कोई बात कहे तो उसके ऊपर आपने दस मिनट तक आरोप लगा दिया कि शांति धारीवाल चोर है। दस मिनट तक नारे लगाये, वह तो रिकार्ड के अन्दर है। लोगों ने सुने हैं। हाउस में बैठे हुए हैं। यह तो आपको कंडेम नहीं करना चाहे, पर आप, जो व्यवहार हुआ, उस व्यवहार के सम्बन्ध में भी कोई बात नहीं कहे और एक सदस्य मंत्री के ऊपर फिजिकली आकर असाल्ट करने की कोशिश करे, यह तो माननीय प्रतिपक्ष के नेता, इस सम्बन्ध में आपको कुछ कहना चाहिये। हमारे बोलने में, शब्दों के चयन में गलती हो सकती है, यह एक अलग इश्यू है, उस पर आप डिबेट कर रहे हैं, उसको आप कंडेम कर दें। हम भी कंडेम करते हैं आपको हर्ट होता है, हम भी फील करते हैं। इस बात में हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिजिकली इस तरह का आकर हम यह एक्शन कर रहे हैं, इसको आप कंडेम नहीं करें, यह प्रतिपक्ष के नेता महोदय, यह डिजायरेबल नहीं है।

इसलिए मैं आपसे सानुरोध प्रार्थना करना चाहता हूं, यदि हमारी तरफ से प्रोवोकेशन हुआ है, हम अपने आपको सारी फील करते हैं। पर आपसे आशा भी करते हैं कि जिस तरह का वेल में आकर फिजिकली असाल्ट करने का जेसचर किया है, वह डिजायरेबल नहीं है, उसको किसी न किसी शब्द में आपको कंडेम करना है। कंडेम नहीं करेंगे तो हाउस में हम जो हमारी जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन करेंगे और इस तरह के प्रतिपक्ष के इस व्यवहार से हम क्षुब्ध हैं और प्रतिपक्ष के इस व्यवहार को हम टोलरेट नहीं करेंगे और यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी भी जिम्मेदारी है लोकतंत्र में इस तरह के व्यवहार से, जो आपके सदस्य का व्यवहार है, उसको यदि आप कंडेम नहीं करते तो आप लोकतंत्र की व्यवस्था के अन्दर विश्वास नहीं करते हैं। डेमोक्रेटिक सैट-अप पर डिबेट करके बात करना है,

(डा. सी. पी. जोशी)

उस पर आपका विश्वास नहीं है तो कम से कम इसकी हम भर्त्सना करते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं आप कम से कम भर्त्सना का शब्द तो यूज करें कि जो व्यवहार किया गया है, वह डिजायरेबल नहीं है। यदि यह नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, तो सदन नहीं चलेगा और सदन की जो परम्पराएं हैं, उन परम्पराओं के निर्वहन करने की जिम्मेदारी सबकी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : भंवरलालजी साहब। (व्यवधान) भंवरलालजी बोल रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ हुआ उसे सबने देखा और सबने सुना। मैं भी समझता हूं कोई भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा कि जो कुछ आज हुआ उससे वह सन्तुष्ट होगा। जब यह घटनाएं घट जाती हैं तो रियलाइजेशन ही होता है खाली उसमें, आपने भी माना कि अच्छा नहीं हुआ। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने भी कहा अच्छा नहीं हुआ व्हाट मोर डू यू वांट? अब माफी मांगी जाये, यह आग्रह क्यों होना चाहिये? जहां आप यह कहते हैं वेल में आने की बात...(व्यवधान)...अब आप सुनिये। वेल में आने की बात कहते हैं, अब हम विपक्ष में हैं, हमको जो भी प्रजातांत्रिक अधिकार हैं, उनका उपयोग हम करेंगे। आप दूर मत जाइये। दिल्ली में जब पार्लियामेंट चली थी अभी पिछले दिनों में, कांग्रेस ने क्या किया था?

डा. महेश जोशी : आप दिल्ली की बात छोड़ो, जयपुर की बात करिये। माननीय भंवरलालजी शर्मा साहब, न सिर्फ वैल में आये बल्कि आसन की जो टेबल है उस पर हाथ मारा, आप क्या बात कर रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : अब जब यह बात आ गयी तो जयपुर आ गया। बाकी तो रोज कहते हैं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दी है क्या? फिर यह क्यों बोल रहे हैं। यह क्या +++ है?

डा. महेश जोशी : इससे ऐसा लगता है कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय इस बात को फील कर रहे हैं, खेद प्रकट करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दी है भंवरलालजी को, अब आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी धमकी दे दी है कि अगर आपने खेद प्रकट किया तो आपको भी देख लिया जायेगा। यह धमकी आपको दी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : खेद आप लोग प्रकट करो पहले।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी, अभी मैंने यह कहा है कि आप बोले मेरे से इजाजत लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो कभी इजाजत से बोलते ही नहीं, इनकी तो तासीर में नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह जो आपने अभी आदेश दिया था कि बिना अनुमति नहीं बोले तो आप खेद प्रकट करिये, आप बिना अनुमति बोले हो।

डा. महेश जोशी : हां बिलकुल। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बिना अनुमति से बोला हूं, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बहुत अच्छा, बैठिये।

नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं न। मैंने ऐसा क्या किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं काहे का खेद प्रकट करूंगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, काहे का खेद? मैं तो अनुमति से बोल रहा हूं। अगर मैंने कोई गलती की है तो बता दो, पर सवाल यह नहीं है।

हम जब विपक्ष में हैं, हमारी बात आप नहीं सुनेंगे, नहीं सुनते हैं कई बार, हम को लगता है कि नहीं सुन रहे हैं। फिर हमारे पास क्या तरीका है? यही तरीका है कि हम आपके सामने हमारी बात रखें। (व्यवधान) मेरी बात तो सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। इस पर, मैं डिफर करता हूं आप से इस बात पर, कि माननीय किरोड़ी लालजी ने यह कहा कि उस पत्र को टेबल कराइये। मैंने एक मिनट में कहा कि मैं इसको टेबल करा दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बिलकुल ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : उसके बाद भी यह नहीं माने, वेल में आये। वेल में आकर के आप सब लोग आये और उन्होंने यहां पर इस पर हाथ पटका। इस बात को तो कोई टोलरेट नहीं करेगा।

डा. किरोड़ी लाल : इस पर हाथ कब रखा था?

श्री उपाध्यक्ष : इस बात को कोई टोलरेट नहीं करेगा। आपके कहते ही मैंने कहा कि इस पेपर को मैं टेबल करा दूंगा। उसके बाद कोई जरूरत नहीं थी कि यहां पर आपने जो कुछ एक्शन किया, उसकी जरूरत नहीं थी लेकिन आप तो इतना हो गये कि मुझे यह डर लगा कि कहीं आप कोलेप्स नहीं हो जाओ। इतना जोश आया आपको। मैं तो आप से हाथ जोड़ रहा था। कहीं आपकी तबीयत खराब है, कुछ हो जायेगा, आप मेहरबानी करके शांति रखो लेकिन आपको तो जोश में कुछ पता ही नहीं पड़ा। इसलिए यह बात तो सही है कि जो कुछ हुआ है वह अशोभनीय है, उसको तो आपको एक्सैप्ट

(श्री उपाध्यक्ष)

करना ही चाहिए बाकी और कोई बात नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह हो गया खतम, साहब। उसको मान लिया न। जो कुछ हुआ है, चाहे इधर से हुआ चाहे इधर से ठीक नहीं हुआ, उसको मान लिया सबने। अब उसको कब तक रगड़ेंगे, अब उसको कब तक घिसेंगे, क्या मतलब है इसका?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आसन सर्वोपरि है, आसन रैप्रिमैंड कर दे वह ही बहुत है, साहब। यानि खेद प्रकट करने से बड़ी चीज है। आसन से रैप्रिमैंड कर दे अगर माननीय सदस्य को उसके व्यवहार के लिए, वह पर्याप्त है। उपाध्यक्ष महोदय, वह करके आप डिबेट चालू करवाएं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : और जोशीजी कहते हैं मैं हाउस नहीं चलने दूंगा। कमाल है। हाउस नहीं चलने देंगे, यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : इन्होंने यह बोला, अगर नियम से हाउस नहीं चलेगा... (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मर्यादापूर्वक। मर्यादापूर्वक।

डा. चन्द्रभान : ऐसे नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि नियमों से सदन चलेगा। ऐसा कुछ नहीं कहा है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : श्रीमान् सी. पी. जोशीजी ने कहा, हाउस नहीं चलने देंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह कहा कि हाउस चलेगा तो नियम और मर्यादा से चलना चाहिए। यह नहीं कहा। नो, नो, नो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां नियमित चलेगा। उन्होंने कहा है... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आपकी नहीं, उनकी बात है।

डा. सी. पी. जोशी : Don't put your words in my month. यह क्या तरीका है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने तो प्रारम्भ में आते ही यह कहा है कि नियम और मर्यादा से...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सी.पी. साहब ने कहा है। आपने तो बहुत ठीक कहा। आप तो केवल नियमों की बात करते-करते...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप रिकार्ड देख लें।

डा. चन्द्रभान : जोशीजी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है।

डा. सी. पी. जोशी : रिकार्ड देख लें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप केवल नियमों की बात करते हो (व्यवधान) अब मैं बोल रहा हूं तो आप दो-दो मंत्री खड़े हो जाते हो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : चार-चार मंत्री खड़े हो जाते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह कौनसा नियम है? फिर आप खड़े हो रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो, आपके बस की बात नहीं है। बिराजिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : इनसे खेद व्यक्त कराओ आप। चार-चार मंत्री खड़े हो गये बिना आपकी अनुमति के।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो न आप।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : एक तरफ आप कह रहे हो कि बिना आपकी इजाजत के कोई बोलेगा नहीं फिर आपकी इजाजत के बिना चार-चार मंत्री खड़े होकर बोल रहे हैं, इनसे खेद व्यक्त कराओ आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : चार-चार मंत्री खड़े हो रहे हैं एक साथ बोलने के लिए, आप इनसे खेद व्यक्त कराओ।

श्री मोहन लाल मोदी : नहीं, आपने तो अनुमति ली है क्या? शिक्षा दूसरों को दे रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपने अनुमति ली है क्या?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह आपकी इजाजत के बिना कैसे खड़े हो गये?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बंशीवालजी, बिराजिये।

श्री मोहन लाल मोदी : नहीं, आप कैसे खड़े हो गये? यह बता दें आप।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप क्यों खड़े हो रहे हो?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ठेका है अनुमति का।

श्री मोहन लाल मोदी : आपको शिक्षा देने के लिए। (व्यवधान) आप तो कम से कम...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मेरे को आपकी शिक्षा...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने अनुमति ले ली क्या? मोदीजी, आप इनको शिक्षा दे रहे हो, वह तो जवान हैं, नये हैं।

डा. चन्द्रभान : माननीय, बिराजिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। भंवरलालजी शर्मा बोल रहे हैं, नहीं बोलेंगे आप। भंवरलालजी शर्मा बोलेंगे, आप बिराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों माननीय नेताओं ने अपनी बात कह दी, हाउस ने भी समझ लिया है, अब इस विषय को लम्बा करने का मैं कोई अर्थ नहीं समझता। सबने रियलाइज कर लिया, कर लिया जो करना है जो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रियलाइज क्या कर लिया?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : Mr. Shanti Lal, let mesay first.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। क्या बात है? क्यों खड़े हो रहे हो?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप शांतिजी, शांत बैठिये, मेरी बात सुनिये। आप बोलिये, कौन मना करता है।

डा. चन्द्रभान : पहले आप बोलिये।

श्री रामनारायण चौधरी : फोरगेट एण्ड फोरगिव बोल दीजिये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां और क्या। फोरगेट एण्ड फोरगिव। कह दिया, बोल दिया और क्या बोलूं। अब यह खतम हुई बात।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। हां ठीक है, बस खतम...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि जो शिवनाथ सिंहजी ने और माननीय गृह मंत्रीजी ने भावना प्रकट की है और पूरे सदन की भावना है एक तरह से। आपको उसको भी ध्यान में रखना चाहिए और आप खुद स्वीकार करते हैं कि गलती तो हुई है तो फिर उसको स्वीकार करने में या खेद प्रकट करने में क्या दिक्कत थी? और क्यों नहीं आप सदन को चलाएं, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है सदन को चलाने की जितनी सत्तापक्ष की है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट बोलने दो। इसी से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। आप बिराजिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप बोलने ही नहीं देते।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आर्डर, आर्डर।

मैं समझता हूं इस चैप्टर को अब यहीं क्लोज कीजिये। माननीय भंवरलालजी शर्मा ने फोरगेट एण्ड फोरगिव कर दिया। उसके बाद इस हाउस को सुचारू रूप से चलने दीजिये। श्री शांति धारीवालजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : साहब, इसका अर्थ क्या हुआ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका अर्थ यह है कि आप जवाब दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, इसका अर्थ यह है कि आपको कोई पर्सनल, जो आप दे रहे थे एक्सप्लेनेशन, उसको पांच मिनट में आप बोल कर समाप्त कर दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, वो तो मैं बोल दूंगा लेकिन जिस तरीके का यहां पर अशोभनीय व्यवहार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : This chapter is closed now. वह चैप्टर क्लोज हो गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जिस तरीके की यहां गाली–गलौच की गयी उसका क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : यह चैप्टर क्लोज हो गया This chapter is closed now. आप अपना एक्सप्लेनेशन दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके आसन को जाकर के ठोका गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक्सप्लेनेशन दीजिये, उसकी मेरे को चिंता है। आप बोलिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उसको भी चैलेंज कर रहे हो क्या?

श्री उपाध्यक्ष : और पांच मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर क्वेश्चन करेंगे, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : नो क्वेश्चन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्यों, यह कैसे?

डा. किरोड़ी लाल : क्वेश्चन तो होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। पहले उनको समाप्त करने दीजिये। कोई क्वेश्चन का प्रोविजन नहीं है इसमें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ मैंने यहां पर कहा और जिसके लिए प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य ने यह कहा कि आपने बड़ा गलत कहा है, उसकी प्रोसिडिंग उठा कर देखना चाहिए। मैंने कहा कि इस भूमि पर जो अतिक्रमी थे वो लोग एक जाति विशेष के थे और आपकी जाति के थे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बात खतम हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष : वह बात खतम हो गयी, आगे चलो आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह बात मैंने बोली है लेकिन यह किस बात पर बोली। 12.30 पर कल माननीय किरोड़ी लालजी मीणा ने यह कहा कि किस्म सिवाय चक है, इस जमीन पर पिछले 30 वर्षों से श्योकरण, गोविंद सहाय, रामनारायण रामचन्द्र आदि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनका कब्जा है। मैंने क्या गलत कहा? आपने कहा कि

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

यह अनुसूचित जनजाति के हैं, मैंने कहा कि यह आप ही की जाति के हैं। क्या गलत कहा?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्वेश्चन मत करो, आप तो बोलो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा निवेदन यह है कि सारा किस्सा क्या है, लैंड अलाटमेंट हुई। यह देखिये फिर वही बात आ रही है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं नहीं, आपके लिए नहीं कह रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब मैं यह कहूं कि यह ए.सी.बी. के मुलजिम हैं तो आप कहेंगे कि यह काहे को कह रहे हो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप आगे चलिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा निवेदन यह है कि सारा, जो कुछ दु:ख है वह दु:ख इस बात का है कि दो अफसर, एक बनवारी लाल कासठ और एक राजस्थान का सीनियर आई.ए.एस. आफिसर जिनकी जमीन...

श्री सुरेन्द्र व्यास : नाम बताओ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बता दूंगा। मैं खतम करूंगा जब बता दी दूंगा। नहीं इतना कमजोर नहीं हूं मैं। हां, आप यह मत समझो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, फिर वही बात। आप क्यों पूछना चाहते हो, आप बिराजिये प्लीज।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हाउस में जो नहीं है, काहे को नाम लेंगे।

डा. चन्द्रभान : नहीं, नाम बतायेंगे उनका भी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इन दोनों की जमीन आमेर ट्रस्ट को अलाटेड लैंड के बिलकुल बराबर में थी। वहां पर एक सार्वजनिक बावड़ी थी जो कि 300–400 वर्ष पुरानी थी। इन्होंने यह क्लेम किया कि यहां पर हमारा खेतों पर जाने का आम रास्ता रहा है और हमारा कब्जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह पांच आदमी–श्योकरण पुत्र हरदेव मीणा जिसका जिक्र माननीय किरोड़ी लालजी ने भी किया, दूसरा सुरेन्द्र मीणा, तीसरा रामचन्द्र मीणा, दुर्गा देवी, कैलाश मीणा प्रभु देवी और रामनारायण मीणा, इन सब के एफिडेविट्स यह मौजूद हैं और इन्होंने अपने एफिडेविट में यह कहा है कि इस जमीन पर न तो बनवारी लाल काट का कब्जा रहा और न राजस्थान के सीनियर आई.ए.एस. अफसर के.एल. मीणा का कब्जा रहा। वह अपना कब्जा बताकर उस जमीन को हड़पना चाहते हैं जबकि इन पर हमारा कब्जा रहा है। यही माना गया है।

(16.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : धीरे बोलो आप, धीरे। जोश में मत कहो आप, धीरे बोलो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप तक आवाज आ रही है?

श्री उपाध्यक्ष : आवाज आ रही है, मैं बहरा थोड़े ही हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ठीक है मैं धीरे बोल लेता हूं, साहब।

ये ट्रिब्यूनल के फैसले हैं। इन ट्रिब्यूनल के फैसलों को मानते हुए ये जो अतिक्रमी थे उनको बताया गया कि सरकारी लैंड है और इनको अलाट की जाती है। जहां तक अलाटमेंट का सवाल है, मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि लैंड अलाट हुई है 2.5.2001 को और जिस वक्त 2.5.2001 को लैंड अलाट हुई उसके सात महीने पूर्व तक इस ट्रस्ट के अध्यक्ष डा. बैजनाथ सिंह थे जो कि इस रश्मि डिकन्सन के फादर थे और मदर राजेश्वरी देवी, वे भी इस ट्रस्ट की मैम्बर थीं। रश्मि डिकन्सन ट्रस्ट की मैम्बरशिप से रिजाइन कर चुकी थीं। इसके पिता जो अध्यक्ष थे उनको आनरेरी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। अलाटमेंट के टाइम पर कौन अध्यक्ष था, आपने जो विदेशी का बार–बार मुद्दा उठाया है उसकी बाबत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत यह ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कितनी तारीख को रजिस्टर्ड हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो गया राठौड़ साहब, आपको। क्या मतलब है? आप बोले जा रहे हैं। क्या हो गया? किसी चीज को समाप्त होने दो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जब इनकी एप्लीकेशन पहली बार जे.डी.ए. में आयी, जे.डी. ने अपने लीगल सैक्शन में इस पर एक्जामिन करवाया कि आया यह ट्रस्ट जिस एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ है वह होने के काबिल है या नहीं। वहां की टिप्पणी आयी कि यह होने के काबिल है। यह इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत बिलकुल बैलिडली यह ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ है। उसके बाद सारा प्रोसेस हुआ है। जहां तक इस बात का सवाल है कि जे.डी.ए. ने इनसे पचास लाख रुपये दस बीघा के मांगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब पचास लाख रुपये मांगे, इन्होंने नहीं दिए। जे.डी.ए. ने लैंड कैंसिल कर दी, अलाटमेंट कैंसिल कर दिया। उसके बाद रिप्रजेंटेशन हमारे पास आया कि हम सामाजिक काम करना चाहते हैं, ये हमारे उद्देश्य हैं, इन सब चीजों को देखिए। हैरिटेज सिटी आप बनाना चाहते हैं, हम हैरिटेज का काम करना चाहते हैं, प्रिजर्वेशन करना चाहते हैं, कंजरवेशन करना चाहते हैं, रेस्टोरेशन करना चाहते हैं, यह सब कुछ काम हम करना चाहते हैं। हमें लैंड अगर इतनी महंगी दे दी

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

गयी तो हम क्या कर पायेंगे। इन सब चीजों को एक्जामिन करते हुए हमने यह फैसला किया कि रिजर्व प्राइस की 25 प्रतिशत पर इनको लैण्ड अलाट की जाए और 25 प्रतिशत उन पर इस बात के लिए रखा गया 25 प्रतिशत तो यह रकम जमा कराएं जे.डी.ए. में, लेकिन रिजर्व प्राइस की 25 प्रतिशत वहां के विकास के कार्यों के लिए खर्च करें। यदि खर्च नहीं करेंगे तो इनकी जमीन निरस्त कर दी जाएगी। यह कंडीशन थी। मोटे तौर पर जे.डी.ए. की जनरल कंडीशंस होती हैं अलाटमेंट के टाइम।

श्री उपाध्यक्ष : कनक्लूड कीजिए माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कनक्लूड ही कर रहा हूं, साहब।

जे.डी.ए. की ये जनरल कंडीशंस होती हैं। बीस-तीस कंडीशंस होती हैं। यह नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, यह नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा। गवर्नमेंट ने सुओमोटो अपनी तरफ से कई कंडीशंस इस अलाटमेंट में डाली। आप चाहें तो मैं पढ़ कर बता सकता हूं कि क्या-क्या कंडीशंस डाली और किस तरीके से इस ट्रस्ट को बांधा गया।

श्री उपाध्यक्ष : कृपा करो आप तो। मत पढ़ो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल :...कि ये अपने परपज से इधर उधर न हों जो उद्देश्य इसने कायम किये हैं, उन उद्देश्यों के ऊपर ये चले और जिस काम के लिए इनको जमीन सौंपी गयी है और इस काम के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर पाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि झगड़ा रश्मि डिकिन्सन का है और दो आफिसर्स, इन आफ़िसर्स में से एक बड़े आफिसर के खिलाफ एक अखबार वाले ने, एक समाचार पत्र ने लम्बे चौड़े प्रोपर्टी के छापे और उसमें लिखा कि यह रिचेस्ट ब्यूरोक्रेट है। किस्सा चला। मुख्य मंत्रीजी ने जांच बैठा दी। वहां किरोड़ी लालजी मीणा साहब पधारते हैं और उन्होंने चार सौ पांच सौ आदमियों को इकट्ठा करके मुख्य मंत्रीजी को ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन में यह लिखा कि अनुसूचित जनजाति के आफिसर के खिलाफ इस प्रकार का प्रोपेगण्डा चलाया जा रहा है। रश्मि डिकिन्सन का कहना है, जो कि उसने अपने पत्र में मुझे लिखा है, मैं यह पत्र पेश करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनका पैंतरा शुरू हो गया और येन केन प्रकारेण भाजपा विधायक किरोड़ी लाल मीणा व कन्हैया लाल मीणा को अपने साथ लाकर मुझे राजनीतिक स्तर पर परेशान व आतंकित...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, यह पढ़ चुके आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, यह नहीं पढ़ा है। यह दूसरा पैरा है। मैंने निशान लगा रखे हैं कि कहां-कहां मैंने पढ़ा और कहां नहीं पढ़ा। बिलकुल नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं। आतंकित करने का सिलसिला शुरू हो गया। भाजपा विधायक किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान विधान सभा में मेरे खिलाफ विभिन्न आरोप लगाये। ये लोग मेरी नागरिकता, समाज सेवा, मेरे द्वारा खर्च की गयी धनराशि पर और ट्रस्ट की स्वच्छ गतिविधियों की जांच कराने की मांग पर जुट गये। हालांकि इन जांचों से सांच को आंच नहीं आने वाली लेकिन पिछले करीब तीन सालों से तरह-तरह की जांचों से न केवल मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा बल्कि उस पवित्र उद्देश्य से जिस उद्देश्य से मैं यहां आयी हूं और जिसके लिए बाकी ट्रस्टी आये हैं वे भी बाधित होते रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्षजी, इस तरह से बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही चालू हो गये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्रीजी, एक सैकण्ड।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पहले आपने मुझे टोका, मैं बैठ गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह तो बहुत अच्छा किया आपने।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ऐसा मत करिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह पत्र गृह मंत्रीजी को लिखा है या आपको लिखा है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : थोड़ा-सा धैर्य रखिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : रख लिया। यह गृह मंत्रीजी को लिखा है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शर्माजी, आप बिराजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : काफी उम्र हो गयी आपकी।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्षजी, ट्रस्ट के अध्यक्ष तो बैजनाथजी हैं और चिट्ठी रश्मिजी लिख रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए आप पहले, उनको सुन लीजिए न। आप बिराजिए। आप कहोगे जो थोड़े ही बोलेंगे वह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्वेश्चन तो करेंगे?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसमें यह भी लिखा है कि सरकारी आफिसर से खुले गठजोड़ का भण्डाफोड़ होने की खबर पर सरकार से जवाब तलब करते रहे और खुद को नौकरशाही वगैरह,

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

वगैरह। यहां तक लिखा कि विधायक किरोड़ी लाल मीणा को, डाक्टर साहब, यह मेरा आरोप नहीं है, यह मत समझो कि मैं आरोप लगा रहा हूं, मैं इस तरीके का आरोप नहीं लगाता हूं, जैसे कि पचास लाख की जमीन और घोटाला दो करोड़ का, यह उसका पत्र है जिससे आप निपटते रहना। विधायक किरोड़ी लाल मीणा को आई.ए.एस. के.एल. मीणा द्वारा विदेश में इलाज कराने व पहले चुनाव में खर्च के लिए भी मोटी रकम दी गयी।

डा. किरोड़ी लाल : यह तो रिकार्ड में है कि मैं सरकार से पैसा लेकर गया हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या हो गया? लैट हिम रीड इट। कहने दीजिए आपको क्या तकलीफ है।

डा. किरोड़ी लाल : परन्तु इन चीजों के बोलने का अर्थ क्या है उपाध्यक्ष महोदय? मेरे को सरकार ने खर्चा दिया है। मैं सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, गहलोतजी को इस बात के लिए आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं कि सरकार ने पैसा दिया। सरकार के पैसे से मैं इलाज करवाकर आया और आप ये अनर्गल बातें यहां पर इनसे पढ़वा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? ये अनर्गल आरोप क्यों लगा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या हो गया?

डा. किरोड़ी लाल : मेरे को मोटी रकम दी इलाज के लिए, ये ऊंटपटांग चीज पढ़ेंगे यहां पर? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ये क्या आरोप लगा रहे हैं?

डा. किरोड़ी लाल : ये ऊंटपटांग चीज पढ़ने की परमिशन देंगे आप? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको क्या तकलीफ हो रही है इसमें क्या हो रहा है?

डा. किरोड़ी लाल : परन्तु यह तो आपको और पूरी सरकार को पता है कि सरकार ने मुझे इलाज के लिए भेजा।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें बुरा क्या है?

डा. किरोड़ी लाल : एक अखबार में विपरीत टिप्पणी हुई फिर भी, मैं आभारी हूं मुख्य मंत्रीजी का और बाकी मंत्रियों का कि उन्होंने कहा कि आप इलाज के लिए जाओ, आप अखबारों की टिप्पणी की तरफ मत जाओ। मैं इतना मौरल वाला हूं, एक पैसा इलाज के लिए लिया हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

डा. किरोड़ी लाल : मैंने किसी चुनाव के लिए पैसा नहीं किया। नहीं, अनर्गल बातें नहीं बुलवायेंगे, उपाध्यक्ष महोदय। फिर वही प्रार्थना है। यह कोई जवाब है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सदस्य, आपके विदेश जाने का खर्चा... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आप बिराजो। हां, मैं जानता हूं आपने बहुत मदद की है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं कह रहा हूं कि आप विदेश जाने का खर्चा तो रिकार्डेड है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप। जब गवर्नमेंट ने आपको कहा है कि आप विदेश जाइये। आपको खर्चा देंगे। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यह मेरे कल के सवाल का जवाब है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : Whay is wrong in it?

डा. किरोड़ी लाल : यह मेरे कल के सवाल का जवाब है क्या? यह बता दो आप मेरे को।

श्री उपाध्यक्ष : क्या?

डा. किरोड़ी लाल : मैं कल बोला था पर्ची पर उसका जवाब दे रहे हैं क्या? मैंने यह बात उठायी थी कल।

श्री मदन दिलावर : धारीवालजी के बारे में कौन नहीं जानता? बच्चा-बच्चा जानता है कि धारीवालजी क्या हैं।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बताओ कि जब मैं कल पर्ची पर बोला और मैंने जो आरोप लगाये... (व्यवधान) ठहर जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल : मैंने जो कल आरोप लगाये उन आरोपों का जवाब यह है क्या, कि मैंने उनसे चन्दा लिया के.एल. मीणा से, मैंने उनसे इलाज के लिए पैसा लिया। ये मैंने आरोप लगाये क्या? यह मेरे आरोपों का जवाब है क्या, आप तो इतना सा बता दो।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो आप। माननीय धारीवालजी साहब, प्लीज समाप्त कीजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : समाप्त ही कर रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल : अनर्गल बात नहीं कहोगे, धारीवालजी। इन्हीं बातों से ठेस पहुंचती है। मैंने एक पाई...

श्री शांति कुमार धारीवाल : अनर्गल तो कल आपने कह दी। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस चिट्ठी की फोरेंसिक लैबोरेट्री में जांच करवाएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले मुझे सुनो तो सही। पहले मुझे सुनो उसके बाद में... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम यहां बेइज्जत होने के लिए आए हैं?

एक माननीय सदस्य : धिक्कार है अगर उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की तो।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्षजी, मैं मेरी मां की कसम खाता हूं मैंने चुनाव के लिए इलाज के लिए किसी अधिकारी से किसी से पैसा लिया हो तो मैं विधान सभा से चला जाऊंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह पत्र टेबल रहो। यह पत्र कल लिखवाया है। कल जब क्वेश्चन विधान सभा में आ गया,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सदस्य कल बोल गये, माननीय सदस्य कल बोल गये, यह पत्र कल की तारीख में है। यहां बेइज्जत होने के लिए नहीं आए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा आरोप है कल रात को रश्मि डिकिन्सन से यह पत्र लिखवाया है। कल रात को लिखवाया है यह पत्र।

श्री उपाध्यक्ष : सुन तो लो आप। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सुन लो आप।

श्री धर्मपाल चौधरी : वहां पर एशो आराम क्या-क्या होते हैं इनसे पूछो जाकर के। कल पत्र लिखवाया और वहां पर क्या-क्या करते हैं सरकार जांच करे इसकी...(व्यवधान) वहां पर ए.सी. लगे हुए हैं समाज को देने के लिए...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पत्र पेश कर रहा हूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवाल साहब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं खतम ही कर रहा हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य के स्वास्थ्य के प्रति ऐसी भावना आप मत व्यक्त करो, आखिर हम भी इंसान ही हैं यह भी इंसान है...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इनका स्वास्थ्य कल तो बहुत अच्छा था, जब मेरी एब्सेंस में इन्होंने मेरे पर आरोप लगाए...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आप रश्मि का पत्र पढ़ रहे हो ना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आज ही क्यों गड़बड़ हो रहा है स्वास्थ्य?

श्री धर्मपाल चौधरी : एक तरफ तो कहते हो इसके पिताजी अध्यक्ष है, दूसरी तरफ कहते हो रश्मि ने पत्र लिख दिया... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : फोरेंसिक लेबोरेट्री से जांच करवाइए, कल की तारीख में टाइप करवाकर लाए हैं वहां पर बैठकर।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप तो उसकी जांच करवा दो, वहां पर क्या क्या कुकृत्य होते हैं उनकी जांच करवा लो, सरकार करे...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सदन को मजाक बना रखा है...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : रश्मि ने यह कह दिया, रश्मि ने यह कह दिया।

श्री मदन दिलावर : रश्मि के और इनके क्या सम्बन्ध हैं, इनके चरित्र की जांच करवाइए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह जो भी माननीय सदस्य ने पत्र पढ़ा है, यह पत्र आप हाउस की टेबल पर टेबल करा दो ताकि यह पत्र जो आपने कल लिखवा करके तैयार करवाकर मंगवाया है, उसकी पोल खुले। यह कल आपने लिखवा कर अपने हिसाब से तैयार...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप भी मौजूद थे ना वहां पर, अब आप उपस्थित थे वहां पर जब मैं लिखवा रहा था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसे आप टेबल करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : करा देंगे, करा देंगे टेबल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : टेबल पर रखता हूं।

श्री सांवर लाल : इसकी फोरेंसिक लेबोरेटरी से जांच करवाइये, उपाध्यक्ष महोदय, कल की तारीख में टाइप हुआ है सारा का सारा पत्र।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने जब यह पत्र हाथ में लिया था पढ़ने के लिए उसी वक्त कहा था कि मैं टेबल करूंगा। आप यह मत समझिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : पत्र के साथ उस जगह की भी जांच करवा लो।

श्री उपाध्यक्ष : (व्यवधान) कायदे से दिखायेंगे, ऐसे नहीं देखते हैं, तरीका होगा। आप बिराजिए। नियम से आएगा आपके पास, अभी नहीं आएगा। नहीं, नहीं बतायेंगे। नहीं बतायेंगे। आप बिराजें... (व्यवधान) पत्र आ गया, टेबल हो गया। लेने का कोई तरीका है उस तरीके से आप ले लीजिए कौन मना करता है। टेबल हो गया पत्र उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट रिकार्ड है आप ले लीजिए।

माननीय धारीवालजी, बिराजिए, चर्चा समाप्त।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अभी तो मुझे बहुत कुछ कहना है, ये क्या कर रहे हो आप, ये नाइंसाफी मेरे साथ क्यों। मुझे आप पूरी बात क्यों नहीं कहने देते मेरे पास तो अभी बहुत कुछ चीजें हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे प्रकरण में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से आ चुकी है कि यह अलाटमेंट पहले जे.डी.ए. ने खुद ने कैंसिल कर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कल्ला साहब।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय धारीवाल साहब, यह बात आपने स्वीकार की है कि यह आबंटन जे.डी.ए. ने रद्द कर दिया था और...

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लालजी बैठिये। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए प्लीज। इस पर कोई बहस नहीं होगी। इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, कोई उत्तर नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2003

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 2002 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2003

श्री उपाध्यक्ष : श्री तकीउद्दीनजी। (व्यवधान) वो चर्चा समाप्त हो गयी।

श्री तकीउद्दीन अहमद (स्वायत्त शासन, राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री तकीउद्दीन अहमद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूं।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान लोक सेवा आयोग का 52वां वार्षिक प्रतिवेदन

डा. बी. डी. कल्ला (शिक्षा मंत्री) : मैं संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 52वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 सदन की मेज पर रखता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2003

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2003 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2003 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

विधेयक पर विचार

राजस्थान वित्त विधेयक, 2003

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2003 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2003 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 2003 पारित किया गया।

सदन की बैठक सोमवार, 31 मार्च, 2003 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.21 बजे दिनांक 31 मार्च, 2003 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट-"क"

(तारांकित प्रश्न संख्या-486 का विवरण)

कृषि उपज मण्डी समिति, छबड़ा का वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 का आय-व्यय विवरण

(आय-व्यय लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मण्डी गोणमण्डी यार्ड	आय				व्यय	
		वर्ष 2000-01		वर्ष 2001-02		2000-01	2001-02
		कुल आय	मण्डी शुल्क	कुल आय	मण्डी शुल्क		
1.	मुख्यमण्डी, छबड़ा	66.25	49.15	59.65	11.33	91.76	56.93
2.	गोणमण्डी, छीपाबड़ौद	38.04	33.60	43.63	44.61	5.94	6.15
3.	गोणमण्डी, कवाई (सालपुरा)	23.56	22.27	22.84	20.05	1.61	1.53
4.	गोणमण्डी, हरनावदा शाहजी	4.63	4.40	4.47	4.32	0.06	0.00
	कुल योग	132.48	108.42	135.59	112.31	99.37	64.61

परिशिष्ट–"ख"

कृषि उपज मण्डी समिति, छबड़ा का वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 का मदवार व्यय का विवरण

क्र. सं.	मद का नाम	2000-2001 (लाख रुपयों में)	2001-2002 (लाख रुपयों में)
1.	सचिव संवेतन	1.79	1.50
2.	कर्मचारी संवेतन	10.34	6.87
3.	यात्रा भत्ता सचिव/कर्मचारी	0.35	0.27
4.	कार्यालय व्यय आर्वतक	2.57	2.50
5.	मण्डी प्रांगण सुविधाएं	11.91	11.22
6.	निर्माण कार्य	70.70	39.89
7.	विविध	1.71	2.36
	योग	**99.37**	**64.61**

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या–487 का विवरण)

दिनांक 1.4.1999 के पश्चात् हुए सेना/अर्द्ध सैनिक बलों के आपरेशन विजय (कारगिल) तथा अन्य आपरेशनों में शहीदों के परिजनों एवं युद्ध विकलांगों के लाभार्थ पैकेज

शहीद की धर्मपत्नी को आर्थिक लाभ	1.	एक लाख रुपये+25 बीघा भूमि (इ.गा.न.परि. फेज I एवं II) या एक लाख रुपये+हाउसिंग बोर्ड का एम.आई.जी. मकान या पांच लाख रुपये नकद
माता-पिता को आर्थिक लाभ	2.	अल्प बचत योजना की मासिक आय योजना में माता पिता के नाम से 1.02 लाख रुपये सावधि जमा।
नियोजन	3.	शहीद की धर्मपत्नी या उसके पुत्र या अविवाहित पुत्री को वेतनमान I से II तक नियोजन पुत्र/पुत्री के नौकरी योग्य होने तक शहीद की धर्मपत्नी द्वारा यह अधिकार सुरक्षित रखने का प्रावधान।
शिक्षा	4.	शहीदों के बच्चों के लिए राजकीय विद्यालय, कालेज, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग में निःशुल्क शिक्षा।
	5.	विद्यालय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1800 रुपये प्रति बच्चे को छात्रवृत्ति का प्रावधान। कालेज, तकनीकी, मेडिकल, इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए यह राशि प्रतिवर्ष 3600 रुपये प्रति बच्चा होगी। यह छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग के माध्यम से दी जावेगी।
शहीद का सम्मान	6.	एक विद्यालय का नामकरण शहीद सैनिक के नाम किया जावेगा।

अन्य सुविधाएं	7.	रा. रा. वि. म. द्वारा किसी भी कृषि भूमि, जो की धर्मपत्नी अथवा शहीद के माता-पिता के नाम से हो, के लिए "आउट आफ टर्न" एक विद्युत कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान।
	8.	रा. रा. प. प. नि. द्वारा शहीद की धर्मपत्नी एवं उसके आश्रित बच्चों को डिलक्स एवं साधारण बस के लिए निःशुल्क रोडवेज पास जारी करने का प्रावधान।
स्थायी अपंग सैनिकों के लिए	9.	पच्चीस हजार रुपये+25 बीघा भूमि (इ.गा.न.परि. फेस II) या पच्चीस हजार रुपये+भूमि की ऐवज में 4 लाख रुपये
	10.	स्वयं सैनिक या उसके आश्रित को वेतनमान 1 से 9 तक नियोजन

परिशिष्ट-"ख"

दिनांक 31.3.1999 से पूर्व के शहीद सैनिकों के परिजनों हेतु सविधाएं

दिनांक 31.3.1999 से पूर्व विभिन्न युद्धों तथा अन्य आपरेशनों में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं तथा परिजनों को राज्य सरकार द्वारा निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है-

(क) 1962 से लेकर 31.3.1996 तक की अवधि के शहीदों के परिजनों को जे.सी.ओ. व अधिकारी वर्ग के लिए 2500/–रुपये नकद व 25 बीघा सिंचित भूमि तथा अन्य रैंकों के लिये 2000/–रुपये नकद व 25 बीघा सिंचित भूमि का प्रावधान।

(ख) 1.4.1996 से 31.3.1999 की अवधि में शहीद हुए सैनिकों के लिये 10,000/–रुपये नकद व 25 बीघा सिंचित भूमि देने का प्रावधान।

(ग) 1962, 1965 एवं 1971 के शहीदों के परिजनों हेतु प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन देने का प्रावधान।

(घ) प्री–कारगिल शहीदों के दो आश्रितों हेतु रोजगार देने में प्राथमिकता का प्रावधान।

(ङ) दिनांक 31.3.1999 से पूर्व का युद्ध विधवाओं तथा अविवाहित शहीदों के माता–पिता को राज्य कोष में 300 रुपये एवं मुख्य मंत्री सहायता कोष से 450 रुपये मासिक कुल 750 रुपये सम्मान भत्ते के रूप में दिये जाने का प्रावधान।

परिशिष्ट-3

परिशिष्ट-''अ''

(तारांकित प्रश्न संख्या-488 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी व जमुवारामगढ़ के विद्यालयों की बकाया छात्रवृत्ति

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	छात्रवृत्ति की बकाया राशि कक्षा 6-10	छात्रवृत्ति की बकाया राशि कक्षा 11-12	कुल बकाया राशि
1	2	3	4	5
	विधान सभा क्षेत्र बस्सी			
1.	रा.उ.मा.वि., बस्सी	0	25065	25065
2.	रा.उ.मा.वि., तूंगा	0	44640	44640
3.	रा.उ.मा.वि., जटवाड़ा	0	10800	10800
4.	रा.उ.मा.वि., बांसखो	0	7200	7200
5.	रा.उ.मा.वि., कोटखावदा	27840	20880	48720
6.	रा.बा.उ.मा.वि., बस्सी	0	3600	3600
7.	रा.मा.वि., रामनगर	5480	0	5480
8.	रा.मा.वि., रूपाहेड़ी कलां	11240	0	11240
9.	रा.मा.वि., गरूड़वासी	10120	0	10120
10.	रा.मा.वि., ठीकरिया मीणान	1200	0	1200
11.	रा.मा.वि., महादेवपुरा	10840	0	10840
	योग	66720	112185	178905
	विधान सभा क्षेत्र जमुवारामगढ़			
1.	रा.उ.मा.वि., गठवाड़ी	15120	10080	25200
2.	रा.उ.मा.वि., रायसर	6720	5760	12480
3.	रा.उ.मा.वि., आंधी	10640	12960	23600
4.	रा.उ.मा.वि., खवा रानीजी	11960	10080	22040
5.	रा.उ.मा.वि., चावण्डिया	4880	9360	14240

1	2	3	4	5
6.	रा.उ.मा.वि., धौला	17880	7920	25800
7.	रा.उ.मा.वि., मेड़	10800	10080	20880
8.	रा.उ.मा.वि., चन्दवाजी	10920	7920	18840
9.	रा.मा.वि., ताला	6480	0	6480
10.	रा.मा.वि., थौलाई	10680	0	10680
11.	रा.मा.वि., महंगी	2400	0	2400
12.	रा.मा.वि., टोडा मीणा	2120	0	2120
13.	रा.मा.वि., थली	12720	0	12720
14.	रा.मा.वि., नेवर	4320	0	4320
15.	रा.मा.वि., छारसा	2320	0	2320
16.	रा.मा.वि., खोरा लाडखानी	8840	0	8840
17.	रा.मा.वि., तेवड़ी	10080	0	10080
18.	रा.मा.वि., नवरंगपुरा	22400	0	22400
19.	रा.मा.वि., बूज	1920	0	1920
20.	रा.मा.वि., रूपवास	720	0	720
21.	रा.मा.वि., इन्द्रगढ़	2880	0	2880
22.	रा.मा.वि., लांगड़ियावास	1920	0	1920
23.	रा.मा.वि., धूला रावजी	3950	0	3950
24.	रा.मा.वि., नीमला	3640	0	3640
25.	रा.बा.मा.वि., मेड़	6400	0	6400
	योग	192710	74160	266870

परिशिष्ट-4

परिशिष्ट-I

(तारांकित प्रश्न संख्या-489 के प्रावधान)

राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959

अध्याय-1

17. "**प्रन्यासधारी**" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसमें अकेले में ही अथवा जिसके साथ किन्हीं अन्य व्यक्तियों को मिलाते हुए प्रन्यास निहित है और उसमें प्रबन्धक सम्मिलित है।

18. "**कार्यवाहक प्रन्यासधारी**" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो तत्समय या तो अकेला ही या किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के साथ मिलकर किसी सार्वजनिन प्रन्यास की प्रन्यास सम्पत्ति का प्रबन्ध करता है और इसमें किसी सार्वजनिन प्रन्यास का प्रबन्धक सम्मिलित है तथा इसमें निम्नांकित भी सम्मिलित हैं:-

(क) किसी मठ की दशा में ऐसे मठ का अध्यक्ष, और

(ख) किसी ऐसे सार्वजनिन प्रन्याय, जिसका प्रधान कार्यालय या जिसके कार्य का प्रधान स्थान राजस्थान राज्य से बाहर है, के प्रसंग में वह व्यक्ति जो सम्बन्धित राज्य में उस सार्वजनिन प्रन्यास की सम्पत्ति के प्रबन्ध का तथा उक्त सार्वजनिन प्रन्यास के प्रशासन कार्य का प्रभारी (इंचार्ज) हो।

अध्याय-2

कतिपय सार्वजनिक प्रन्यासों की वैधता

(3) **संदिग्धता के आधार पर सार्वजनिन प्रन्यास अवैध नहीं होगा :** किसी विधि, रूढ़ि या प्रथा के होते हुए भी, कोई सार्वजनिन प्रन्यास केवल इसी आधार पर अवैध नहीं हो पायगा कि उन व्यक्तियों का उद्देश्यों-जिनके हितार्थ प्रन्यास का सृजन किया गया है-का निश्चयन नहीं किया गया है या नहीं किया जा सकता है।

सष्टीकरण : कोई सार्वजनिन प्रन्यास जो ऐसे प्रयोजनों, जैसे धर्म या पुण्य कार्य के लिए सृजित किया गया है, केवल इसी आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा कि उन प्रयोजनों का, जिनके लिए उसका सृजन किया गया है, निश्चयन नहीं किया गया है या नहीं किया जा सकता है।

(4) **सार्वजनिन प्रन्यास इस आधार पर अवैद्य नहीं होगा कि वह पुण्येतर या धर्मेतर प्रयोजनों के लिये अवैद्य है :** कोई सार्वजनिन प्रन्यास जिसका ऐसे प्रयोजनों के लिए सृजन किया गया हो जिनमें से कुछ पुण्यार्थ या धार्मिक हैं और कुछ ऐसे नहीं हैं, धार्मिक या पुण्यार्थ प्रयोजन के सम्बन्ध में केवल इस आधार पर अवैद्य नहीं समझा जायेगा कि वह पुण्येतर या धर्मेतर प्रयोजन के सम्बन्ध में अवैद्य है।

(5) **सार्वजनिन प्रन्यास उत्तरदायित्व के अभाव के आधार पर अवैद्य नहीं होगा:** किसी धार्मिक या पुण्यार्थ प्रयोजन के लिए सम्पत्ति का कोई भी विन्यास, सार्वजनिन प्रन्यास के रूप में केवल इसी आधार पर अवैद्य नहीं समझा जायेगा कि ऐसे विन्यास के साथ ऐसा कोई उत्तरदायित्व नहीं है जिसके द्वारा उस व्यक्ति से, जिसके पक्ष में यह विन्यास किया गया है, उसे धार्मिक या पुण्यार्थ उद्देश्य के लिए धारण करने की अपेक्षा की गई हो।

(6) **सार्वजनिन प्रन्यास किसी विशिष्ट उद्देश्य की विफलता या संस्था (सोसाइटी) आदि समाप्त हो जाने के कारण अवैद्य नहीं होगा :** यदि कोई सार्वजनिन प्रन्यास किसी पुण्यार्थ या धार्मिक प्रकार के किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा पुण्यार्थ या धार्मिक प्रयोजन के लिए निर्मिक किसी संस्था या संस्थान के लाभार्थ सृजित किया गया हो तो ऐसा प्रन्यास, इस बात के होते हुए भी कि सामान्य पुण्यार्थ या धार्मिक प्रयोजन के लिए प्रन्यास सम्पत्ति का विनियोग किये जाने का कोई अभिप्राय नहीं था, केवल निम्नलिखित कारणों से अवैद्य नहीं समझा जायेगा :

(क) कि विशिष्ट उद्देश्य, जिसके लिए प्रन्यास का सृजन किया गया था, का पालन किया जाना असम्भव या अव्यवहार्य हो गया है, या

(ख) कि संस्था या संस्थान विद्यमान नहीं है या समाप्त हो गया है।

अध्याय–5

सार्वजनिन प्रन्यासों का पंजीयन

(6) **सार्वजनिन प्रन्यासों का पंजीयन :** (1) उस तारीख से जिसको यह धारा किसी सार्वजनिन प्रन्यास पर लागू की जाय अथवा उस तारीख से जिसको कोई सार्वजनिन प्रन्यास बनाया जाय, दोनों में जो भी बाद में हो, तीन महीनों के भीतर, उसका कार्यवाहक प्रन्यासधारी ऐसे सार्वजनिन प्रन्यास के पंजीयन हेतु क्षेत्राधिकार रखने वाले सहायक आयुक्त के यहां आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) सहायक आयुक्त, पंजीयन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु उप धारा (1) द्वारा निर्धारित अधि की ऐसे कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जायगा, बढ़ा सकेगा, परन्तु ऐसी अवधि–वृद्धि 3 महीने से अधिक के लिए नहीं की जायेगी।

(3) ऐसे प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ ऐसा शुल्क, यदि कोई हो, जो निर्धारित किया जाय किन्तु जो पांच रुपये से अधिक नहीं हो, दाखिल किया जायेगा और वह ऐसे प्रयोजनों के काम में लाया जायेगा जो निर्धारित किये जाये।

(4) आवेदन-पत्र ऐसे प्रपत्र में होगा जैसा कि निर्धारित किया जावे और उसमें निम्नलिखित विवरण होंगें, अर्थात :-

1. सार्वजनिन प्रन्यास प्रन्यास का उद्‌गम (जहां तक मालूम हो), प्रकार और उद्देश्य तथा वह नाम जिससे वह सार्वजनिन प्रन्यास पुकारा जाता है या पुकारा जायेगा।

2. वह स्थान जहां पर उस सार्वजनिन प्रन्यास का मुख्य कार्यालय या उसके कार्य का मुख्य स्थान स्थित है।

3. कार्यवाहक प्रन्यासधारी तथा प्रबन्धक के नाम और पते।

4. प्रन्यासधारी के पद के उत्तराधिकार की रीति।

5. प्रन्यास की चल तथा अचल सम्पत्ति की सूची और उस सम्पत्ति का ऐसा बर्णन तथा विवरण जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त हो।

6. चल या अचल सम्पत्ति का लगभग मूल्य।

7. चल या अचल सम्पत्ति से और किसी अन्य जरिये से, यदि कोई हो, प्राप्त हुई कुल औसत वार्षिक आमदनी, जो उस तारीख जिसको कि आवेदन पत्र दिया गया है, से ठीक पहले के तीन वर्ष अथवा ऐसी अवधि, जो प्रन्यास का निर्माण होने के समय से व्यतीत हुई है, दोनों में से जो भी अवधि कम हो, की वास्तविक कुल वार्षिक आमदनी पर आधारित है तथा नव-निर्मित सार्वजनीन प्रन्यास की दशा में, समस्त ऐसे जरियों से होने वाली अनुमानित कुल वार्षिक आमदनी।

8. ऐसे सार्वजनिन प्रन्यास के सम्बन्ध में औसत वार्षिक व्यय की रकम जो उस अवधि जिससे खण्ड (7) के अन्तर्गत दिये गये विवरण सम्बन्धित है, में हुए व्यय पर अनुमानित हो, और नव-निर्मित सार्वजनिन प्रन्यास की दशा में, ऐसे सार्वजनिन प्रन्यास के सम्बन्ध में अनुमानित वार्षिक व्यय।

9. पता जिस पर कार्यवाहक प्रन्यासधारी या प्रबन्धक को, सार्वजनिन प्रन्यास के सम्बन्ध में कोई संवाद भेजा जा सके।

10. ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किये जावें।

किन्तु शर्त यह है कि जो नियम बनाये गये हैं उनमें यह व्यवस्था की जा सकती है कि किसी भी या समस्त सार्वजनिन प्रन्यासों के मामले में यह आवश्यक नहीं होगा कि उस प्रन्यास सम्पत्ति के विवरण दिये जाय जो ऐसे मूल्य तथा ऐसी किस्म की हो जिनका उन नियमों में उल्लेख किया जाय।

(5) उप धारा (1) के अन्तर्गत दिया गया प्रत्येक आवेदन पत्र, वाद पत्रों पर हस्ताक्षर करने तथा उनको सत्यापित करने के लिए कोड आफ सिविल प्रोसीजन, 1908 (केन्द्रीय एक्ट संख्या 5 सन् 1908) में उल्लिखित रीति के अनुसार हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किया जायगा। उसके साथ प्रन्यास के विलेख (यदि ऐसा विलेख निष्पादित किया गया हो तथा विद्यमान हो) की एक प्रतिलिपि नत्थी की जायगी और जब कि प्रन्यास सम्पत्ति में, अधिकार-अभिलेख में प्रविष्ट अचल सम्पत्ति सम्मिलित हो तो ऐसे अधिकार-अभिलेखों में ऐसी सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रासंगिक प्रविष्टियों की प्रतिलिपि भी नत्थी की जायगी।

(6) कोई भी सहायक आयुक्त, किसी ऐसे सार्वजनिन प्रन्यास, जिसके कि पंजीयन के सम्बन्ध में कोई आवेदन-पत्र पहले किसी अन्य सहायक आयुक्त को प्रस्तुत किया जा चुका हो, के पंजीयन के हेतु किसी भी आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा और वह सहायक आयुक्त जिसके समक्ष सर्वप्रथम आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया था, यह निर्णय करेगा कि उस सार्वजनिन प्रन्यास का पंजीयन करना किस सहायक आयुक्त के अधिकार-क्षेत्र में है।

(7) उस सहायक आयुक्त, जिसके समक्ष आवेदन-पत्र सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था, द्वारा उप धारा (6) के अन्तर्गत दी गई आज्ञा के विरुद्ध 60 दिन के भीतर आयुक्त के यहां अपील की जा सकती है और ऐसी अपील पर निर्णय के अधीन रहते हुए, उप धारा (6) के अन्तर्गत सहायक आयुक्त की आज्ञा अन्तिम होगी।

THE INDIAN TRUSTS ACT, 1882

3. Interpretation clause-"trust"

A "trust" is an obligation annexed to the ownership of property, and arising out of a confidence reposed in and accepted by the owner, on decalared and accepted by him, for the benefit of another, or of another and the owner :

"author of the trust". "trustee":"beneficiary":"trust property":"beneficial interest" : "instrument of trust":

the person who reposes or decalares the confidence is called the "author of the trust" the person who accepts the confidence is called the "trustee": the person for whose benefit the confidence is accepted is called the "beneficiary": the subject-matter of the trust is called "trust-property" of "trust-money": the "benficial interest" or "interest of the beneficiary is his right against the trustee as owner of the trust-property; and the instrument, if any, by which the trust is declared is called the "instrument of trust";

4. Lawful purpose

A trust may be created for any lawful purpose. The purpose of a trust is lawful unless it is (a) forbidden by law, or (b) is of such a nature that, if permitted, it would defeat the provisions of any law, or (c) is fraudulent, or (d) involves or implies injury to the person or property of another, or (e) the court regards it as immoral or opposed to public policy.

Every trust of which the purpose is unlawful is void. And where a trust is created for two purposes, of which one is lawful and the other unlawful, and the two purposes, cannot be separated, the whole trust is void.

Explanation : In this section, the expression "law" includes, where the trust property is immovable and situate in a foreign country, the law of such country.

5. Trust of immovable property

No trust in relation to immovable property is valid unless declared by a non-testamentary instrument in writing signed by the author of the trust or the trustee and registered or by the will of the author of the trust or of the trustee.

Trust of movable property : No trust in relation to movable property is valid unless declared as aforesaid, or unless the ownership of the property is transferred to the trustee.

6. Creation of trust

Subject to the provisions of section 5, a trust is created when the author of the trust indicates with reasonable certainty by any words or acts (a) an intention on his part to create thereby a trust, (b) the purpose of the trust, (c) the beneficiary, and (d) the trust-property, and (unless the trust is declard by will or the author of the trust is himself to be the trustee) transferred the trust-property to the trustee.

7. Who may create trusts

A trust may be created-

(a) by every person competent to contract, and

(b) with the permission of a prencipal civil court of original jurisdiction, by or on behalf of a minor,

but subject in each case to the law for the time being in force as to the circumstances and extent in and to which the author of the trust may dispose of the trust property-

परिशिष्ट–5

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

सिंचाई शुल्क में वृद्धि हेतु करार

490. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1998 के बाद सरकार ने सिंचाई शुल्क में कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी की है? क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में भी सिंचाई शुल्क में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व कितनी?

(2) सरकार ने सिंचाई प्रणाली व सिंचाई योजना की अपग्रेडेशन हेतु विश्व बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से कितना–कितना ऋण लेना स्वीकार किया एवं कितना ऋण मिला व कितनी ऋण राशि का उपयोग हुआ?

(3) क्या यह सही है कि विश्व बैंक से सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्गठन व उन्नयन हेतु लिये जाने वाले ऋण में सरकार ने सिंचाई शुल्क को वर्षवार बढ़ाने का करार किया था? यदि हां, तो कितना–कितना सिंचाई शुल्क कौन–कौन से वर्ष में बढ़ाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) सिंचाई शुल्क में वर्ष 1999 तक लगभग 80 से 100 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस वित्तीय वर्ष में सिंचाई शुल्क में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) विश्व बैंक एवं राजस्थान सरकार के मध्य 15 मार्च, 2002 को हुए करार के अनुसार राजस्थान जल क्षेत्र पुन:संरचना परियोजना (आर.डब्ल्यू. एस. आर.पी.) के लिए 140 मिलियन अमरीकी डालर (रुपये 734 करोड़) का ऋण दिये जाने का प्रावधान है। चूंकि यह इस परियोजना का प्रारम्भिक चरण है, अत: दिनांक 31 जनवरी, 2003 तक रुपये 1.98 करोड़ व्यय हो चुका है।

(3) जी नहीं। करार के अनुसार 30 अप्रैल, 2004 तक सिंचाई शुल्क में इतनी वृद्धि की जानी है कि इससे प्राप्त राजस्व आय रख–रखाव व संचालन व्यय से कम से कम 50 प्रतिशत हो व 30 अप्रैल, 2007 तक सिंचाई शुल्क में इतनी वृद्धि की जानी है कि इससे प्राप्त राजस्व आय से रख–रखाव व संचालन व्यय 100 प्रतिशत पुनर्भरण हो सके।

खादी योजना हेतु आबंटित ऋण

491. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राज्य में सरकार द्वारा किन–किन योजनाओं में कितना–कितना प्रतिशत अनुदान तथा ऋण सुविधा उपलब्ध है?

उत्तर

सरकार द्वारा खादी ग्रामोद्योगों में विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध कराये गये अनुदान व सुविधा का विवरण परिशिष्ट–एक पर संलग्न है।

परिशिष्ट–"1"

राज्य सरकार द्वारा विभाग की विभिन्न योजना में दी जा रही अनुदान एवं सुविधा का विवरण

1. राज्य सरकार द्वारा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को प्रति वर्ष खादी ग्रामोद्योगों की बिक्री को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से गांधी जयंती व नेहरू जयंती के अवसर पर खादी ग्रामोद्योग आयोग के साथ-साथ राज्य सरकार भी रिबेट स्वीकृत करती है राज्य सरकार द्वारा वर्ष प्रतिवर्ष लगभग 3.00 करोड़ रुपये की राशि इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाती रही है। वर्ष 2002-2003 में ऊनी सूती खादी तथा ऊनी कम्बल व पाली व रेशमी खादी पर निम्नानुसार रिबेट प्रतिशत के रूप में स्वीकृत की गई :

वर्ष	प्रतिशत रिबेट				
	ऊनी	सूती	रेशमी	पॉली	ऊनी कम्बल
2002-2003	10	10	5	5	10

2. राज्य बोर्ड को अकाल की विभीषिका को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा अकाल राहत कार्य सम्वत् 2059 के अन्तर्गत खादी क्षेत्र के कतिन बुनकरों के लिए शैड निर्माण तथा कताई बुनाई के कार्य के लिए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु व कम्बल क्रय हेतु राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 500.00 लाख रुपये सहायता विभाग के माध्यम से बोर्ड को उपलब्ध कराएं गए है।

3. **ऋण वसूली हेतु जीप किराया**

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित इकाइयों से अवधि पार बकाया ऋण की वसूली हेतु प्रति वर्ष राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत लगभग 7.00 लाख रुपये प्रति वर्ष उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

4. **प्रदर्शनी व हाट बाजारों का आयोजन**

राज्य सरकार द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से राज्य बोर्ड को प्रतिवर्ष लगभग 13.00 लाख रुपये इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे है। इस योजना में बोर्ड द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों व राज्य के बाहर खादी ग्रामोद्योगों के उत्पाद की प्रदर्शनी लगाकर बिक्री को बढ़ावा

दिया जा रहा है इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है तथा इन प्रदर्शनियों के माध्यम से लगभग 9.00 करोड़ रुपये की बिक्री प्रतिवर्ष की जा रही है।

5. **बिक्री कर मुक्ति के क्रम में**

वित्त ग्रुप 4 विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.3.1995 व संशोधित अधिसूचना द्वारा राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित खादी व ग्रामोद्योगी इकाइयों को बिक्री कर छूट प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत व्यक्तिगत इकाइयों को 30.00 लाख रुपये व संस्था/समितियों को 2.00 करोड़ रुपये के टर्न आवर पर बिक्री कर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

आमेर महल व नाहरगढ़ किला (जयपुर) में पदस्थापित कर्मियों द्वारा अनियमितताएं

492. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के आमेर महल व नाहरगढ़ किले में दर्शकों को बेचे गये टिकटों को पुनः बेचे जाने की घटनाओं की शिकायतें प्राप्त होने पर अचानक जांच की गई? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायतें सही साबित हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्थानों पर कैमरे का शुल्क वसूल कर टिकट नहीं दिये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त के लिये कौन–कौन दोषी पाये गये व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि टिकट पुनः बेचे जाने के मामले की पत्रावली दोषियों ने गायब करवा दी है? यदि हां, तो उक्त के लिये क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर के आमेर महल, नाहरगढ़ किले में दर्शकों को बेचे गये टिकटों को पुनः बेचे जाने की घटनाओं की जांच उप सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा की जा रही है। वह अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करेगी।

(2) उक्त स्थानों पर कैमरा शुल्क वसूल कर टिकट नहीं दिये जाने की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

(3) टिकट पुनः बेचे जाने के मामले की नाहरगढ़ किले की जांच पत्रावली गायब होने तथा तत्कालीन जांचकर्ता द्वारा गायब पत्रावली की फोटो प्रति उपलब्ध नहीं कराने के सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारी/जांचकर्ता के विरुद्ध निदेशक द्वारा सी.सी.ए. नियम 17 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

पूरक सामग्री

जयपुर के आमेर महल में तत्कालीन उप निदेशक (प्रशासन) द्वारा दिनांक 1.4.2001 को एक जांच दल के साथ प्रवेश टिकटों के विक्रय की आकस्मिक जांच की गई। जांच के उपरान्त निदेशालय के गोपनीय पत्र क्रमांक प.2 (30) पु.स./स्था./2001/3164 दिनांक 7.4.2001 द्वारा प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अग्रेषित कर दिया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्र.ई.रि.स. 20/03 दिनांक 24.1.2003 द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया है और अभी जांच कार्यवाही चल रही है।

नाहरगढ़ किले में दिनांक 8.9.1999 को तत्कालीन कार्यवाहक अधीक्षक, जयपुर वृत्त द्वारा आकस्मिक जांच की गई तथा जांच रिपोर्ट अधीक्षक, जयपुर वृत्त के कार्यालय की पत्र प्रेषण पंजिका के क्रमांक 1445 दिनांक 4.10.1999 पर अंकित है, किन्तु जांच रिपोर्ट की मूल प्रति निदेशालय की पत्र प्राप्ति पंजिका में दर्ज नहीं है, तथा कार्यालय प्रति अधीक्षक, जयपुर वृत्त कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इस कारण अधीक्षक, जयपुर वृत्त द्वारा पुलिस थाना, माणक चौक में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गयी। पुलिस थाना माणक चौक के पत्र क्रमांक 10278 दिनांक 16.09.2002 के अनुसार इस जांच रिपोर्ट की एक अतिरिक्त फोटो प्रति तत्कालीन जांचकर्ता श्री ओमप्रकाश शर्मा, वर्तमान क्रमोन्नत अधीक्षक, ज्योतिष यंत्रालय के पास उपलब्ध है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा, क्रमोन्नत अधीक्षक, ज्योतिष यंत्रालय, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 197 दिनांक 2.07.2002 और क्रमांक 199 दिनांक 6.07.2002 में स्वयं यह स्वीकार किया है कि जांच रिपोर्ट की फोटो प्रति उनके पास उपलब्ध है, किन्तु निदेशालय द्वारा पत्र क्रमांक प.2 (37) पु.सं./ए.सी.बी./2002/7671 दिनांक 4.7.2002 तथा समसंख्यक पत्र क्रमांक 9026 दिनांक 6.8.2002, 10805 दिनांक 21.9.2002, 11143 दिनांक 3.10.2002 लिखे जाने के बावजूद श्री ओमप्रकाश शर्मा ने उनके पास उपलब्ध जांच रिपोर्ट की फोटो प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी है।

नाहरगढ़ किले की जांच पत्रावली गायब होने तथा श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा उसकी फोटो प्रति उपलब्ध नहीं कराने के कारण सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 17 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

आमेर महल में कैमरे का शुल्क वसूल कर टिकट नहीं दिये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। दिनांक 28.10.2002 को विभागीय जांच दल द्वारा आमेर महल में जांच के समय जिन छात्र–छात्राओं को निःशुल्क प्रवेश की अनुमति दी गयी थी, उनके पास कैमरा टिकट नहीं होना पाये जाने के कारण जांच दल द्वारा कैमरा टिकट खरीदवाये गये, जब कि व्यवहारतः निःशुल्क प्रवेश के साथ कैमरा भी निःशुल्क होता रहा है।

दिनांक 10.12.2002 ज्योतिष यंत्रालय, जयपुर में प्रवेश एवं कैमरा टिकटों की आकस्मिक जांच में अनिमितता पाये जाने के कारण अधीक्षक, ज्योतिष यंत्रालय, जयपुर द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है।

नगरपालिका क्षेत्र कुचेरा (नागौर) में ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा करवाये गये कार्य

493. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1995–96 से 1999–2000 तक नगरपालिका क्षेत्र कुचेरा (नागौर) में कौन–कौनसी योजनाओं के अन्तर्गत कितनी–कितनी राशि के कितने कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के मार्फत करवाये गये? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि के दौरान पुलिस थाना कुचेरा का भवन भी बनवाया गया था? यदि हां, तो किस योजना के तहत और उक्त पर कितनी राशि व्यय की गई है? क्या उक्त का पूरा भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यों में से कितने पूर्ण हो गये तथा कितने अपूर्ण हैं? उक्त में से कितनों का भुगतान कर दिया गया और कितना भुगतान बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1995–96 से 1999–2000 तक नगरपालिका क्षेत्र कुचेरा (नागौर) में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर द्वारा सहभागी नगर विकास योजना के तहत राशि रुपये 55.04 लाख के 55 कार्य, निर्बन्ध राशि योजनान्तर्गत राशि रुपये 9 लाख के 03 कार्य तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत राशि रुपये 1.00 लाख का 01 कार्य स्वीकृत किया गया है। योजनावार एवं कार्यवार सूची परिशिष्ट–'अ' पर है।

(2) जी हां। वर्ष 1998–99 में पुलिस थाना कुचेरा के भवन के लिए राशि रुपये 10.00 लाख (5.00 लाख रुपये जनसहयोग एवं 5.00 लाख सहभागी योजना) स्वीकृत किये। उक्त स्वीकृति सहभागी नगर विकास योजना के तहत है। उक्त भवन पर रुपये 5.68 लाख व्यय हुए हैं। उक्त कार्य के लिये सहभागी नगर विकास योजनन्तर्गत आयोजना मद में राशि अनुपलब्ध होने के कारण नगरपालिका कुचेरा को राशि जारी नहीं की गई है।

(3) उक्त 59 स्वीकृत कार्यों में से 58 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 1 कार्य अपूर्ण है। 39 कार्यों का पूर्ण भुगतान योजनान्तर्गत किया जा चुका है। 19 कार्यों पर राशि रुपये 10.48 लाख नगरपालिका द्वारा निजी स्रोत से व्यय की गई राशि योजनान्तर्गत प्राप्त होना शेष है। इसके अलावा 1 अपूर्ण कार्य के पेटे रुपये 5.00 लाख योजनान्तर्गत प्राप्त होना

(ग्रामीण विकास मंत्री)

शेष है, जिसमें नगरपालिका कुचेरा द्वारा निजी स्रोत से व्यय की गई राशि 0.68 लाख भी शामिल है। कार्यों की भौतिक स्थिति का विवरण परिशिष्ट–'अ' पर है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्रशिक्षित आयुर्वेद कम्पाउण्डरों की नियुक्ति

494. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में वर्ष 1991 से प्रशिक्षित आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डरों को कितनों को नौकरी दी गई? वर्षवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा पूरा किया गया है? यदि हां, तो कितना?

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत वर्ष 1991–92 से वर्ष 2002–2003 तक 914 प्रशिक्षित नर्स/कम्पाउण्डरों की नवीन नियुक्ति प्रदान की गई है।

वर्षवार दी गई नियुक्तियां की संख्या का विवरण परिशिष्ट–''क'' में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) अनुसूचित जनजाति के लिये 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, जिसे पूरा करते हुए विभाग द्वारा नियुक्तियां दी गई है। इसके अतिरिक्त सामान्य वर्ग की सूची में आने वाले अनुसूचित जनजाति के आशार्थियों को भी नियुक्ति प्रदान की गई है।

अनुसूचित जाति के निर्धारित योग्यताधारी आशार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होने से इनका निर्धारित 16 प्रतिशत आरक्षण कोटा पूरा नहीं किया जा सका है।

परिशिष्ट-"क"

आयुर्वेद विभागान्तर्गत वर्ष 1991 से वर्ष 2002 तक नर्स/कम्पाउण्डर पद पर दी गई नवीन नियुक्तियों का विवरण

वर्ष	नवीन नियुक्तियों की संख्या
1991–92	146
1992–93	111
1993–94	02
1994–95	120
1995–96	20
1996–97	158
1997–98	—
1998–99	155
1999–2000	1
2000–2001	—
2001–2002	201
2002–2003	—
योग	914

स्थगित-प्रश्न

दिनांक 3 मार्च, 2003

जिला नागौर में वक्फ सम्पत्तियों पर अतिक्रमण

94. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वक्फ सम्पत्तियों पर अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं? यदि हां, तो जिला नागौर में कौन कौनसी वक्फ सम्पत्तियों पर कब-कब से कितनी-कितनी सम्पत्तियों पर किन-किन का नाजायज कब्जा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सम्पत्तियों की रक्षा व संधारण करने की जिम्मेदारी किस की है तथा उन्होंने अपनी जिम्मेदारी किस सीमा तक निभाई और जिम्मेदारी नहीं निभाई तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या उक्त अतिक्रमणों को हटाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक किस प्रकार से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला नागौर में वक्फ सम्पत्तियों पर नाजायज कब्जों की सूची सदन की पटल पर रख दी गई है जो परिशिष्ट-''क'' है।

(2) वक्फ सम्पत्तियों की रक्षा व संधारण की जिम्मेदारी स्थानीय वक्फ कमेटियों एवं मुतवल्ली व वक्फ कमेटियों ने अपनी जिम्मेदारी सही तौर पर नहीं निभायी है उनकी जांच करवा कर जिम्मेदारी तय की जावेगी। जिला नागौर में स्थित वक्फ सम्पत्तियों पर अवैध अतिक्रमण से सम्बन्धित सूचना प्राप्त होने पर बोर्ड द्वारा विधिनुसार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की गई है। जिसका विवरण परिशिष्ट-''ख'' पर है। सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। विधिनुसार एवं सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जाकर अतिक्रमियों को हटाया जायेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मास्टर आदित्येन्द्र महाविद्यालय डीग में विज्ञान संकाय की स्थापना

495. श्री अरुण सिंह (डीग): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार राजकीय मास्टर आदित्येन्द्र महाविद्यालय डीग में विज्ञान विषय खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय

(श्री अरुण सिंह)

डीग में स्नातकोत्तर की कक्षाएं चालू करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग की इस वर्ष की वार्षिक योजना में नवीन संकाय/विषय खोलने हेतु वित्तीय प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं। विभाग की इस वर्ष की वार्षिक योजना में महाविद्यालयों की क्रमोन्नति हेतु कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है। तथा यह महाविद्यालय स्नातकोत्तर स्तर में क्रमोन्नति हेतु निर्धारित मानदण्ड भी पूरे नहीं करता है। निर्धारित मानदण्ड की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–1)

परिशिष्ट–1

महाविद्यालय की क्रमोन्नति हेतु मानदण्ड :

1. क्षेत्रीय आवश्यकता।
2. आवश्यक कक्षा–कक्ष की उपलब्धता।
3. पर्याप्त संख्या में फर्नीचर की उपलब्धता।
4. महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या कम से कम 1000 होनी चाहिये।

जिला नागौर में कृषि मण्डी समिति द्वारा ग्रामीण सड़कों का निर्माण

496. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कृषि मण्डी समितियों द्वारा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

(2) वर्ष 2001–02 व 2002–03 में जिला नागौर में कौन–कौनसी सड़कें कितनी–कितनी लागत की कब–कब बनाई तथा वर्ष 2003–04 में कौन–कौनसी सड़कें कितनी–कितनी लागत की बनाई जायेगी?

(3) राज्य में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में इस विभाग के कौन–कौन से अधिकारियों के विरुद्ध क्या–क्या कार्यवाही कब–कब से चल रही है? यदि आरोप पत्र दिये गये हों तो उनकी प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों की ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(11) ग्रुप–2/94 दिनांक 11.3.1996 के अनुरूप विभाग की सड़क नीति प्रभावी है।

(2) वर्ष 2001–02 में नागौर जिले की 6 सड़कें बनाई गई, जिनकी लागत 196.07 लाख रुपये है। सड़कवार सूचना परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है। वर्ष 2002–2003 में जिला नागौर में नवीन सड़कों की स्वीकृति न होने के कारण कोई निर्माण नहीं करवाया गया है। वर्ष 2003–2004 में जिले की मण्डियों की सम्भावित बचत को ध्यान में रखते हुए सड़कों की स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जावेगी।

(3) राज्य में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में बोर्ड के अधिकारियों के विरुद्ध चल रही कार्यवाही विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। आरोप पत्रों की प्रति परिशिष्ट 'स–1' से 'स–15' पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम आनन्दपुर काल (पाली) में छात्रावास भवन निर्माण

497. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम आनन्दपुर काल में छात्रावास किराये के भवन में संचालित है? यदि हां, तो उक्त भवन का मासिक किराया कब से कितना है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रावास के भवन के निर्माण हेतु सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कितनी?

(3) क्या यह सही है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण उक्त राशि का उपयोग नहीं हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अब उक्त भवन को बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त भवन का मासिक किराया वर्ष 1991 से रुपये 1425/- प्रतिमाह है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा उक्त छात्रावास के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 15.44 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है। उक्त छात्रावास भवन हेतु आबंटित भूखण्ड विवादग्रस्त होने तथा न्यायालय में वाद दायर कर दिये जाने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। भूखण्ड का कब्जा प्राप्त होते ही निर्माण प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(4) जी हां। विवादग्रस्त भूमि का न्यायालय में निर्णय होते ही कब्जा प्राप्त कर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

तहसील फलौदी (जोधपुर) के प्रस्तावित राजस्व ग्राम

498. **श्री रामनारायण विश्नोई** (फलौदी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों में सुझाये गये मानदण्डों के अनुसार तहसील फलौदी जिला जोधपुर में 250 व उससे अधिक आबादी वाले कितने नये राजस्व गांव वर्ष 2001 के बाद घोषित किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सत्र 2001-02 में राज्य सरकार द्वारा चलाये गये प्रशासन गांवों के संग राजस्व अभियान के दौरान तहसील फलौदी में कितने नये राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं, जन प्रतिनिधियों एवं राजस्व अधिकारियों की ओर से प्रस्तावित किये गये हैं एवं उक्त प्रस्तावों में से कितने समूहों को नये राजस्व गांव घोषित कर दिये गये हैं व कितने शेष रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों में सुझाए गए मानदण्डों के अनुसार जिला जोधपुर की तहसील फलौदी में 250 या उससे अधिक आबादी वाले 21 नये राजस्व गांव वर्ष 2001 के बाद घोषित किये गये हैं। सूची (परिशिष्ट "अ") सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पिछले वर्ष 2001–2002 में राज्य सरकार द्वारा चलाये गये प्रशासन गांव के संग राजस्व अभियान के दौरान जोधपुर की तहसील फलौदी में ग्राम पंचायतों, ग्राम–सभाओं, जन प्रतिनिधियों एवं राजस्व अधिकारियों की ओर से 50 मजरे/ढाणियों को नवीन राजस्व गांव घोषित किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से राज्य सरकार को प्राप्त प्रस्ताव 21 मजरे/ढाणियों को नवीन राजस्व गांव घोषित किया जा चुका है। शेष 29 प्रस्तावों में से 28 प्रस्ताव राज्य सरकार को अब प्राप्त हुए हैं तथा एक प्रस्ताव "लोकायत" का जिला कलक्टर कार्यालय स्तर पर परीक्षणाधीन है।

वर्तमान में परिसीमन आयोग द्वारा नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर रोक लगाई हुई है। रोक हटने पर प्राप्त प्रस्तावों अनुसार नये राजस्व गांव घोषित किये जाने हेतु कार्यवाही की जा सकेगी। सूची (परिशिष्ट "ब") सदन की मेज पर रख दी गई है।

परिशिष्ट–"अ"

फलौदी जिला जोधपुर में वर्ष 2001 के बाद घोषित नये राजस्व गांव

मूल गांव	घोषित नये राजस्व गांव
1. सोड़ाधड़ा	1. सिमराथल
2. टेकरा	2. बोम्बेपुरा
3. सिंहड़ा	3. नारायणहरि
4. कुशलावा	4. पाबूसर
कुशलावा	5. चम्पावतनगर
5. भौजाकौर	6. रामदेवनगर
भौजाकौर	7. रिड़मलसर
भौजाकौर	8. हनुमाननगर
6. बरजासर	9. राजीवनगर
बरजासर	10. थारों की ढाणी
बरजासर	11. विश्वकर्मा नगर
7. कौलू राड़ौदा	12. कोलू निम्बावत
कौलू राड़ौदा	13. रोड़ेजी की ढाणी
कौलू राड़ौदा	14. श्रीकृष्ण नगर
8. कौलू पाबूजी	15. धनेश्वरनगर पुरोहितान
9. शेखासर	16. बन्धेरी
10. दयाकोर	17. मदरूपनगर
11. फतेहसागर	18. इन्द्रनगर
12. बाप	19. जेतड़ासर
बाप	20. बोरानाड़ा
बाप	21. अणदासर

जिला जोधपुर की तहसील फलौदी में वर्ष 2001-2002 में राज्य सरकार द्वारा चलाये गये प्रशासन गांव के संग राजस्व अभियान के दौरान प्राप्त नवीन राजस्व गांव घोषित किये जाने के प्रस्ताव जो वर्तमान में राज्य सरकार के स्तर पर परीक्षणाधीन है

मूल गांव	प्रस्तावित नये राजस्व गांव
1	2
1. भोजाकोर	1. देराम नगर
2. मौखेरी	2. रामपुरा
3. मौखेरी	3. रामदेव नगर
4. श्रीरामपुरा	4. अम्बेडर नगर
5. पश्चिमी ढाणी	5. तेज नगर
6. पश्चिमी ढाणी	6. चुतर नगर
7. अजेरी	7. कालूखां की ढाणी
8. आमला	8. काली माली
9. आमला	9. रामदेव नगर
10. आमला	10. कल्याण पुरा
11. रणीसर	11. दक्षिणी ढाणी रणीसर
12. रणीसर	12. खावों की ढाणी
13. रणीसर	13. गणेश नगर
14. रावत नगर	14. राम सागर
15. भईयों की ढाणी	15. धारा नागा पुरान
16. बामणू	16. मनणावर
17. कानसिंह की सीड	17. अजानी सर
18. कानसिंह की सीड	18. किशनें री जेती
19. कानसिंह की सीड	19. भोमजी का गांव
20. फतेह सागर	20. पीपलिया नगर

1	2
21. माडला कलां	21. सोढों का मण्डला
22. माडला कलां	22. रामनगर
23. सोढाघडा	23. शिव नगर
24. रडकापुरू	24. उद्धव नगर
25. जवार नाडा	25. विरम नगर
26. करणीपुरा	26. रामनगर
27. आसोलाई	27. रामदेव नगर
28. पडियाल	28. खिचडो की ढाणी

सहायक कृषि अधिकारी से अतिरिक्त निदेशक के पदों में बैकलाग की पूर्ति

499. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में सहायक कृषि अधिकारी से अतिरिक्त निदेशक तक कितने अधिकारी पदस्थापित है? संवर्गवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में अनुसूचित जाति/जनजाति का उक्त पदों का बैकलाग रिक्त चल रहा है?

(3) क्या सरकार उक्त बैकलाग भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य में विस्तार संवर्ग के सहायक कृषि अधिकारी से अतिरिक्त निदेशक कृषि के 1022 अधिकारी कार्यरत है। संवर्गवार विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पात्रता सूची में उपलब्ध निर्धारित अंनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति/अनुजनजाति के अधिकारियों से बैकलाग भरने के प्रयास जारी है।

परिशिष्ट–1

संवर्गवार विवरण

क्र.सं.	पद नाम	कार्यरत अधिकारियों की संख्या
1.	अतिरिक्त निदेशक कृषि	03
2.	संयुक्त निदेशक कृषि	17
3.	उप निदेशक कृषि	36
4.	सहायक निदेशक कृषि	90
5.	कृषि अधिकारी	225
6.	सहायक कृषि अधिकारी	651
	योग	1022

दाऊदयाल जोशी आयुर्वेदिक चिकित्सालय परिसर कोटा में अनियमित निर्माण

500. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा स्थित दाऊदयाल जोशी आयुर्वेदिक चिकित्सालय परिसर में कोटा सहकारी बहुउद्देश्यीय महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड कोटा को दुकान निर्माण करने की अनुमति किसके द्वारा कब और किंन नियमों के तहत दी गई? क्या उक्त निर्माण नियम विरुद्ध नहीं है?

(2) क्या उक्त प्रकार की लगभग 200 और अन्य संस्थाएं जो पंजीकृत हैं इनको दुकान निर्माण की अनुमति दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त दुकान निर्माण करने के क्या कारण हैं? क्या नियम विरुद्ध बनाई गई उक्त दुकान को सरकार तोड़ने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वैद्य दाऊदयाल जोशी राजकीय आयुर्वेद ''अ'' श्रेणी चिकित्सालय तलबंडी कोटा के परिसर में आयुर्वेद औषधियां की दुकान संचालित करने हेतु कोटा सहकारी बहुउद्देशीय महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड को दुकान निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृत निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर के पत्रांक 099-103 दिनांक 01.01.2003 से प्रदान की गई है।

मरीजों, पेंशनर्स एवं राज्य कर्मचारियों को आसानी से आयुर्वेद औषधियां सुलभ कराने की दृष्टि से तथा सहकारी समिति की दवाई की दुकान खुलना, जनहित में होने से यह स्वीकृति दी गई है, जो सदभावी है।

(2) अन्य संस्थाओं के द्वारा आवेदन करने तथा चिकित्सालय परिसर में स्थान उपलब्ध होने पर, गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

(3) मरीजों, पेंशनर्स एवं राज्य कर्मचारियों को आसानी से आयुर्वेद औषधियां सुलभ कराने तथा चिकित्सालय परिसर में पर्याप्त जगह होने के कारण, दुकान निर्माण की स्वीकृति सहकारी संस्था को दी गई है। विभागीय स्वीकृति उपरान्त दुकान का निर्माण किया गया है तथा यह राजकीय सम्पत्तियों है, ऐसी स्थिति में इसे तोड़ना जनहित में नहीं है।

गुर्जर जाति को अनुसूचित जन जाति वर्ग में आरक्षण

501 **श्री नाथूलाल गुर्जर** (हिण्डौली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

क्या जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश की सरकारों की भांति राजस्थान सरकार भी राजस्थान की गुर्जर जाति के रहन–सहन, आर्थिक–शैक्षणिक व अन्य जनजाति तुल्य लक्षणों परिस्थितियों को देखते हुये सरकार गुर्जर समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में आरक्षण देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग में किसी जाति को शामिल करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा ही लिया जाता है।

गुर्जर जाति के सम्बन्ध में जिला कलक्टर्स से सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या–502
(स्थगित)

जिला अजमेर में सांसद क्षेत्रीय विकास योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

503. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला अजमेर में दिसम्बर, 1998 के बाद सांसद क्षेत्रीय विकास योजना अन्तर्गत कार्य स्वीकृत हुए हैं? यदि हां, तो कौन–कौन से है?

(2) उक्त जिलों में विधान सभा क्षेत्र अनुसार कितनी–कितनी राशि के कौन–कौन से कार्य कहां–कहां पर स्वीकृत हुए?

(3) क्या उक्त स्वीकृत कार्य पूर्ण करा दिये गए हैं? यदि नहीं, तो कौन–कौन से कार्य बकाया हैं और बकाया कार्यों को कब तक पूर्ण कराए जाने का लक्ष्य है?

(4) क्या उक्त कार्यों का भुगतान किया जा चुका है? यदि नहीं, तो कौन कौन से कार्य का भुगतान किया जाना है जो कब तक किया जायेगा?

उत्तर

(1) जिला अजमेर में दिसम्बर, 1998 के बाद सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत जो–जो कार्य स्वीकृत हुए हैं, उनका विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त जिले में विधान सभा क्षेत्र के अनुसार जो–जो कार्य जितनी जितनी राशि के जहां–जहां स्वीकृत किये गये हैं, उनका विवरण भी परिशिष्ट–I पर उपलब्ध है।

(3) उक्त स्वीकृत 804 कार्यों में से 685 पूर्ण करा दिये गये हैं, शेष 119 प्रगतिरत कार्यों की सूची संलग्न परिशिष्ट–II पर उपलब्ध है। इन अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराये जाने का प्रयास जारी है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(4) 685 पूर्ण हुये कार्यों में से 643 कार्यों का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है तथा प्रगतिरत 119 कार्यों में से 81 कार्यों का उन पर हुये व्यय के अनुसार भुगतान किया जा चुका है। शेष पूर्ण हुये 42 कार्य एवं 38 प्रगतिरत कार्य जिनका भुगतान बकाया है की सूची संलग्न परिशिष्ट-III पर उपलब्ध है। इन कार्यों के पेटे दी गयी अग्रिम राशि के निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार भुगतान कर दिया जावेगा।

(सूचियां एवं विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

विधान सभा क्षेत्र खारची में कृषक साथी योजना के तहत मृतक के परिवार को सहायता

504. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि कार्य करते हुए कृषक की मृत्यु हो जाने पर कृषक साथी योजना के तहत मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र खारची में गत चार वर्षों में ऐसे कितने परिवारों को कितनी कितनी राशि की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बागोल, गुडा जैतसिंह में भी कृषकों की कृषि कार्य करते समय विद्युत करंट से मृत्यु हुई? कृषकों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त मृतक परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विगत 4 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र खारची में इस योजना के अन्तर्गत 17 परिवारों को राशि 4.25 लाख के रूप में उपलब्ध कराई गई। विवरण परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) विधान सभा क्षेत्र खारची के ग्राम बार्गोल गुढाजैता सिंह में कृषि कार्य करते समय विद्युत करंट से मरने सम्बन्धी कोई आवेदन मण्डी समिति में प्राप्त नहीं हुए है।

(3) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट–"अ"

विधान सभा क्षेत्र खारची में कृषि कार्य करते समय, मृत्यु होने पर दी गई आर्थिक सहायता का विवरण

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत राशि	दावेदार का नाम
1.	1998-99	25000	श्रीमती अन्तर कंवर पत्नी स्व. श्री सोहन सिंह
2.	1998-99	25000	श्रीमती धापूदेवी पत्नी स्व. श्री सेसाराम
3.	1998-99	25000	श्रीमती पानीदेवी पत्नी स्व. श्री सेसाराम
1.	1999-2000	25000	श्रीमती मीरा पत्नी स्व. श्री जसाराम
2.	1999-2000	25000	श्रीमती सायरी पत्नी मानाराम
1.	2000-01	25000	श्रीमती कमला पत्नी स्व. श्री केसाराम
2.	2000-01	25000	श्रीमती कमला पत्नी स्व. श्री मनोहरलाल
3.	2000-01	25000	श्रीमती पानीदेवी पत्नी स्व. श्री मागीलाल
4.	2000-01	25000	श्रीमती हंजादेवी पत्नी स्व. श्री स्वरूपराम
5.	2000-01	25000	श्रीमती असकी पत्नी श्री वगताराम
6.	2000-01	25000	श्रीमती बगदी पत्नी श्री डायाराम
7.	2000-01	25000	श्रीमती रम्बा पत्नी श्री पोमाराम
1.	2001-02	25000	श्रीमती सुखियां पत्नी स्व. श्री चतुराराम
2.	2001-02	25000	श्रीमती गीतादेवी पत्नी स्व. श्री धनराज
3.	2001-02	25000	श्रीमती जामा पत्नी शाबीर खां
4.	2001-02	25000	श्रीमती सुआदेवी पत्नी अर्जुनसिंह
5.	2001-02	25000	श्रीमती दाकु पत्नी नथाराम

विधान सभा क्षेत्र बाली में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु छात्रावास

505. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में अनुसुचित जनजाति के कितने छात्रावास हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए एक भी छात्रावास नहीं है? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में छात्राओं के लिए छात्रावास बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त छात्रावासयों में रह रहे छात्रों के लिए प्रतिवर्ष प्रति छात्र कितनी राशि आबंटित है?

(4) उक्त छात्रावासों में रह रहे छात्रों को भोजन में क्या-क्या दिया जाता है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में अनुसूचित जनजाति के तीन बालक छात्रावास संचालित है। इनमें दो राजकीय एवं एक अनुदानित छात्रावास संचालित है।

(2) जी हां। उक्त क्षेत्र में छात्राओं के लिये छात्रावास खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बजट उपलब्ध होने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

(3) उक्त छात्रावासों में रह रहे छात्रों के लिये प्रति छात्र 675 प्रति माह 9½ माह के लिये राशि आबंटित की जाती है, जिसमें भोजन, वस्त्र, सिर पर लगाने का तेल, साबुन, बाल कटिंग, जूते–मौजे, समाचार पत्र पत्रिकाएं हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त नि:शुल्क आवास, बिस्तर तथा भोजन पकाने एवं खाने के बर्तन इत्यादि उपलब्ध कराई जाती है।

(4) उक्त छात्रावासों में रह रहे छात्रों को भोजन में दाल, रोटी, हरी सब्जी, चावल आदि दिये जाते है तथा माह में एक बार विशेष भोजन दिया जाता है तथा प्रात: नाश्ते में दूध, चाय, बिस्कुट एवं नमकीन इत्यादि दिये जाते है।

जिला बाड़मेर-जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क हेतु अधिग्रहित भूमि

506. श्री अमीन खान (शिव): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

जिला बाड़मेर व जैसलमेर के कितने रकबा में डेजर्ट नेशनल पार्क है और इसमें कितने गांव व गौचर का कितना-कितना रकबा आएगा? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बाडमेर जिले के तहसील शिव में डेजर्ट नेशनल पार्क हेतु 47 गांवों में रकबा 158554 है, रखा गया है इसमें से 34182 है, भूमि गोचर है। तहसीलदार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

जैसलमेर जिले के तहसील जैसलमेर व फतेहगढ़ के 34 गांवों में रकबा 910828.02 बीघा है इसमें से 43866.07 बीघा भूमि गोचर है। तहसीलदार सूची परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला कोटा, बारां में अंशकालीन चौकीदार एवं रसोइयों का नियमितिकरण

507. श्री प्रभुलाल (नैनवां) एवं श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

जिला कोटा व बारां में पात्रता रखने वाले अंशकालीन चौकीदार व रसोईया कौन–कौन हैं? उक्त कर्मी कब से कार्यरत है तथा इनको अभी तक नियमित क्यों नहीं किया गया और अब कब तक नियमित कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

कोटा एवं बारां जिले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.3.1996 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के तहत नियमितिकरण की पात्रता रखने वाला कोई अंशकालीन चौकीदार व रसोईया नहीं है और ना ही कोई प्रकरण लम्बित है।

गुड़गांव कैनाल सर्वे

508. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) यमुना का पानी जो गुड़गांव कैनाल से भरतपुर लाया जा रहा है, उसका सर्वे कहां–कहां से होकर हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) यमुना के पानी से किन–किन गांवों की सिंचाई की जावेगी?

(3) क्या गुड़गांव कैनाल के सर्वे में जन प्रतिनिधियों की राय ली गई थी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रस्तावित "गुड़गांव विस्तार नहर" के अलाइंमेंट का सर्वे कार्य जो वर्तमान में किया गया है उसका विवरण प्रपत्र "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) यमुना के पानी से प्रस्तावित सिंचित होने वाले गांवों की सूची प्रपत्र "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या–779 की सूची)

दिनांक 1.2.2003 की स्थिति के अनुसार रिक्त पदों की सूचना

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	वि.वि.
1.	अधीक्षक ग्रेड–I	7	7	—	—
2.	अधीक्षक ग्रेड–II	5	4	1	—
3.	उपाधीक्षक	29	21	8	—
4.	कारापाल	50	25	25	—
5.	उप कारापाल	27	17	10	—
6.	सहायक कारापाल	86	19	67	—

परिशिष्ट-"क"

दिनांक 1.2.1999 से 20.2.2003 की अवधि में राज्य की कारागृहों से फरार बंदियों की जिलेवार संख्या का विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	फरार बंदियों की संख्या	कालम संख्या 3 के अतिरिक्त जेल अभिरक्षा से फरार बंदियों की संख्या
1.	भीलवाड़ा	3	—
2.	जयपुर	3	5
3.	जालौर	4	—
4.	अलवर	6	—
5.	अजमेर	5	—
6.	कोटा	4	—
7.	धौलपुर	5	—
8.	झुंझुनुं	2	—
9.	उदयपुर	6	—
10.	बूंदी	5	—
11.	नागौर	2	—
12.	भरतपुर	—	1
13.	जोधपुर	—	1
14.	श्रीगंगानगर	—	1
		45	8

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-780 की सूची)

क्र. सं.	नाम अ.जजा/आदिवासी खातेदार	ग्राम जहां भूमि स्थित है	आ.न.	रकबा हैक्टेयर	गैर आदिवासी व्यक्ति का नाम
1.	श्री भेरा पिता धावरा	छोटी सादडी	2153	0.79	श्री शोभा लाल
	मीणा निवासी धावरा		2154	0.01	पिता नानूराम
			2155	0.31	बलाई निवासी
			2159	0.63	छोटी सादडी
			4	1.74	
2.	श्री छगनलाल पिता	चान्दोली	1196	0.17	श्री डमर लाल
	मेघा मीणा निवासी		1197	0.45	पिता शंकरलाल
	चान्दोली हाल अचलपुरा		1198	0.10	ब्राह्मण निवासी
			1250	0.13	चान्दौली
			4	0.85	

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-784 का विवरण)

परिशिष्ट-1

नागौर जिले में स्थित मन्दिर/संस्थान जिन्हें सहायता अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है उनकी सूची

क्र.सं.	नाम मन्दिर मय पता	वार्षिक राशि
1	2	3
1.	म. श्री माताजी नेकमतीजी, नागौर	480.00
2.	म. श्री महादेव जी, बैजनाथजी, नागौर	240.00
3.	म. श्री रामदेवजी, नागौर	288.00
4.	म. श्री महादेव जी राजराजेश्वरजी वीरपुरी, नागौर	144.00
5.	म. श्री माताजी हकमत में सुमेर, नागौर	192.00
6.	म. श्री ठा. श्रभुनाथजी, नागौर	240.00
7.	म. श्री कन्हैया लालजी आदिगढ़ में, नागौर	720.00
8.	म. श्री महोदवजी बडलेश्वरजी, प्रताप सागर	720.00
9.	म. श्री तेजाजी महाराज, तहसील परबतसर	120.00
10.	म. श्री राम लक्ष्मणजी महाराज, तहसील परबतसर	240.00
11.	म. श्री माताजी महाराज, तहसील परबतसर	240.00
12.	म. श्री माताजी नागनेगजी, तहसील परबतसर	120.00
13.	म. श्री गणेशजी, तहसील परबतसर	120.00
14.	म. श्री पीरजी सुजामुद्दिनजी, तहसील परबतसर	120.00
15.	म. श्री नृसिंहजी, डागावास, तहसील मेड़ता	192.00
16.	म. श्री ठा. श्री मुरली मनोहरजी, मोवासा, तहसील मेड़ता	240.00

1	2	3
17.	म. श्री महादेवजी भोलेश्वरजी, तहसील मेड़ता	120.00
18.	म. श्री हनुमानजी, तहसील मेड़ता	120.00
19.	म. श्री चारभुजाजी खीवाद, तहसील डेगाना	240.00
20.	म. श्री नृसिंहजी, थावला तहसील डेगाना	240.00
21.	म. श्री हीराजी, तहसील नावां	200.00
22.	म. श्री गोपालजी, मण्डाल कुंज, तहसील नावां	120.00
23.	म. श्री मुरली मनोहरजी तहसील नावां	120.00
24.	म. श्री रघुनाथजी, नावां	120.00
25.	म. श्री बिहारीजी, देवदानी, तहसील नावां	120.00
26.	म. श्री चारभुजाजी, चैनटोंक, तहसील नावां	120.00
27.	म. श्री बालमुकुन्दजी, देवदानी तहसील नावां	120.00
28.	म. श्री सीतारामजी, तहसील नावां	120.00
29.	म. श्री राधावल्लभजी, तहसील नावां	120.00
30.	म. श्री मुरली मनोहरजी, तहसील नावां	120.00
31.	म. श्री रधुनाथजी, तहसील नावां	120.00
32.	म. श्री जानकी वल्लभजी, तहसील नावां	120.00
33.	म. श्री राजेश्वरजी, तहसील नावां	120.00
34.	म. श्री रामगोपालजी, तहसील नावां	120.00
35.	म. श्री मुरली मनोहरजी, तहसील नावां	120.00
36.	म. श्री जेरदानाथजी, तहसील नावां	120.00
37.	म. श्री लक्ष्मीनारायणजी, तहसील नावां	120.00
38.	म. श्री नृसिंहजी, देवदानी, तहसील नावां	120.00

1	2	3
39.	म. श्री जैन मन्दिर, तहसील नावां	120.00
40.	म. श्री वंशदेवजी, तहसील नावां	120.00
41.	म. श्री लक्ष्मीनारायणजी, तहसील नावां	120.00
42.	म. श्री लालघरनारायणजी, तहसील नावां	120.00
43.	म. श्री माताजी, तहसील नावां	120.00
44.	म. श्री महादेवजी नीलकंठ, तहसील नावां	120.00
45.	म. श्री कालका माताजी, तहसील नावां	120.00
46.	म. श्री पीरजी दिवानजी, तहसील नावां	120.00
47.	म. श्री बावनसा पीरजी तहसील नावां	120.00
48.	म. श्री गणेशजी देवदानी, तहसील नावां	120.00
49.	म. श्री हनुमानजी, तहसील नावां	120.00
50.	म. श्री नागेणाय माताजी तिवारी की गली, तहसील नावां	120.00
51.	म. श्री महादेवजी रामधरणजी, तहसील डीडवाना	120.00
52.	म. श्री माताजी टिगलाज, ओसिया, तहसील डीडवाना	240.00
53.	म. श्री हनुमानजी, तहसील नावां	120.00
54.	म. श्री हिसामुदिन पीरजी, तहसील नावां	120.00
55.	म. श्री श्यामबिहारीजी के माताजी, तहसील नावां	120.00
56.	म. श्री सत्यनारायणजी, तहसील नावां	144.00
57.	म. श्री ठाकुर रघुनाथजी मरोठ, तहसील नावां	240.00
58.	मरोठ, स्थित प्याऊ को सहायता, तहसील नावां	1200.00

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या–786 की सूची)

राज्य सरकार संरक्षित स्मारक जिन पर आम जनता ने अतिक्रमण कर उनका मूल स्वरूप/संरक्षण कायम रखने में बाधा डाली है, उनकी स्मारकों की सूची

1. जयपुर नगर दीवार, जयपुर।
2. ईसरलाट, जयपुर।
3. छतरियां स्टेशन रोड, जयपुर (श्री बी.एम. धामा के निवास के समीप)।
4. गेटोर की छतरिया के नियंत्रण क्षेत्र में।
5. पहाड़ी पर आमेर के प्राचीन महल के परिसर एवं नियंत्रण क्षेत्र में, आमेर।
6. प्राचीन महल (पहाड़ी) के नीचे, आमेर।
7. प्राचीन आमेर की नगर दीवार।
8. नरसिंह मन्दिर, आमेर।
9. महारानियों की छतरिया, आमेर मार्ग पर, जयपुर।
10. सूर्य मन्दिर, आमेर।
11. काले खा का मकबरा, भरतपुर।
12. बीकानेर शहर की प्राचीन चारदीवारी तथा इसके दोनों ओर का 20 कुल क्षेत्र, बीकानेर।
13. राय बीकाजी की टोकरी, बीकानेर।
14. नागौर का किला, नागौर।
15. तारकीन का दरवाजा या बुलन्द दरवाजा, नागौर।
16. शिवमन्दिर, थावला, नागौर।
17. मन्दिर मस्जिद, लाडनूं (नागौर)।
18. पदमनाभि मन्दिर, कालरापाटन, झालावाड़।
19. भावपुरा की छतरी, जयपुर।

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या–788 का विवरण)

प्रपत्र–"अ"

तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा के पाटन बांध एवं नहरों के रख-रखाव पर किये गये व्यय का वर्षवार विवरण

वर्ष	कार्य का विवरण	मद	व्यय की गई राशि (लाखों में)
1997–1998	—	—	—
1998–1999	—	—	—
1999–2000	—	—	—
2000–2001	बांध पर जंगल सफाई व नहरों की सिल्ट सफाई एवं टूट-फूट के मरम्मत कार्य	अकाल राहत मद	1.56
2001–2002	—"—	—"—	2.07
		योग	3.63

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या–792 का विवरण)

प्रपत्र–"अ"

स्वयं सेवी संस्था एन.एम. सद्गुरु वाटर एण्ड डवलपमेंट फाउंडेशन, दोहाद द्वारा जिला बांसवाड़ा में निर्मित एनिकटों की सूची (जनजाति क्षेत्रीय विकास आयुक्त, उदयपुर द्वारा स्वीकृत) वर्ष 1996–97 से वर्ष 2002–2003 तक

क्र.सं.	नाम एनिकट	कार्य की स्थिति
1	2	3
1.	बोरीसेरा	कार्य पूर्ण
2.	चरखनी	कार्य पूर्ण
3.	गदेड़िया–II	कार्य पूर्ण
4.	गमानिया हमीरा	कार्य पूर्ण
5.	जीवा खूंटा–I	कार्य पूर्ण
6.	जीवा खूंटा–II	कार्य पूर्ण
7.	जागेवाड़ा	कार्य पूर्ण
8.	कुनानी रूपा	कार्य पूर्ण
9.	मियावही	कार्य पूर्ण
10.	तामेसरा	कार्य पूर्ण
11.	रातमहुड़ी	कार्य पूर्ण
12.	सासवाड़ा	कार्य पूर्ण
13.	बावडी पाडा	कार्य पूर्ण
14.	बोरखेड़ी	कार्य पूर्ण
15.	भादवेल	कार्य पूर्ण
16.	पाली बड़ी	कार्य पूर्ण

1	2	3
17.	अमल पाडा–I	कार्य पूर्ण
18.	अमल पाडा–II	कार्य पूर्ण
19.	सुखेड़ा	कार्य पूर्ण
20.	सोनारिया	कार्य पूर्ण
21.	पाता पोर–I	कार्य पूर्ण
22.	पाता पोर–II	कार्य पूर्ण
23.	सुखेड़ा–I	कार्य पूर्ण
24.	टिगरडाकला	कार्य पूर्ण
25.	सादड़िया–I	कार्य पूर्ण
26.	सादड़िया–II	कार्य पूर्ण
27.	रूपगढ़	कार्य पूर्ण
28.	भाटमहुडी	कार्य पूर्ण
29.	बोर खेड़ी–II	कार्य पूर्ण
30.	बोचरदा	कार्य पूर्ण
31.	छोटा हमीरपुरा	कार्य पूर्ण
32.	पाटडिया	कार्य पूर्ण
33.	बियान्दरा–II	कार्य पूर्ण
34.	जोगीवाड़ा–II	कार्य पूर्ण
35.	डाबरी देवा	कार्य पूर्ण
36.	डाबरी कालु	कार्य पूर्ण
37.	मोतीरा	कार्य पूर्ण
38.	कसुम्बा	कार्य पूर्ण

1	2	3
39.	कोटड़ा	कार्य पूर्ण
40.	सिंगोडो की मडली	कार्य पूर्ण
41.	बोरकुन्डा	कार्य पूर्ण
42.	कावडिया	कार्य पूर्ण
43.	गरका मउडी	कार्य पूर्ण
44.	धाडकी	कार्य पूर्ण
45.	गोदावाड़ा	कार्य प्रारम्भ
46.	कलिंजरा	कार्य प्रारम्भ
47.	सीगल खेड़ा	कार्य प्रारम्भ
48.	टान्डी बड़ी	कार्य प्रारम्भ
49.	घाटा	कार्य प्रारम्भ
50.	चुडादा	कार्य प्रारम्भ
51.	दरा	कार्य प्रारम्भ
52.	नलवई	कार्य प्रारम्भ
53.	नागाखेली	कार्य प्रारम्भ
54.	कटुम्बी	कार्य प्रारम्भ

परिशिष्ट-12

परिशिष्ट-"अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-797 का विवरण)

पंचायत समिति कुम्भलगढ़ को विभिन्न विकास योजनाओं हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	विकास योजना का नाम	केन्द्र सरकार द्वारा		राज्य सरकार द्वारा	
		जिले को आबंटित राशि	जिले से पंचायत समिति को दी गई राशि	जिले को आबंटित राशि	जिले से पंचायत समिति को दी गई राशि
1.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (प्रथम धारा)	153.15	16.99	51.05	5.67
2.	ग्यारहवां वित्त आयोग	410.83	65.61	—	—
3.	राज्य वित्त आयोग	—	—	348.45	55.66
	योग	563.98	82.60	399.50	61.33

परिशिष्ट–"ब"

पंचायत ओलादर को विभिन्न विकास योजनाओं में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2002–2003 में दी गई राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	विकास योजना का नाम	केन्द्र सरकार द्वारा		राज्य सरकार द्वारा	
		जिले को आबंटित राशि	जिले से पंचायत समिति को दी गई राशि	जिले को आबंटित राशि	जिले से पंचायत समिति को दी गई राशि
1.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (द्वितीय धारा)	167.82	0.55	44.27	0.18
2.	ग्यारहवां वित्त आयोग	410.83	1.22	—	—
3.	राज्य वित्त आयोग	—	—	348.45	0.90
	योग	578.65	1.77	392.72	1.08

परिशिष्ट–13

परिशिष्ट–"अ"

(तारांकित प्रश्न संख्या-798 का विवरण)

कार्यकारी संस्था (पीआईए) द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	स्वी. कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	मद
1	2	3	4	5	6	7
1.	बिसलाई	स्कूल बाउण्डरी निर्माण	2002-03	0.87	0.87	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
2.	"	खरंजा निर्माण	2002-03	0.63	0.63	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
3.	अर्जुनपुरा	खरंजा निर्माण	2002-03	1.18	1.18	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
4.	टगरिया	खरंजा निर्माण	2002-03	0.41	0.41	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
5.	ढाणी	खरंजा निर्माण	2002-03	0.42	0.42	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
6.	थाना	खरंजा निर्माण	2002-03	0.36	0.36	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
7.	"	स्कूल बाउण्डरी निर्माण	2002-03	0.66	0.66	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
8.	"	पुलिया निर्माण	2002-03	0.45	0.45	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
9.	श्रीपुरा	पुलिया निर्माण	2002-03	0.72	0.72	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
10.	"	कुआं निर्माण	2002-03	0.25	0.25	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
11.	"	खेल निर्माण	2002-03	0.04	0.04	प्रवेश बिन्दु गतिविधि

1	2	3	4	5	6	7
12.	गोपालपुरा	खरंजा निर्माण	2002-03	0.55	0.55	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
13.	''	खेल निर्माण	2002-03	0.11	0.11	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
14.	''	खरंजा निर्माण	2002-03	0.34	0.34	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
15.	बोरेडा	खरंजा निर्माण	2002-03	0.27	0.27	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
16.	पीपलदा कला	स्कूल बाउण्डरी निर्माण	2002-03	1.14	1.14	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
17.	रणवासी	स्कूल बाउण्डरी निर्माण	2002-03	2.37	2.37	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
18.	भंवरगढ़	सामुदायिक भवन निर्माण	2002-03	1.04	1.04	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
19.	''	खरंजा निर्माण	2002-03	0.54	0.54	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
20.	''	खेल निर्माण	2002-03	0.13	0.13	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
21.	''	ग्रेवल रोड	2002-03	1.21	1.21	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
22.	हीरापुर	खरंजा निर्माण	2002-03	0.06	0.06	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
23.	गाडीघटा	खरंजा निर्माण	2002-03	0.34	0.34	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
24.	बासथूनी	स्कूल बाउण्डरी	2002-03	0.53	0.53	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
25.	फल्दी	स्कूल बाउण्डरी	2002-03	1.52	1.52	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
26.	रामपुरिया	स्कूल बाउण्डरी	2002-03	0.34	0.34	प्रवेश बिन्दु गतिविधि
			कुल	17.02	17.02	

1	2	3	4	5	6	7
		परियोजना में प्रशिक्षण व्यय	2002–03	19.15	0.15	प्रशिक्षण सम्बन्धित गतिविधि
		परियोजना प्रशासनिक व्यय	2002–03	38.30	7.66	प्रशासनिक सम्बन्धित गतिविधि
		कुल			**24.83**	

जलग्रहण कमेटी द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	मद
1.	बिसलाई	तलाई निर्माण	2002–03	1.15	1.15	वाटरशैड कमेटी
2.	थाना	तलाई निर्माण	2002–03	1.09	1.09	"
3.	बोरेड़ा	तलाई निर्माण	2002–03	1.16	1.16	"
4.	रणवासी	तलाई निर्माण	2002–03	1.16	1.16	"
5.	हीरापुर	तलाई निर्माण	2002–03	1.19	1.19	"
			कुल	**5.75**	**5.75**	

परिशिष्ट-ब

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	निरीक्षण का दिनांक	विशेष विवरण
1.	जिला कलक्टर, बारां	9.3.2003	स्कूल बाउण्डरी फल्दी, सामुदायिक भवन भंवरगढ़ कार्यों का निरीक्षण किया। कोई अनियमितता नहीं पाई गई।
2.	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बारां।	21.11.2002 24.1.2003 12.2.2003	सामुदायिक भवन एवं खरजा निर्माण, खेल कार्य, ग्रेवल रोड भंवरगढ़, खरंजा निर्माण, तलाई निर्माण हीरापुर, स्कूल बाउण्डरी बासथूनी निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। कोई अनियमितता नहीं पाई गई।
3.	प्रभारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बारां।	21.11.2002 11.02.2003 03.03.2003	सामुदायिक भवन एवं खरजा निर्माण, खेल कार्य, ग्रेवल रोड भंवरगढ़, खरंजा निर्माण, तलाई निर्माण हीरापुर, स्कूल बाउण्डरी बासथूनी निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

परिशिष्ट-14

(तारांकित प्रश्न संख्या-799 का पत्र)

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाईमाधोपुर

क्रमांक **दिनांक :-, 2001**

संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश

विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत श्री किरोड़ी लाल मीना विधायक विधान सभा क्षेत्र बामनवास द्वारा प्रस्तावित एवं अभिकरण के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश क्रमांक 917 दिनांक 21.7.2000 द्वारा स्वीकृत 2 कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृत राशि में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है तथा कार्यों के तकनीकी स्वीकृति एवं तकमीना कार्यकारी एजेंसियो से प्राप्त होने पर वित्तीय स्वीकृति एवं प्रथम किस्त की राशि दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	वित्तीय स्वीकृत की राशि	प्रथम किश्त की राशि	कार्यकारी एजेंसी
1.	ग्राम बाढ़शाहपुरा में कूपं निर्माण	0.50	0.80	0.80	0.32	ग्राम पंचायत जस्टावा
2.	जाहिरा ब्रांच से नहर निर्माण ग्राम बड़िला	0.50	0.72	0.72	0.288	अधि. अभियन्ता सिंचाई विभाग, सवाईमाधोपुर
	योग	**1.00**	**1.52**	**1.52**	**0.608**	

अन्य शर्ते पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति अनुसार रहेगी।

ह०/-
अतिरिक्त कलक्टर (विकास)
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
सवाईमाधोपुर

परिशिष्ट–15

(तारांकित प्रश्न संख्या-800 का विवरण)

परिशिष्ट-1

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के शिक्षकों को दिये गये अतिरिक्त कार्यभार का विवरण

क्र. सं.	शिक्षक का नाम	अतिरिक्त कार्यभार का विवरण	अवधि
1	2	3	4
1.	डा. अनाग जैतली	1. परीक्षा नियंत्रक	21.6.2000 से 21.10.2002 तक
		2. निदेशक पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण	10.12.1999 से 13.2.2002 तक
		3. निदेशक, योजना एवं विकास	29.10.2002 से लगातार
	4.	निदेशक, मानवीकी एवं सामाजिक विद्यापीठ	14.1.2002 से लगातार
	5.	प्रभारी, डिग्री प्रकोष्ठ	4.1.2003 से लगातार
2.	डा. याकुब अली खान	1. निदेशक पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण	10.12.1999 से 13.2.2002 तक
		2. निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र	1.8.2000 से 3.12.2000 तक
3.	प्रो. एम. डी. अग्रवाल	1. निदेशक, वाणिज्य एवं प्रबन्ध विद्यापीठ	14.1.2002 से लगातार
4.	डा. एम. एल. गुप्ता	1. निदेशक, सतत शिक्षा	1.6.2002 से लगातार
5.	प्रो. एम. के घड़ोलियां	1. निदेशक, स्टाइड	18.12.1999 से लगातार

1	2	3	4
6.	डा. एल. आर. गुर्जर	1. रिसर्च खेल प्रभारी	8.5.2002 से लगातार
	2.	निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र	16.2.2000 से 2.2.2001
7.	श्री राकेश शर्मा	1. निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ	14.1.2002 से लगातार
8.	डा. एच. बी. नन्दवानी	1. सलाहकार, छात्र सहायता प्रकोष्ठ के प्रभारी	23.1.2002 से 27.11.2002 तक

परिशिष्ट–16

परिशिष्ट–क

(तारांकित प्रश्न संख्या-803 की सूची)

उप खण्ड प्रतापगढ़ में संचालित विभागीय औषधालयों को वर्ष 1989–99 से 2002–2003 में उपलब्ध कराई गई औषधियों की औषधालयवार उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण

क्र. सं.	औषधालय	वर्षवार औषध सप्लाई राशि (रुपयों में)				
		1998–99	1999–2000	2000–01	2001–02	2000–03 फरवरी 03 तक
1	2	3	4	5	6	7
1.	रठान्जना	6342–55	3663–17	7504–70	9961–81	8346–91
2.	वरडिया	4342–55	3663–17	7504–70	12349–64	8346–91
3.	असावता	11168–05	3663–17	7504–70	12349–64	8346–91
4.	बसाड़	6342–55	3663–17	7504–70	12349–64	8346–91
5.	जांसड़ी	6270–55	3663–17	7504–70	12349–64	8346–91
6.	बोरी	6270–55	3663–17	7504–70	12349–64	8346–91
7.	वरमण्डल	6270–55	3663–17	7504–70	7070–31	8346–91
8.	सैलारपुरा	6080–55	3663–17	7504–70	9961–81	8346–91
9.	रादोला (प्रतापगढ़)	6080–55	3663–17	7504–70	12349–64	8346–91
10.	सुहागपुरा	6080–55	3731–42	7504–70	12349–64	8346–91
11.	ग्यासपुर	6080–55	3663–17	4467–30	7070–31	8346–91
12.	अमलावद	6080–55	3663–17	13412–20	11923–64	8346–91
13.	खैरोट	6080–55	3663–17	7504–70	11923–64	8346–91
14.	अचलपुरा	6080–55	3663–17	7504–70	11923–64	8346–91

1	2	3	4	5	6	7
15.	धमोतर	5841-45	3912-87	4034-67	9909-81	9207-47
16.	पण्डावा	5841-45	3912-87	7235-27	9909-81	8353-47
17.	कुलथाना	4783-10	3912-87	7235-27	9909-81	9207-47
18.	बजरंगगढ़	4783-10	3912-87	7235-27	11758-03	9207-47
19.	अ श्रेणी प्रतापगढ़	5787-45	4839-38	78270-11	60193-97	33215-96
20.	जाजली	5925-95	3912-87	7235-27	11822-03	9207-47
21.	साकथली	5925-95	3912-87	7235-27	11822-03	9207-47
22.	चूपना	5925-95	3912-87	7235-27	11524-21	9207-47
23.	नौगांवां	5925-95	3912-87	7235-27	11822-03	9207-47
24.	कोटड़ी	5925-95	3912-87	7235-27	9961-81	9207-47
25.	सालमगढ़	5925-95	3912-87	7235-27	11822-03	9207-47
26.	रलोट	5925-95	3912-87	7235-27	11822-03	9207-47
27.	रायपुर	5925-95	3912-87	7235-27	11822-03	9207-47
28.	बोरदिया	5925-95	3912-87	7235-27	7070-31	9207-47
29.	यूनानी-प्रतापगढ़	12368-68	9713-00	11390-00	3224-00	28092-00
	योग	**204309-98**	**116762-32**	**288453-92**	**380676-58**	**296979-81**